लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ६, १९६२/१८८४ (शक)

६ से १८ अगस्त, १९६२/१५ से २७ श्रावण, १८८४ (शक)

3rd Lok Sabha

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Buildin
Room No. FB-025
Block 'G'

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ६—अंक १ से १०—६ से १८ अगस्त, १९६२/१५ से २७ श्रावण, १८८४ (शक)]

अंक १—सोमवार, ६ अगस्त, १९६२, १५/श्रावण, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १३ १—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४ से ३५ और ३७ से ४८ २७—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २३, २५ से ६०, ६२ से ६९ और ७१ से ७६ ४७—७८

स्थगन प्रस्तावों के बारे में ७८—७९

निधन सम्बन्धी उल्लेख ७९—८०

औचित्य प्रश्न के बारे में ८०—८२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८०—८२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८३

लद्दाख की स्थिति के बारे में वक्तव्य ८३—८७

वित्त मंत्री की हाल की पश्चिमी यूरोप की यात्रा के बारे म वक्तव्य ८७—९०

डुमराव में हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ९०—९१

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक ९१—११५

विचार करने का प्रस्ताव ९१—११२

खंड २ से २४ और १ ११३—११५

पारित करने का प्रस्ताव ११५

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसरा प्रतिवेदन ११५

क संक्षेपिका ११६—२४

२—मंगलवार, ७ अगस्त, १९६२/१६ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९ से ५६ और ८७ १२५—४७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ १४७—४९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७ से ८६ और ८८ से ९१	१४९—६८
अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ से १५४, १५६ से १५९, १६१ से १८४ और १८६ से २१४	१६८—२३१
सभा पटल पर रख गये पत्र	२३१—३५
समिति के लिये निर्वाचन—	२३५
भारतीय परिचर्या परिषद्	२३५
कार्य मंत्रणा समिति—	२३६
तीसरा प्रतिवेदन	२३६
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक—	२३६–३७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक	२३८—४५
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २, ३ और १	
पारित करने का प्रस्ताव	
प्रत्यर्पण विधेयक	२४५—६०
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २ से ३७ और १	
पारित करने का प्रस्ताव	
दैनिक संक्षेपिका	२६१—७१
अंक ३—बुधवार, ८ अगस्त, १९६२/१७ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १०२	२७३—९८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ के अनुपूरक प्रश्न	२९८—३०१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से १४३	३०१—२२
अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २३३, २३५ से २९६, २९८ से ३२८, ३३० से ३४२, ३४४ और ३४५	३२२—७४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३७४–७५
राज्य सभा से सन्देश	३७५–७६
सदस्यों की गिरफ्तारी	३७६

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	३७६
सभा का कार्य	३७७
सीमा शुल्क विधेयक—	
प्रवर समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना	
भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३७७—७८
भूमि अर्जन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	३७८
प्रत्यर्पण विधेयक—	
पारित करने का प्रस्ताव	
हिन्दू दत्तक ग्रहण और पोषण (संशोधन) विधेयक	३७८—८१
विचार करने का प्रस्ताव	३८१—९१
खण्ड २ से ४ और १	३९१
पारित करने का प्रस्ताव	३९१—९३
ईसाई विवाह तथा वैवाहिक कारण विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	३९३—९९
दैनिक संक्षेपिका	४००—०९
अंक ४—गुरुवार, ९ अगस्त, १९६२/१८ श्रावण, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४४ से १५३ और १५५ १६	४११—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५४ और १६५ से १७१	४३९—४१
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३८५ और ३८७ से ४२२	४४२—७८
औचित्य प्रश्न के बारे में	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७८—७९
रेल दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	४७९
सभा का कार्य	४७९—८०
विशिष्ट सहायता विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	४८०—८८
छोटी कार बनाने के बारे में वक्तव्य	४८८—९०

विषय	पृष्ठ
महा प्रशासक विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	४९०—९२
दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का खराब होना . .	४९२—५१५
दैनिक संक्षेपिका . . .	५१६—२१
अंक ५—शुक्रवार, १० अगस्त, १९६२ /१९ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७२, १७४, १७५, २१०, १७६, १७७, २०६, १७८, १७९ से १८२ . .	५२३—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३, १८३ से २०५, २०७ से २०९, २११ से २१४	५४५—६०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२३ से ४९७, ४९९ से ५२१, ५२३ से ५३० और ५३२ से ५३८	५६०—६१०
स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	६१०—१४
दिल्ली में बिजली के संभरण के खराब हो जाने के बारे में सिंचाई और विद्युत मंत्री का वक्तव्य . . .	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
रामकृष्णपुरम में पीने के पानी की कमी . . .	६१५—१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६१७—१८
सदस्यों को सजा	६१८
पश्चिमी बंगाल में कोयला खनन के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार और भारत सरकार के बीच करार के सम्बन्ध में वक्तव्य .	६१८—१९
सभा का कार्य . . .	६१९—२०
समितियों के लिये निर्वाचन—	
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था . .	६२०—२१
प्राक्कलन समिति	
सहकारिता प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन दल के बारे में प्रस्ताव .	६२१—३५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौथा प्रतिवेदन . . .	६३५—३६
मजदूर संघों के प्रतिनिधि स्वरूप के बारे में संकल्प . . .	६३६—३९
अनिवार्य जीवन बीमा के बारे में संकल्प	६३९—५४

विषय	पृष्ठ
शहरों तथा गांवों में मकान बनाने और गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के बारे में संकल्प	६५४
सदस्य की गिरफ्तारी	६५४
दैनिक संक्षेपिका	६५५—६३
अंक ६—सोमवार, १३ अगस्त, १९६२/२२ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२३, २२५, २२७ से २३१	६६५—९३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२४, २२६, २३२ से २६८	६९३—७१४
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३९ से ५६० और ५६२ से ६४५	७१४—६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७६१–६२
सदस्य को सजा	७६२–६३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३	७६३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६२–६३	७६३
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) अणुशक्ति विधेयक	७६३
(२) अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक	७६३–६४
भारत-चीन सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव	७६४—९८
सभा का कार्य	७९८
दैनिक संक्षेपिका	७९९—८०७
अंक ७—मंगलवार, १४ अगस्त, १९६२/२३ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २६९ से २७८, २८० से २८४, २८६ और २८८	८०९—३६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७९, २८५, २८७, २८९ से २९३ और २९५ से ३१३	८३६—४७
अतारांकित प्रश्न संख्या ६४६ से ६५०, ६५२ से ६८८ और ६९० से ७२५	८४७—७८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) पश्चिम बंगाल पाकिस्तान सीमा के साथ साथ पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा खाइयां खोदे जाने का कथित समाचार	८७८–७९

विषय	पृष्ठ
(२) काशीपुर के निकट एक बस और मालगाड़ी की टक्कर	८७९–८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८८१
दिल्ली में बिजली के संभरण की स्थिति के बारे में वक्तव्य—	
श्री अलगेशन	८८१–८२
भारत-चीन सीमा स्थिति के बारे में प्रस्ताव—	
श्री जवाहरलाल नेहरू	८८२—९२
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	८९२—९११
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	९११
दैनिक संक्षेपिक	९१२—१८

अंक ८—गुरुवार, १६ अगस्त, १९६२/२५ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३१४ से ३१६, ३४५, ३१७ से ३२६ और ३२८	९१९—४३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	९४४—४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२३, ३२७, ३२९ से ३४४ और ३४६ से ३५३	९४६—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ७२६ से ८३९	९५९—१०१३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	१०१३—१६
(१) पुनर्वास विभाग के कलकत्ता स्थित शाखा कार्यालय का बन्द किया जाना	
(२) दिल्ली में लाल किले के निकट हुआ विस्फोट	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०१७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पांचवां प्रतिवेदन	१०१७
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौथा प्रतिवेदन	
संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१०१८—२७
सभा का कार्य	१०२८
रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	१०२८—४२
दैनिक संक्षेपिका	१०४३—४९

विषय पृष्ठ

क ६—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९६२/२६ श्रावण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५४ से ३६१, ३६४, ३६७ और ३६९ से ३७२ १०५१—७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . १०७४—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६२, ३६३, ३६५, ३६६, ३६८ और ३७३ से ४०२ १०७७—९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४० से ९५२, ९५४ से ९६१, ९६३, ९६४, ९६६ से ९७३ और ९७५ से ९८५ . . . १०९३—११५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एक खेल संवादाता पर कथित आक्रमण . . . ११५२–५३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११५३–५४

रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव . . . ११५४—८०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पांचवां प्रतिवेदन ११८१–८२

विधेयक पुरस्थापित— ११८२–८३

(१) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०० और १८९ का संशोधन [श्री म० ला० द्विवेदी का] . . . ११८२

(२) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १२४ और २१७ का संशोधन) [श्री कृ० च० शर्मा का] . . ११८२–८३

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) [श्री सिद्धया का] वापिस लिया गया

परिचालित करने का प्रस्ताव . . . . ११८३—९१

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन [श्री हेम राज का] . . . . . . ११९१—९३

विचार स्थगित किया गया

विचार करने का प्रस्ताव

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७-ख का लोप) [श्री म० ला० द्विवेदी का]

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ११९३—९५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ११९६—१२०५

विषय	पृष्ठ
अंक १०— शनिवार १८ अगस्त १९६२/२७ श्रावण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४०३, ४२८, ४०४ से ४०६, ४०८, ४१०, ४११, ४१३ से ४१९, ४२१ और ४२० . . .	१२०७—२१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४०७, ४०९, ४१२, ४२२ से ४२७ और ४२९ से ४३६	१२२२—४
अतारांकित प्रश्न संख्या ९८६ से १०७१, १०७३ से १०८६ और १०८८ से १०८९	१२४०—८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१२८४—८५
सदस्य की दोषसिद्धि	१२८५
सभा का कार्य	१२८५—८६
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३ . . .	१२८६—९३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३ . .	१२९३—१३०६
राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव . .	१३०६—१५
दैनिक संक्षेपिका	१३१६—२२

GMGIPND—LS III—1651 (Ai) LSD—18-12-62—140

लोक-सभा

शुक्रवार, १७ अगस्त, १९६२

---

२६ श्रावण, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बिजली घर तथा कोयला धोने के कारखाने का स्थापना स्थान

†*३५४. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तापीय बिजली घर तथा कोयला धोने के कारखाने की स्थापना के स्थान के बारे में नये सिरे से विचार किया गया है जिससे रेलवे पर अतिरिक्त भार न पड़े ; और

(ख) यदि हां, तो किन परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है तथा क्या इस कारण से इनमें से कुछ कारखानों की स्थापना में विलम्ब होगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख) सरकार द्वारा स्थापित की गयी तापीय बिजली उत्पादन के लिये कोयला धोने के कारखाने के उपोत्पादों के इस्तेमाल सम्बन्धी स्थायी समिति विद्युत् उत्पादन कार्यक्रम को कोयला धोने के कारखानों की स्थापना से जोड़ने के प्रश्न की, ताकि मध्यम श्रेणी की वस्तुओं का पूरा इस्तेमाल किया जा सके, जांच कर रही है। समिति द्वारा शीघ्र ही अपनी अन्तरिम सिफारिशों को अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : जब योजना आयोग ने कोयला क्षेत्रों के समीप तापीय बिजली घरों को बनाने की नीति का अनुमोदन कर दिया तो इस समिति की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, हां । योजना आयोग ने बाद में यह विचार किया कि मध्यम श्रेणी की वस्तुओं के इस्तेमाल के लिये कोयला खानों के समीप तापीय बिजली घर स्थापित करना अच्छा होगा परन्तु ब्योरा तैयार करने और प्राक्कलन बनाने के लिये इस समिति की मेरे मंत्रालय में ही बैठक हो रही है और मुझे आशा है कि वे शीघ्र ही अपनी सिफारिशें दे देंगे ताकि अग्रेतर कार्यवाही के लिये अन्य मंत्रालयों से परामर्श किया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1630 (Ai) LSD—5.

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी:** क्या यह सच है कि विद्युत् मंत्रालय को इस प्रस्ताव पर झिझक है ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चार केन्द्रीय कोयला धोने के कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव था परन्तु अभी तक केवल एक कोयला धोने का कारखाना स्थापित किया गया है । यह आशा की जाती थी कि तृतीय योजना में प्रारम्भ में यह पूरा हो जायेगा । अतः, क्या मैं जान सकता हूं, कि कितनी प्रगति की गयी है और क्या इस कार्यवाही के कारण इसमें विलम्ब होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** यदि कोयला धोने के कारखानों की स्थापना में विलम्ब हुआ है तो इस कारण नहीं । इसमें और भी कई समस्यायें शामिल है उदाहरणत:अपने अपने क्षेत्रों में बिजली घर बनाने और उनके कोयला खानों से इस प्रकार मिलाने की राज्य सरकारों की इच्छा ताकि लाभ राज्यों को ही मिलें । परन्तु मध्यम श्रेणी के वस्तुओं का निबटारा बड़ा महत्वपूर्ण है और मेरा और मेरे मंत्रालय का प्रस्ताव तथा विचार इन बिजली घरों को सदैव कोयला खानों पर बनाने के लिये रहा है ताकि देश की परिवहन क्षमता को छोड़ने के ख्याल से नये बिजली घर बनाये जा सकें ।

†**श्री दाजी :** मंत्री महोदय ने कहा है कि उनका मंत्रालय इसके पक्ष में है परन्तु उन्हें अभी राज्य सरकारों के विचारों पर विचार करना है । अत: क्या हम यह समझें कि भारत सरकार ने भी अभी ऐसा कोई दृढ़ निश्चय नहीं किया है कि बिजली घर केवल कोयला खानों पर ही बनाये जायेंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, नहीं । अभी ऐसा कोई दृढ़ निश्चय नहीं किया गया है । मध्यम श्रेणी की वस्तुओं के इस्तेमाल के ख्याल से और देश में परिवहन क्षमता में ढील देने के लिये यह सदैव लाभदायक और सस्ता रहेगा कि ये बिजली घर कोयला खानों पर या जितना भी हो, उनके समीप बनाये जायें ।

डा० गोविन्द दास : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस सम्बन्ध में एक कमेटी विचार कर रही है । क्या कमेटी यह भी विचार कर रही है कि इस प्रकार के एक से अधिक कितने कारखाने स्थापित होंगे और क्या जब उनकी संख्या निश्चित हो जाएगी तो इस पर भी विचार किया जाएगा कि जहां जहां पर कोयले की अनेक खानें हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, वहां भी इस प्रकार के कारखाने स्थापित हों ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** कमेटी जिस प्रश्न पर विचार कर रही है वह मिडलिंग्ज़ के युटिलाइज़ेशन का है । जो कोयला वाशरीज़ में आता है और जिस की क्वालिटी अच्छी की जाती है, तो जो बच जाता है उसका इस्तेमाल पावर स्टेशंज़ के लिए किया जाता है । इसलिए योजना यह है कि जहां जहां कोयले की खानें हैं वहां पर पावर-स्टेशंज़ लगाये जायें, ताकि उसका भी इस्तेमाल हो जाये ।

मध्य प्रदेश के लिए भी इस तरह की योजनायें हैं ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या यह सच है कि योजना आयोग ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय को यह ठोस परामर्श दिया है कि जहां तक संभव हो बिजली घर स्थानों के मुहानों पर ही बनाये जायें ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय ने इस सलाह को मान लिया है और क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय और योजना आयोग और खान और ईंधन मंत्रालय और राज्य सरकारों में भी इस बात पर अग्रेतर विचार-विमर्श किया जाना है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां पर कोयला खानें हैं वहां बिजली घर बनाये जायें । हमारे मंत्रालय और योजना आयोग से ऐसा पता चलता है कि ऐसी योजना बहुत उद्देश्यपूर्ण और आवश्यक है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जहां पर, किन्हीं कारणों से, बिजली घर खानों के मुहानों से कुछ दूर बनाने का तै किया गया है, तो सरकार कोयले के परिवहन के बारे में रेलों के बोझ को हल्का करने के लिये क्या वैकल्पिक उपाय करेगी ? क्या वे पाइप-लाइन बनायेंगे या ऐसी ही कोई व्यवस्था करेंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमारे मंत्रालय की वह भी एक सिफारिश है कि रेलवे के परिवहन में कुछ भार हल्का करने के लिये हम कोयला खानों से ३० से ५० मील की दूरी तक पाइप-लाइन के जरिये या सड़क से या नदी द्वारा, यदि यह संभव है, ले जायें ।

मद्य निषेध

†*३५५. **श्री बसुमतारी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री ३१ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्य निषेध लागू करने के व्यय के बारे में राज्य सरकारों से माँगी गयी जानकारी प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	मद्य निषेध लागू करने पर वार्षिक व्यय
१.	मैसूर	३१.८९ लाख रुपये
२.	उत्तर प्रदेश	४.०० करोड़ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

३.	पश्चिम बंगाल . .	७५.०० लाख रुपये
४.	मध्य प्रदेश . . .	४०.०० लाख रुपये
५.	बिहार . . .	१.०० करोड़ रुपये
६.	केरल	४७.०० लाख रुपये

†**श्री बसुमतारी :** मद्य निषेध इस मद्य-निषेध योजना में राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार कितना कितना व्यय वहन करेगी ?

†**श्री दातार :** यह नया मामला है। राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि, आधी हानि के अतिरिक्त, उनको मद्य-निषेध योजना के लागू करने का वास्तविक व्यय दिया जाये।

†**श्री ब० कु० दास:** क्या उन राज्यों ने, जिनके नाम सूची में दिये गये हैं, मद्य-निषेध के कारण राजस्व की होने वाली हानि का अनुमान लगा लिया है ?

†**श्री दातार :** उन्होंने बताया है कि जितना राज्य सरकारों ने उपबन्ध किया है, वह पर्याप्त नहीं है और इसलिये कुछ और धन दिया जाना चाहिये। कई राज्यों ने हानि के बारे में पूरी क्षतिपूर्ति माँगी है।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो स्टेटमेंट माननीय मन्त्री जी ने सभा पटल पर रखा है, उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में चार करोड़ इस काम पर खर्च हुआ है जबकि दूसरे प्रान्तों में कहीं पर ७५ लाख कहीं ४० लाख और कहीं ३१ लाख ही खर्च हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चार करोड़ रुपया खर्च कैसे हो गया जबकि केवल ग्यारह जिलों में ही प्रोहिबिशन है और बाकियों में शराब की दूकानें बढ़ती जा रही हैं ?

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य स्थिति नहीं समझ हैं। राज्य सरकारें तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मद्य-निषेध लागू करना चाहती हैं। हमने उनको आबकारी राजस्व की हानि का आधा देने को कहा है। राज्य सरकारों ने बताया है कि वे यह कार्य तभी कर सकती हैं जबकि केन्द्रीय सरकार इसको लागू करने का पूरा व्यय वहन करे।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या सरकार ने यह मामला योजना आयोग को बता दिया है और क्या उन्होंने योजना आयोग से एक ऐसी निश्चित नीति बनाने को कहा है कि जिसके द्वारा एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार देश भर में मद्य-निषेध लागू किया जाये ?

†**श्री दातार :** उस पर केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति द्वारा राज्य और योजना आयोग के समन्वय से विचार किया जायेगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** यह पूर्ण मद्य-निषेध होगा या धीरे धीरे ?

†**श्री दातार :** यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में, योजना के दौरान धीरे धीरे लागू करके पूर्ण मद्य-निषेध होगा।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को पता है कि शराब की खपत इस वक्त पाँच गुना हो गई है और जो शराब बापू जी के समय में नापाक समझी जाती थी, वह अब पाक हो गई है और कांग्रेस की तरफ से कहीं भी शराब पर कोई रोक टोक नहीं है, कहीं पिकेटिंग वगैरह नहीं है इसलिये . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री यशपाल सिंह : शराबबन्दी के लिये सरकार क्या कर रही है ।

श्री त्यागी : प्रोहिबिशन के साथ साथ क्या गवर्नमेंट लोगों को एजूकेट करने पर इसके खिलाफ और टैम्परेंस पर भी कुछ खर्च कर रही है ?

†**श्री दातार :** शिक्षा द्वारा प्रचार भी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण से मालूम होता है कि सबसे अधिक हानि उत्तर प्रदेश सरकार को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक ही तरह का फार्मूला सब राज्यों पर लागू किया जा रहा है कि ५० प्रतिशत घाटा केन्द्रीय सरकार वहन करेगी । तो क्या उत्तर प्रदेश के घाटे की मात्रा को देखते हुए उस घाटा पूर्ति में कुछ और रियायत देने का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री दातार :** जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, लगभग ११ जिलों और चार तीर्थ स्थानों में से तीन में मद्य-निषेध लागू है । हमने उनसे निर्धारित कार्यक्रम तैयार करने को कहा है ताकि उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों में पूर्ण मद्य-निषेध हो जाये । इस प्रस्ताव की प्रतिक्रियास्वरूप, राज्य सरकार ने कहा है कि पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करे । इसके अतिरिक्त वे यह लागत भी चाहते हैं ।

उर्वरकों का उत्पादन

*३५६. **श्री प्र० क० देव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री मानसिंह पृ० पटेल :

क्या **इस्पात, और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ के अन्त तक तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल की समाप्ति तक उर्वरकों के उत्पादन के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) क्या ये दोनों लक्ष्य पूरे किये जा सकेंगे ;

(ग) क्या इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा जुटा ली गयी है ; और

(घ) यदि हाँ, तो किन-किन देशों से ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) **नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक**

१९६२–६३ के लक्ष्य	२००,००० टन
१९६५–६६ के लक्ष्य	८००,००० टन

(ख) सरकार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सभी सम्भव कदम उठा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सरकारी क्षेत्र में, एक को छोड़ कर, सभी उर्वरक परियोजनाओं के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर ली गयी है। गैर सरकारी क्षेत्र के लाइसेंस धारी वित्तीय सहयोग के लिये विदेशी पक्षों से बातचीत कर रहे हैं और अधिकांश मामलों में आशा की जाती है कि बातचीत अगले छः महीने में सन्तोषजनक ढंग से पूरी हो जायेगी।

(घ) सरकारी क्षेत्र की विदेशी मुद्रा की अवश्यकता को ब्रिटेन, जापान, अमरीका, पश्चिम जर्मनी और स्विटजरलैण्ड से प्राप्त ऋण से पूरा किया जा रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की आवश्यकताओं के अमरीका, कनाडा और हालैण्ड से पूरा किये जाने की सम्भावना है।

†**श्री प्र० क० देव** : विवरण से और इस विषय पर विभिन्न साहित्य से पता चलता है कि नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक के देशीय उत्पादन में बड़ी मात्रा में कमी हुई है। वास्तविक उत्पादन १४०,००० टन है। पिछले कार्य को देखते हुए, तृतीय योजना के अन्त तक क्या ८ लाख टनके लक्ष्य को पूरा करने की कोई सम्भावना है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : उस लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी सम्भावना है और उसके लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : हानिकारक उर्वरकों की मण्डी में शामिल होने को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हाल में हमें उर्वरकों में मिलावट करने की कुछ रिपोर्टें मिलीं। इसको रोकने के लिये राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठा रही हैं।

†**श्री मान सिंह पु० पटेल** : क्या इस उत्पादन से देश की माँग पूरी हो जायेगी ? यदि नहीं, तो निर्धारित कार्यक्रम का क्या स्वरूप है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हमने ८००,००० टन नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक और ४००,००० टन फोस्फेटयुक्त उर्वरक का कार्यक्रम बनाया है और यह आशा की जाती है इससे देश की माँग पूरी हो जायेगी। हम आशा करते हैं कि इस सब की खपत हो जायेगी क्योंकि कुछ क्षेत्रों में यह व्यक्त किया गया है कि यह मात्रा माँग से अधिक है। परन्तु मुझे विश्वास है कि इस सब को खपत हो जायेगी।

†**श्री काशी नाथ पांडे** : तृतीय योजना में गोरखपुर उर्वरक कारखाने का क्या उत्पादन-लक्ष्य है और क्या यह पूरा हो जायेगा, क्योंकि अभी तक कारखाना चालू नहीं हुआ है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : गोरखपुर कारखाने में ८०,००० टन नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक का उत्पादन होगा। इसको यथासम्भव शीघ्र चालू करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं; यह आशा की जाती है कि इसमें वर्ष १९६५ में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : कई मामलों की रिपोर्ट आयी है कि मिलावटी उर्वरक से फसल नष्ट हो गयी है। क्या सरकार ने सहकारी समितियों को उर्वरक देने के समय इनके परीक्षण के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह राज्य सरकारों का मामला है। जब हमारे सामने ये मामले आये तो हमने भी उनसे कहा और मुझे विश्वास है कि कदम उठाये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि वर्तमान कारखानों का कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं है ? जहाँ तक नये कारखानों का सम्बन्ध है, उनमें उत्पादन आरम्भ होने में विलम्ब हो रहा है। सिन्दरी में पिछले तीन वर्षों में उत्पादन में कमी हुई और नंगल में निर्धारित क्षमता की स्थापना में विलम्ब हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह प्रश्न पूछने की अपेक्षा जानकारी दे रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा प्रश्न है कि इन अनियमितताओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : सिन्दरी में उत्पादन में कमी हुई है । वहाँ पर कुछ मरम्मत करके उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, सिन्दरी कारखाना बहुत समय से चल रहा है। अब यह कुछ हद तक पुराना हो गया है। अन्य संयन्त्रों के बारे में, मुझे आशा है कि वे आरम्भ हो जायेंगे ।

†**श्री म० ना० स्वामी** : क्या तृतीय योजना के अन्त तक हम उर्वरकों में आत्म-निर्भर हो जायेंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हमारी आशा यह है कि आठ लाख टन नाइट्रोजनयुक्त और चार लाख टन फास्फेटयुक्त उर्वरक के उत्पादन से हम उस समय आत्म-निर्भर हो जायेंगे परन्तु उसका यह मतलब नहीं कि बाद में माँग अधिक नहीं होगी ।

गोआ में छोटे खान मालिकों की सहकारी समिति

†*३५७. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ प्रशासन से छोटे खान मालिकों की सहकारी समिति बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में किस प्रकार की सहायता दी जाने की सम्भावना है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) गोआ प्रशासन से अभी ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). जब भी कभी गोआ प्रशासन से ऐसा विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होगा सरकार इस पर गुणावगुण के आधार पर और सहकारी संगठन की और सरकार की कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए विचार करेगी ।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : क्या मैं यह जान सकता हूं कि कोआपरेटिव सोसायटी वहां बनी भी है या नहीं ? और अगर नहीं बनी तब यह प्रपोजल कसे आया आप के पास ?

अध्यक्ष महोदय : प्रपोजल पहले आय तब बने या पहले बने और तब प्रपोजल आये ?

श्री बिशन चन्द्र सेठ : गुजारिश यह है कि अगर नहीं बनी तब यह सवाल पदा ही नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : यही बात मैं ने कही थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खान और ईंधन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री हजरनवीस) : कोग्रापरेटिव सोसायटी जब बनेगी तब इस के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा ।

जैसलमेर में तेल की खोज

†*३५८. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रेंच पेट्रोलियम इन्स्टीट्यूट ने जसलमेर क्षेत्र में तेल की खोज का कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) कितने कुएं खोदे गये हैं; और

(ग) क्या अब तक कोई परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जैसलमेर क्षेत्र में भूतत्वीय मापीकरण और ग्रेविटी चम्बकीय सर्वेक्षण किये गये हैं । कार्य की ओर प्रावस्थाओं के लिये फ्रेंच पेट्रोलियम इन्स्टीट्यूट का सहयोग प्राप्त किया गया है । आयोग और फ्रेंच पेट्रोलियम इन्स्टीट्यूट के विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध भूतत्वीय और भूभौतिकीय आंकड़ों की परीक्षा के बाद सितम्बर, १९६२ में भूकम्पीय सर्वेक्षण के लिये आगे कार्य किया जायेगा । भूकम्पीय सर्वेक्षण का परिणाम प्राप्त होने पर ही तीसरी प्रावस्था, अर्थात् कुओं का छिद्रण किया जा सकेगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस संस्था के साथ कोई संविदा किया गया है और यदि हां, तो यह स्टैनवैक और अन्यों से किस प्रकार भिन्न है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : फ्रेंच पेट्रोलियम इन्स्टीच्यूट के विशेषज्ञ यहां तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिये ठेकेदार के रूप में काम कर रहे हैं । उन्हें वह सब कार्य करना होगा, जो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग उनसे करायेगा । उनके परामर्शदाता भी हैं और हम उनकी तकनीकी राय भी लग . जहां तक स्टैण्डर्ड वैक्यूम और अन्य तेल समवायों का सम्बन्ध है, उनका कार्य और कृत्य करार और साझेदारी के आधार पर चल रहा है । अतः दोनों भिन्न हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : इस परियोजना में कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी और उसको किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जैसलमेर परियोजना पर विदेशी मुद्रा को फ्रांस सरकार द्वारा दिये गये ऋण से पूरा किया जायेगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : फ्रेंच पेट्रोलियम इन्स्टीच्यूट इन कार्यों को केवल जैसलमेर क्षेत्र में ही करेगा या राजस्थान के अन्य भागों में भी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : केवल जैसलमेर क्षेत्र में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भगवत झा आजाद** : अब तक किये गये सर्वेक्षणों और खोज के परिणामस्वरूप क्या मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में अग्रेतर कार्यवाही के लिये उपपत्तियां प्रेरणाजनक रही हैं ?

श्री के० दे० मालवीय : जी, हां। परिणाम काफी प्रोत्साहक रहे हैं कि हम आगे बढ़ें।

†**श्री प० ला० बारूपाल** : मैं ने यह सुना है कि जैसलमेर के अलावा बीकानेर जिले के पूगल क्षेत्र में भी पेट्रोल निकलने की सम्भावना है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कुछ कार्रवाई की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब उन्होंने दे दिया कि यह सिर्फ जैसलमेर के बारे में है।

लक्ष्मी बक तथा पलाई बैंक के खात दारों को भुगतान

†*३५९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाई और लक्ष्मी बैंक के सभी खातेदारों को इस बीच भुगतान कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अभी कुल कितने लोगों को भुगतान किया जाना है ?

†**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** :(क) और (ख). पलाई सेन्ट्रल बैंक के सभी खातेदारों को २५० रुपये तक का प्राथमिक भुगतान और बाकी रकम का ४० प्रतिशत प्रथम लाभांश के रूप में दिया जा चुका है। गैर-दावे वाली धनराशि कम्पनी के समापन लेखे में लिखने के लिये रक्षित बैंक को दे दी गयी है। लक्ष्मी बैंक के सम्बन्ध में १७,५३८ सेविंग बैंक के खातेदारों को २५० रुपये तक का प्राथमिक भुगतान कर दिया गया है। अन्य प्राथमिकता खातेदारों को २७ अगस्त, १९६२ से भुगतान किये जाने की आशा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मंत्री महोदय ने बतलाया कि जिस रकम का किसी ने दावा नहीं किया, वह रक्षित बैंक में जमा करा दी गयी है। ऐसे दावों की क्या संख्या है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे संख्या का पता नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इसके बारे में खातेदारों को सूचित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : सभी सामान्य कदम उठाये जाते हैं। इसको प्रकाशित किया गया था और सारे देश को इसका पता है। मैं समझता हूं कि यदि दावेदार होते तो अवश्य दावा करते।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर**: क्या सरकार पलाई बैंक के डाइरेक्टरों पर, उस राशि को देने के लिये जिसका उन्होंने गबन किया है, दबाव डालने के लिये कोई कदम उठायेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : उस दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं।

डा० मा० श्री अणे : लक्ष्मी बैंक के खातेदारों की क्या संख्या है जिनको अभी भुगतान नहीं किया गया है और कुल कितनी रकम है ?

---

†मूल अंग्रेजी में.

†**श्री ब० रा० भगत :** लक्ष्मी बैंक के बारे में, खातेदारों की कुल संख्या ४०,००० है जिसमें से १७,५३८ छोटे खातेदार हैं और उनको भुगतान कर दिया गया है। बाकी को इस महीने की २७ तारीख से भुगतान करना आरम्भ किया जायेगा। उनको देय राशि के बारे में, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** खातेदारों को कब तक जमा की गयी पूरी रकम या लगभग पूरी रकम मिल जायेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह उन वसूल की जाने वाली आस्तियों पर निर्भर है। यदि हम सभी आस्तियां वसूल कर सकें तो हम अधिक प्रतिशत भुगतान कर सकेंगे परन्तु मैं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं है।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा :** पिछले सत्र में पलाई बैंक की चल और अचल सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त धनराशि के आंकड़े सदन में बताये गये थे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उसके बाद कोई रकम वसूल की गयी है और क्या खातेदारों को और लाभांश दिये जाने की कोई संभावना है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** अब तक हम ने ६,११,३१,९५९ रुपये वसूल किये हैं। लगभग सभी चल सम्पत्ति वसूल कर ली गयी है और अधिकांश अचल सम्पत्ति बेच दी गयी है। थोड़ी सी अचल सम्पत्ति रहती है। परन्तु इस बैंक द्वारा दिये गये ऋण वसूल नहीं किये जा सके हैं और उनको बसूल करने के लिये प्रयत्न किये जायेंगे।

श्री अचल सिंह : अनक्लेम्ड पेमेंट जितना है वह रिजर्व बैंक को क्यों दिया गया, क्यों नहीं लेनदारों को दिया गया ?

श्री ब० रा० भगत : अनक्लेम्ड की संख्या, जैसा मैंने अभी बताया, मेरे पास नहीं है।

भारतीय प्रशासन सेवा के लिये सीमित परीक्षा

†*३६०. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासन सेवा में भर्ती के लिये सीमित प्रतियोगिता के आधार पर परीक्षा लेने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). सरकार इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** इस मामले में क्या गृह-कार्य मंत्रालय द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कार्य करेगा या मंत्रालय द्वारा कोई नये प्रस्ताव बनाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** हम इस योजना पर वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार विचार कर रहे हैं। कुछ थोड़े परिवर्तन हो सकते हैं परन्तु यह अधिकांशतः वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित होगा।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** जब यह परीक्षा होगी तो क्या इसमें उन लोगों को बैठने दिया जायेगा जो इस समय आयु प्रतिबन्ध नियमों के अधीन पात्र हैं और बाद में, यदि इसमें काफी विलम्ब हो गया तो, जो आयु-सीमा पार कर जायें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक काल्पनिक प्रश्न है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी, हां माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें ।

डा० गोविन्द दास : जहां तक इस प्रकार की परीक्षाओं का सम्बन्ध है, सरकार एक नीति घोषित कर चुकी है कि माध्यम वैकल्पिक रूप से हिन्दी भी रखा जायेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब जब यह प्रश्न पूछा जाता है तब तब यह क्यों कहा जाता है कि इस सम्बन्ध में कोई समय निश्चित नहीं हुआ है, और यह कब तक आशा की जा सकती है कि सरकारी नौकरियों के लिए हिन्दी भी वकल्पिक रूप से परीक्षा का माध्यम रखा जाये ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह तो प्रश्न ही दूसरा है । इसका हिन्दी या अंग्रेजी के माध्यम से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस परीक्षा को सीमित (लिमिटेड) करने का उद्देश्य क्या है, और कौन से सरकारी कर्मचारी इस प्रतियोगिता में बैठ सकेंगे ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : असल में तो आल इंडिया सरविसेज के लिए यूनियन पबलिक सरविस कमीशन द्वारा परीक्षा ली जाती है, लेकिन क्योंकि फिर भी हमारे यहां सरविसेज में बहुत जगहें खाली रहती हैं, इसलिए यह सीमित परीक्षा रखी गयी है । हमने सोचा कि इस प्रकार इन जगहों को पूरा किया जाये । होगी तो यह परीक्षा भी यू० पी० एस० सी० द्वारा, लेकिन इसके द्वारा हम उन लोगों को भी, जो भिन्न भिन्न विभागों में काम करते हैं, मौका देना चाहते हैं ।

स्कूलों म दोपहर का भोजन

+

†*३६१. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दाजी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना समाप्त कर देने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : किन राज्यों में दोपहर का भोजन दिया जा रहा है और यह व्यय पूरा का पूरा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है या उसमें केन्द्रीय सरकार अंशदान करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जिन राज्यों में मुफ्त भोजन वितरण की व्यवस्था है, उनके नाम हैं : आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, केरल, लक्कदीव, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। हमें 'केयर' और 'यूनिसेफ़' जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी सहायता मिल रही है। यदि यह योजना राज्य की योजना में शामिल की जाती है तो केन्द्रीय सरकार भी कुछ सहायता करती है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि पश्चिम बंगाल में बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। जहां तक मुझे पता है, पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी दोपहर का भोजन नहीं दिया जा रहा है। मंत्री महोदय को यह कैसे पता चला कि पश्चिम बंगाल में दोपहर का भोजन दिया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह मंत्री महोदय द्वारा दी गयी जानकारी को चुनौती देते हैं तो उन्हें वह जानकारी नहीं पूछनी चाहिये।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है ५० प्रतिशत व्यय स्थानीय रूप से वहन किया जायेगा और ५० प्रतिशत राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ? यदि ऐसा है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से जो सहायता मिलेगी, क्या वह उस ५० प्रतिशत के अतिरिक्त होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : योजना प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है और कोई समान आधार नहीं है। जैसा मैंने कहा, यदि राज्य सरकारें इस योजना को राज्य योजना में शामिल करें, तो उन्हें अन्य योजनाओं की तरह केन्द्रीय सहायता मिल सकती है।

†**श्री दाजी** : क्या सरकार को पता है कि योजना बहुत धीरे धीरे चल रही है और यह देखने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह योजना सभी बच्चों अथवा अधिकांश बच्चों पर लागू हो ?

†**डा० का०ला० श्रीमाली** : इस समय लगभग ७ लाख बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जा रहा है और हमें आशा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग १ करोड़ बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जायेगा। यदि उन बच्चों की संख्या को देखें, जिन्हें भोजन दिया जा रहा है तो प्रगति धीमी है। हम इस बात के लिये भी इच्छुक हैं कि हम पूर्णतः विदेशी मुद्रा पर निर्भर न रहें। हम इस कार्यक्रम में समाज को भी भाग लेने देना चाहते हैं और कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाने के लिये हर संभव उपाय किये जा रहे हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : अभी जो मंत्री महोदय ने आंकड़े दिये हैं, उनसे पता चलता है कि यह योजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस योजना को सभी बच्चों पर लागू करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : योजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। जैसा मैंने बताया, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारा लक्ष्य १ करोड़ बच्चों का है और इस समय ७ लाख बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। जैसे ही योजना आगे बढ़ती

---

†मूल अंग्रेजी में

है, इसमें बच्चों की संख्या में अधिक वृद्धि होती रहगी । उसी समय, जैसा मैंने बताया, सरकार यह भी चाहती है कि इसमें समाज भी भाग ले । और इस मामले में प्रगति धीमी होनी ही है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मध्याह्न भोजन की जो योजना चलायी जा रही है इस के बारे में यह आम धारणा है कि इसका वास्तविक बोझा संरक्षकों अर्थात् गार्जियन्स पर पड़ेगा । मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें इसमें कितना हाथ बंटाने जा रही हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इसका उत्तर तो मैं दे चुका हूं ।

†**श्री त्यागी :** समूची योजना पर कुल कितना व्यय होगा ? राष्ट्र की इतनी ऋणिता देखते हुए यह योजना कहां तक उचित है ? जब इस रकम से कुछ हजार नये स्कूल खोले जा सकते हैं, तो हम इस प्रकार बच्चों को, जब वे भूखों नहीं मर रहे हैं, भोजन क्यों दे रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** दोपहर के भोजन पर व्यय उचित है । वास्तव में हमारे पास अधिक निधि है, हम देश में अधिक बच्चों को भोजन देना चाहेंगे । राष्ट्र का स्वास्थ्य हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर निर्भर है । हमारी उत्पादिता भी अधिकतर भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य पर निर्भर है । अत: सरकार इस कार्यक्रम को तीव्र करना चाहती है । हमारी कठिनाई केवल वित्त की है । यदि हमारे पास अधिक निधि है, तो हम योजना को बढ़ाना चाहेंगे । इस बारे में मैं उनसे सहमत नहीं हूं ।

†**श्री त्यागी :** मैं भी उनसे सहमत नहीं हूं । उन्होंने मेरे प्रश्न का पूर्णत: उत्तर नहीं दिया है । इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** इस मामले पर रेणुका राय समिति ने विचार किया था । यदि हम इसमें ५ करोड़ बच्चे शामिल करें तो तृतीय योजना में सरकार को १४४ करोड़ रुपये व्यय करने होंगे । यह निर्धारित कार्यक्रम है । हमने आरम्भ थोड़े से ही किया है । यदि हमें और धन मिल जाये तो हम योजना का विस्तार करेंगे ।

†**श्री यलमंदा रेड्डी :** प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवंटन कितना है ? क्या यह बहुत कम नहीं है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** दूसरी ओर त्यागी जैसे मित्र हैं जो कहते हैं कि यह अपव्यय है.....

†**श्री दाजी :** वह एक अपवाद हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** आरम्भ सदैव थोड़े से होता है । हमें इसकी सराहना करनी चाहिये ।

†**श्रीमती सरोजनी महिषी :** क्या यह सच है कि दोपहर के भोजन की योजना स्कूलों में इस कारण ठीक ढंग से नहीं चलाई जा सकती कि इस योजना के लिये अपेक्षित निधि समय पर नहीं मिलती परन्तु वर्ष के अन्त में मिलती है ?

†**डा० का ० ला० श्रीमाली :** जी, नहीं ।

†**श्री विभूति मिश्र :** क्या प्रोफेसर महालेनोविस ने यह सुझाव दिया है कि इस योजना को कार्यान्वित करने में सरकार के ३०० करोड़ रुपये खर्च होंगे जिसको कि वहन करना उसके लिए असम्भव है और इसलिए सरकार को इस स्कीम को छोड़ देना चाहिए ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी नहीं यह किसी ने नहीं कहा कि स्कीम को छोड़ देना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं है कि प्रोफेसर महालनोविस ने यह राय व्यक्त की है कि इस समय दोपहर का भोजन देने से भविष्य में बच्चे भूखों मरेंगे और इस लिये इन ३०० करोड़ रुपयों को भोजन न देकर किसी अन्य कार्य में खर्च करना चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह तर्क कर रहे हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि दोपहर के भोजन की लागत दो आना प्रति बच्चा आती है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस राशि में वृद्धि करेगी क्योंकि दो आना में चने के अलावा कुछ नहीं मिल सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये दो आने पर्याप्त है या नहीं ।

†**श्री काशी राम गुप्त** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की तरफ गया है कि इस सारी योजना को कार्यान्वित करने के लिए ३०० करोड़ रुपये चाहिएं और प्रोफेसर महालेनोविस ने जो अपनी राय प्रकट की है और जो कि अखबार में निकली है कि यह प्राथमिकता की चीजें नहीं हैं और इन योजनाओं को अमल में न लाना चाहिए । क्या सरकार उनके इस विचार से सहमत है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो चाहा कहा है ।

†**श्री त्यागी** : क्या आप इस प्रश्न पर चर्चा करने की अनुमति देंगे ? क्योंकि काफी सदस्य यह समझते हैं कि यह धन की बर्बादी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि मुझे उचित रूप से इसकी सूचना मिले, तो मैं इस पर विचार करूंगा ।

†**श्री त्यागी** : धन की बर्बादी हम कब तक सहन कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर मैं क्या करूं ? यदि वह बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

निर्वाचन याचिकायें

*३६४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक-सभा और राज्य विधान सभाओं के गत चुनावों के सिलसिले में दायर की गई कुल निर्वाचन याचिकाओं में से कितनी याचिकायें स्वीकार की गई और कितनी याचिकाओं को रद्द कर दिया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि पंजाब में दायर की गई निर्वाचन याचिकाओं के बारे में आवेदन पत्र मिले थे जिनमें यह प्रार्थना की गई थी कि पंजाब से बाहर के न्यायाधीशों को इन याचिकाओं को सुनने के लिए नियुक्ति किया जाये ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये ; और

(घ) क्या सरकार ने इन याचिकाओं के शीघ्र निबटाये जाने के बारे में कोई आदेश जारी किये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) लोक सभा के गत आम चुनावों की बाबत ४६ निर्वाचन याचिकायें निर्वाचन आयोग में कीं गईं। इन में ४ याचिकायें निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दीं और शेष ४२ याचिकायें निर्वाचन न्यायाधिकरणों को भेज दी गई हैं। राज्य विधान मण्डलों के आम चुनावों की बाबत आंकड़े इस प्रकार हैं,—विधान सभाओं के सम्बन्ध में ३०९ याचिकायें पेश की गईं, जिनमें से १४ निर्वाचन आयोग द्वारा खारिज कर दी गईं और २९५ निर्वाचन न्यायाधिकरणों को भेज दी गई।

(ख) जी हां। ऐसे ९ आवेदन निर्वाचन आयोग से किये गये थे।

(ग) सात आवेदन मंजूर कर लिये गये और निर्वाचन याचिकाओं की जांच के लिये इलाहबाद उच्च न्यायालय के दो सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को निर्वाचन न्यायाधिकरणों के रूप में नियुक्त किया गया है।

(घ) जी नहीं। सरकार निर्वाचन न्यायाधिकरणों को हिदायतें देने के लिये सक्षम नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पिछले अनुभवों के आधार पर जो यह जानकारी है कि निर्वाचन याचिकाओं के निबटाने में अगले निर्वाचन आ जाते हैं और पिछली चुनाव याचिकाओं का निर्णय नहीं हो पाता है तो क्या विधि मंत्रालय ने इस बार इस प्रकार के कोई निर्देश दिये हैं कि जिन लोगों ने अपनी चुनाव याचिकाएं दायर की हैं उनके लिए कुछ अवधि निर्धारित की जाय कि कब तक उनका निर्णय हो जायगा ?

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : जहां तक न्यायाधिकरण का सम्बन्ध है, लोक प्रतिनिधित्व में उपबन्ध पहले ही किया गया है कि चुनाव याचिका सामान्यतः छः महीने के भीतर निबटा दी जानी चाहिये। उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में अपील के निबटारे के लिये तीन महीने की अवधि विहित की गयी है। चुनाव आयोग को न्यायाधिकरणों से समय-समय पर प्रतिवेदन प्राप्त होता है और वह प्रत्येक चुनाव याचिका की प्रगति की जांच करता है। जब कभी वह देखता है कि याचिका के निबटारे में विलम्ब हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय से सम्बन्धित जिला न्यायाधीश को अन्य कामों से मुक्त करने और याचिका को जल्दी निबटाने के लिये कहता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पंजाब से जो इस प्रकार के आवेदन पत्र एलेक्शन कमिशन को प्राप्त हुए कि हमारी याचिकाओं के निर्णय करने के लिए पंजाब से बाहर के जज नियत किये जायें और जहां तक मेरी जानकारी है कि कुछ पर तो इस प्रकार का निर्णय लिया गया लेकिन शेष के ऊपर इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : वही तो उन्होंने बतलाया कि सात पर लिया गया और बाकी पर नहीं लिया गया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उन पर क्यों नहीं लिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उस ट्रिब्युनल की मर्जी थी। ९ ने दरख्वास्त दी ७, मंजूर हुई और बाहर से दो हाईकोर्ट के जज मंगवाये गये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि १९५७ के और १९६१ के भी आम चुनाव सम्बन्धी कुछ याचिकायें अभी अनिर्णीत हैं। ऐसी याचिकाएं कितनी हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सवाल तो इस एलेक्शन के सम्बन्ध में है कि इसमें कितनी की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन** : सरकार ने हाल में जो मूल्यांकन किया है क्या उनके अनुसार कोई ऐसी याचिकायें न्यायाधिकरण के समक्ष हैं जिनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है ?

†**श्री विभुवेन्द्र मिश्र** : जी, नहीं ।

†**श्री प्र० क० देव** : अधिकांश चुनाव याचिकाओं में चुनाव आयोग द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना देने में विलम्ब होता है किन्तु केन्द्रपाड़ा में .....

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं कर सकते । माननीय उपमंत्री ने लोकप्रतिनिधित्व में विहित की गई अवधि बता दी है ।

†**श्री रे० वैंकटासुब्बया** : ऐसी धारणा है कि सभी चुनाव याचिकायें निबटाने के लिये अन्य राज्यों के न्यायाधीशों को चुनाव न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिये । यदि हां, तो क्या सरकार चुनाव आयोग को इस सम्बन्ध में निदेश देने का इरादा रखती है ?

†**श्री विभुवेन्द्र मिश्र**: कुछ मामलों में चुनाव आयोग स्वविवेक से राज्य के बाहर के किसी न्यायाधीश को नियुक्त करता है बशर्ते कि उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक हो । किन्तु ऐसा सभी मामलों में तो नहीं किया जा सकता ।

श्री भक्त दर्शन: श्रीमन्, क्या कोई केस ऐसा भी है जो कि सन् ५७ के आम चुनावों से सम्बन्ध रखता है और उसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल दूसरा है इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

तेल क्षेत्रों और आसाम रिफाइनरी के बीच पाइपलाइन

+

†*३६७. { **श्री मु० रारका** :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल क्षेत्रों और आसाम रिफाइनरी (तेल शोधक कारखाने) के बीच अशोधित तेल (क्रूड आयल) की पाइपलाइन पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो पाइपलाइनों पर कुल कितनी रकम खर्च की गयी है और दूसरे देशों में आने वाली लागत की तुलना में वह कम है या अधिक ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) नहरकटिया से बरौनी के बीच पूरी पाइपलाइन पर (जिसमें पम्प स्टेशन आदि की लागत शामिल है) अनुमानतः ४१.३६ करोड़ रुपया व्यय होगा । इस बात को देखते हुए कि यह पाइपलाइन ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र से गुजरेगी और कई नदियों को पार करेगी तथा काफी सामान आदि आयात करना पड़ा, इस पाइपलाइन पर होने वाला व्यय अन्य देशों में आने वाली लागत की तुलना में ठीक बैठता है ।

†**श्री मु० रारका** : क्या माननीय बता सकते हैं कि अन्य देशों में पाइपलाइन डालने पर प्रति मील कितना खर्च बैठता है और यहां कितना होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, किन्तु पूरी जानकारी नहीं है। इराक में, जहां ३० इंच व्यास वाली ५५५ मील लम्बी पाइपलाइन है प्रति मील २,०६,००० डालर खर्च हुए हैं। इसमें पम्पिंग स्टेशनों की लागत भी शामिल है। इंडियन आइल कम्पनी के मामले में १६ इंच व्यास वाली ७२०मील लम्बी लाइन पर, जिसमें पम्पिग स्टेशन शामिल हैं, प्रति मील १२०,००० डालर खर्च हुए हैं। मेरे पास सउदी अरेबिया, लेबनान, अमरीका और कनाडा के आंकड़े भी हैं।

इस सम्बन्ध में एक बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि यह पूरी पाइपलाइन आसाम में कोई ७८ नदियों को, जिनमें ब्रह्मपुत्र जैसी नदी भी शामिल है, पार करती है। इसके अलावा लगभग १३५ रेलवे क्रासिंग तथा सड़कों के क्रासिंग भी हैं।

†**श्री मुरारका** : इस पाइपलाइन का कौनसा सामान भारत में अर्थात रूरकेला में बनाया गया है और कौनसा आयात किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जब पाइपलाइन का निर्माण आरम्भ हुआ तब रूरकेला में पाइपलाइन संयंत्र स्थापित नहीं किया गया था। इसलिये लगभग १४,००० से लेकर ३०,००० टन आयात करना पड़ा। इसके बाद सभी पाइप रूरकेला से प्राप्त किये गये। किन्तु, बूस्टर और रेडिया कम्यनिकेटर बाहर से मंगाये गये और इसका ठेका भी बर्मा आइल कम्पनी की सहायक शाखा को दिया गया था।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या पाइपलाइन के जरिये तेल ले जाने का खर्च अन्य तरीके से तेल जाने के व्यय के कम होगा और क्या वह इस परियोजना की अनुमित लागत के अनुसार है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : एक वशिष्ट मात्रा में तेल ले जाने पर पाइपलाइन से तेल ले जाना रेल से ले जाने की अपेक्षा अधिक सस्ता होता है। यदि ३५ लाख टन तेल को पाइपलाइन से ले जाने के खर्च का हिसाब लगाया जाये तो यह खर्च रेल के खर्च की अपेक्षा कम होगा।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : इस पाइपलाइन के निर्माण में कितनी प्रविधिक जानकारी विदेशी और कितनी भारतीय है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जब इस पाइपलाइन का निर्माण कुछ वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया था तब हमें पाइपलाइन के डिज़ाइनिंग और निर्माण की विशेष जानकारी नहीं थी ? अब हमें उसकी कुछ अधिक जानकारी है। हम अब देश भर में पाइपलाइन डाल रहे हैं। अब विदेशी प्रविधिज्ञों और उनके सहायकों की संख्या बर्मा आइल कम्पनी के मामले में नियुक्त ऐसे लोगों से शायद कम होगी।

†**श्री सोनावने** : इस पाइपलाइन के रखरखाव पर प्रति वर्ष कितना आवर्तक व्यय होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे इस प्रश्न की सूचना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि इस पाइपलाइन को डालने में असाधारण विलम्ब हुआ है क्योंकि मंत्री महोदय द्वारा बताये गये कारणों के अलावा सरकार ने समय रहते पाइपलाइन डालने के लिये भूमि का अधिग्रहण नहीं किया ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, नहीं। इस योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के मुख्य कारण १९६१ में हुई असाधारण बर्षा और ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के कारण परिवहन में उत्पन्न हुई कठिनाइयां हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या सरकार द्वारा समय पर भूमि का अधिग्रहण न करना भी एक कारण है !

†**श्री के० डे० मालवीय** : मैं कह नहीं सकता कि इसके फलस्वरूप कितना विलम्ब हुआ है।

†**श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या यह सच है कि इस पाइपलाइन के निर्माण के फलस्वरूप आसाम राज्य की रायल्टी कम हो जाती है !

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कृ० चं० पन्त ।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : क्या यह पाइपलाइन गौहाटी तेलशोधन कारखाने में बनी अन्य वस्तुएं भी ले जायेगी ? क्या यह योजना बहुउद्देशीय है ?

†**श्री के० डे० मालवीय** : जी, नहीं । अशोधित तेल की पाइपलाइन और वस्तुएं नहीं ले जा सकती ।

त्रिपुरा की सीमा पर पाकिस्तानी सेनायें

+

*३६९. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री भागवत झा आजाद ।

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १८ जून, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा त्रिपुरा की सीमा पर अपने सैनिकों का जमाव किये जान के बारे में स्थानीय अधिकारियों की बातचीत का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) अब वहां कैसी स्थिति है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) (क) : त्रिपुरा के ज़िला न्यायाधीश ने चिटागांव के डिपुटी कमिश्नर से मुलाकात की, परन्तु बिना किसी निश्चयात्मक परिणाम के ।

(ख) स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या पाकिस्तान सरकार ने त्रिपुरा की सीमा पर इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों का जमाव करने का कोई कारण बताया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : यह क्षेत्र एक विवादग्रस्त क्षेत्र है । किन्तु इसके सम्बन्ध में करार हुआ था कि दोनों पक्ष उसके प्रशासन में दखल न देंगे । इसके पश्चात पाकिस्तानियों ने उसका प्रशासन आरम्भ कर दिया और उसके फलस्वरूप हमने जलैया स्थित असैनिक चौकी को सुदृढ़ बनाया । उसे सहायता देने के लिये पहले आसाम राइफल्ज़ का एक प्लाटून रखा गया था किन्तु अब उसे अधिक सहायता दी जा रही है । आज भी वहां नियमित रूप से सैनिक तैनात नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान अपने सैनिकों का जमाव क्यों कर रहा है यह हम नहीं कह सकते किन्तु उसने विवादग्रस्त क्षेत्र विषयक करार का उल्लंघन किया है । हम भी स्वीकार करते हैं कि यह क्षेत्र पिछले ३० वर्ष से विवादग्रस्त है ।

†**श्री भक्त दर्शन :** यह प्रश्न स्थानीय अधिकारियों को क्यों सौंपा गया ? सरकार ने उसे अपने स्तर पर क्यों नहीं उठाया ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** सीमा सम्बन्धी विवादों में पहला कदम यही होता है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या यह सच है कि जब से हम ने पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस जमाव की ओर दिलाया है उसने तनाव को कम करने के बजाय जमाव को बढ़ाना शुरू कर दिया है?

†**श्री कृष्ण मेनन :** इस बात की ओर उसका ध्यान ही नहीं दिलाया गया वरन् कुछ बातचीत भी हुई है । जहाँ तक तनाव का सम्बन्ध है, जब कभी वह जमाव करता है, हम अपनी तरफ से आवश्यक कार्यवाही करते हैं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या यह मामला हाल में ढाका में मुख्य सचिवों के सम्मेलन में, जहाँ त्रिपुरा का मुख्य सचिव भी उपस्थित था, उठाया गया था ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जी, हाँ । ढाका में इस वर्ष १ और २ अगस्त को पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा के मुख्य सचिव तथा पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी । किन्तु बैठक की कार्यवाही का विवरण अभी वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में प्राप्त हुआ इसलिये यह ज्ञात नहीं कि इस प्रश्न पर क्या चर्चा हुई और उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** श्रीमन्, औचित्य के प्रश्न पर मेरा निवेदन है कि अभी हाल में प्रधान मंत्री ने बताया था कि यह प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और सरकार उसका अध्ययन कर रही है । मैंने अखबारों में भी पढ़ा कि आसाम के मुख्य सचिव का प्रतिवेदन राज्य विधान-सभा पटल पर रखा गया । किन्तु, यहाँ हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती । सरकारी विभागों के बीच कोई समन्वय नहीं जान पड़ता ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** यह जानकारी देना लोक हित में नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने कहा कि प्रतिवेदन आसाम विधान-सभा के पटल पर रखा गया है ।

†**श्री कृष्ण मेनन :** हो सकता है कि इस मामले में समन्वय का कुछ अभाव रहा हो । एक ओर यह राजनीतिक निर्णय है और दूसरी ओर सैनिकों का जमाव किया गया है । मैं निश्चित रूप से नहीं कहूंगा कि ऐसी बात नहीं है । किन्तु जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है, मुझे सन्देह है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने त्रिपुरा–पूर्व पाकिस्तान की सीमा पर सैनिकों का जमाव कोई ५०,००० पाकिस्तानी नागरिकों को, जो त्रिपुरा में अवैध रूप से आ गये हैं, वापस आने से रोकने के लिये, किया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से जानकारी प्राप्त की है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकार की राय वही है जो प्रतिरक्षा मंत्री ने व्यक्त की है । माननीय सदस्य उसे अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुग्रा :** लोगों के मन में आशंका है कि चूंकि ५०,००० पाकिस्तानी नागरिक . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है। पाकिस्तान का ख्याल क्या है यह कोई नहीं बता सकता।

†**श्री हेम बरुग्रा :** मैंने तो यह पूछा था कि क्या पाकिस्तान ने यह जमाव पाकिस्तानी नागरिकों को वापस ग्राने से रोकने के लिये किया है और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान से जानकारी प्राप्त की है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जी, नहीं। सब से बड़ी बात यह है कि उसने इस विवादग्रस्त क्षेत्र सम्बन्धी करार का उल्लंघन किया है और उसके फलस्वरूप कुछ कार्यवाही की गयी है। पाकिस्तान का इरादा क्या है यह नहीं कहा जा सकता। हम ने उसकी कार्यवाही का विरोध किया है और अन्य कार्यवाही भी की है। त्रिपुरा–पूर्व पाकिस्तान सीमा का नियंत्रण सेना को सौंप दिया गया है। इस समय वहाँ ग्रासाम राइफल्स की एक बटैलियन है और बिहार तथा त्रिपुरा की सीमा पुलिस वहाँ तैनात कर दी गयी है। वहाँ सैनिक तो नहीं हैं किन्तु ग्रावश्यक हुग्रा तो उन्हें वहाँ तैनात कर दिया जायेगा।

†**श्री हेम बरुग्रा :** श्रीमन्, ग्रौचित्य के प्रश्न पर मेरा निवेदन है कि प्रतिरक्षा मंत्री बार-बार यह दलील दे रहे हैं कि वह क्षेत्र विवाद-ग्रस्त है जब कि जहाँ तक मूझे स्मरण है सदन में बताया गया था पूरा त्रिपुरा–पूर्व पाकिस्तान सीमा क्षेत्र विवादग्रस्त नहीं है। इसलिये मूझे प्रधान मंत्री ग्रौर प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा दी गई जानकारी में कुछ ग्रन्तर प्रतीत होता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस में ग्रौचित्य का क्या प्रश्न है ? मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि जब तक उनका समाधान न हो जाय कि ग्रौचित्य का प्रश्न वास्तव में उत्पन्न होता है उन्हें ग्रौचित्य का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये। किन्तु, व मेरी बात पर गौर ही नहीं करते।

†**श्री हेम बरुग्रा :** श्रीमन्, दो वक्तव्यों में ग्रन्तर . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** इस में ग्रौचित्य का कोई प्रश्न नहीं है। वह तो नियम, विनियम ग्रादि के बारे में उत्पन्न होता है जिसके लिये मेरा निर्णय ग्रावश्यक होता है।

ग्रन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर ग्रभियान

+

†*३७०. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री डी० चं० शर्मा :
श्री रवीन्द्र वर्मा : }

क्या **वैज्ञानिक ग्रनुसन्धान ग्रौर सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर ग्रभियान द्वारा किये जा रहे हिन्द महासागर सम्बन्धी ग्रध्ययन में भारतीय जहाज़ भी भाग ले रहे हैं; ग्रौर

(ख) भारत सरकार तथा केरल, मद्रास ग्रौर ग्रान्ध्र विश्वविद्यालय ग्रभियान को क्या सुविधायें दे रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) जी, हाँ। चार जहाज़ भाग ले रहे हैं।

(ख) भारत सरकार ने धन, समूद्री जहाज़ और कर्मचारी, सामान तथा अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिकों की सुविधायें दी हैं। केरल, मद्रास और आन्ध्र विश्वविद्यालय अपने कुछ अनुसंधान कार्यकर्ता भेज रहे हैं। जो चार जहाज़ भाग ले रहे हैं उन में से एक केरल विश्वविद्यालय का है जो प्राणि-शास्त्र सम्बन्धी नमुनों को रखने के लिये एक केन्द्र की स्थापना के लिये स्थान भी दे रहा है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि इस में हिन्दुस्तानी एक्सपर्ट कितने भाग लेंगे और इसके ऊपर सरकार क्या खर्च करेगी ?

श्री हुमायूं कबिर : कितने भाग लेंगे यह कहना तो मूश्किल है। यह प्रोग्राम बढ़ता जा रहा है। अभी भी काफी आदमी काम कर रहे हैं। एक रशियन शिप है, उसमें छः इंडियन एक्सपर्ट हैं। एक कमेटी बिठाई गई है वह काम कर रही है। जहाँ तक चार साल में होने वाले खर्च का सवाल है, वह अभी कहना मुश्किल है। एक बायोलोजिकल सैंटर बना रहे हैं कोचीन में, उसमें अंदाज़न दस लाख रुपया खर्च करेंगे। जहाज़ों में भी कुछ खर्च होगा। बाकी उसका ब्यौरा देना मुश्किल है क्योंकि हर एक मिनिस्ट्री अपना अपना खर्च अपने अपने बजट में अलहदा अलहदा दिखायेगी।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : चूंकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना है क्या भारत के अन्य विश्व-विद्यालयों को भी इस अभियान में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : प्रश्न विश्वविद्यालयों को आमंत्रित करने का नहीं है। यह काम मुख्यतः ५ मदों में विभाजित किया जायेगा। ये मदें हैं—ऋतु विज्ञान और भौतिकीय समुद्रीय विज्ञान, समुद्रीय प्राणिशास्त्र और मत्स्यपालन, सभुद्रीय भूगर्भशास्त्र, रसायनिक 'ओशनोग्राफी' और रेडियो-सक्रियता तथा अन्य सम्बद्ध विषय तथा सेवा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियाँ। हमें जहाँ कहीं उचित विशेषज्ञ मिलते हैं हम उन्हें आमंत्रित करते हैं।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : चूंकि इस का सम्बन्ध रेडियो-सक्रियता से है तो क्या अणु शक्ति आयोग को इस में भाग लेने का आमंत्रण दिया गया है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : वह भी सहयोग कर रहा है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : इस पूरे अध्ययन का कार्यसाधक कौन है और भारत क्या हिस्सा ले रहा है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, हम ने डा० वाडिया के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की है। डा० एन० के० पनिक्कर इस कार्य के निदेशक नियुक्त किये गये हैं और कार्य में समन्वय रखा जायेगा। यूनेस्को तथा राष्ट्र सघं भी हिस्सा ले रहा है। प्रत्येक देश राष्ट्र संघ को प्रतिवेदन भेजेगा और उसके पास उपलब्ध जानकारी भाग लेने वाले अन्य देशों को देगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में खनिज स्वामित्व (रायल्टी)

†*३७१. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २३ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने में प्रयोग होने वाले खनिज पर मध्य प्रदेश सरकार को स्वामित्व (रायल्टी) देने के प्रश्न का निश्चय हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में क्या निश्चय हुआ है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस मामले के तय होने में देर होने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) और (ख). मामला अब भी विचाराधीन है ।

(ग) चूंकि इस में कई कानूनी बातें आती हैं इसलिये मामले को तय करने से पहले उन सभी बातों पर उचित विचार करना पड़ेगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** भिलाई स्टील वर्क्स से मध्य प्रदेश सरकार को कितना धन या रायल्टी प्राप्त होना है और मध्य प्रदेश सरकार ने इस धन को वसूल करने के लिये कितनी बार कार्यवाही की है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** मेरे पास इस समय तो यह जानकारी नहीं है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मध्य प्रदेश सरकार को दी जा रही रायल्टी की क्या दर है और क्या हिन्दुस्तान स्टील अन्य राज्यों को भी इसी दर से रायल्टी दे रहा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** तीन तरह के मामले हैं । एक तो मध्य प्रदेश सरकार से पट्टे पर ली गई जमीन के बारे में है । पट्टे की शर्तों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार को रायल्टी दी जाती है । दो और प्रकार के मामले हैं जिन पर मध्य प्रदेश सरकार से मतभेद है । एक तो यह है कि राज्य सरकार ने किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स को कुछ जमीनें दी हैं । राज्य सरकार इस जमीन में किये गये खनन की रायल्टी चाहती है और कानून के अनुसार उसे रायल्टी मिलनी चाहिये । किन्तु भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित जमीन के बारे में कानूनी राय यह है कि रायल्टी देना अवाश्यक नहीं है । यह विवाद का विषय है और हमें उसे तय करना होगा ।

†**श्री दाजी :** यह मामला बहुत सालों से पड़ा हुआ है । मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान में विलम्ब हो रहा है । इस मामले को तय करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** कानूनी राय पर विचार तो करना ही होगा । आम तौर पर वकील जल्दी ही सहमत नहीं होते । (**अन्तर्बाधा**) कोई हल अवश्य निकाला जायेगा और मध्य प्रदेश सरकार को इस बात के प्रति आश्वस्त रहना चाहिये कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की आर्थिक स्थिति अच्छी है । राज्य सरकार उससे अपनी राशि कभी भी वसूल कर सकती है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मध्य प्रदेश सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों को किस-किस दर से रायल्टी दी जाती है ? क्या सरकार एक विवरण सभा पटल पर

---

†मूल अंग्रेजी में

रहेगी जिसमें रायल्टी की बकाया राशि तथा उसे वसूल करने के लिये की गई कार्यवाही की जानकारी दी गई हो ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि मेरे पास सही आकडें नहीं है। खनन पट्टों की रायल्टी की दर ठेके की शर्तों में विहित है। जहां तक अन्य श्रेणियों का सम्बन्ध है, उन्हें रायल्टी की दर निर्धारित करने से पहले तय करना होगा।

भारतीय जैट लड़ाकू विमानों के लिये रूसी इंजन

+

†*३७२. **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में बने सुपरसोनिक विमानों के लिये रूसी इंजन खरीदने के बारे में रूस के साथ कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जी, हां। इस प्रकार के इंजन के निर्माण के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(ख) यह इंजन हिन्दुस्तान फाइटर मार्क २ विमान में लगाने का विचार है। भारत में इन इंजनों का निर्माण १९६३ में आरम्भ होगा।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि एक ब्रिटिश फर्म हमारे एच० टी० २४ विमानों के लिये आर्फियस १२ इंजन बनाने वाली थी किन्तु बाद में वह मुकर गई ? यदि हां, तो सरकार ने यह ठेका देने से पहले उस पार्टी की आर्थिक और अन्य स्थिति की जानकारी क्यों नहीं प्राप्त की ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं कह नहीं सकता कि उसने इंजन निर्माण करने का आश्वासन दिया था या नहीं। जब मार्क २ विमानों के लिये आर्फियस इंजन के निर्माण की बात थी तब इस इंजन के अन्य लोगों द्वारा बनाये जाने की पूरी सम्भावना थी। वह सम्भावना समाप्त हो गई और हमारे लिये कठिनाई उत्पन्न हो गई। यह कहा नहीं जा सकता कि इंजनों का निर्माण करना उनके लिये बन्धनकारी था या नहीं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : इससे हमारे कार्यक्रम में कितना विलम्ब हुआ है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : कोई विलम्ब नहीं होगा क्योंकि मार्क २ से पहले हमें मार्क १ का परीक्षण आदि करना होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४। श्री मोहन नायक। अनुपस्थित। श्री प्रकाश वीर शास्त्री।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मुझे तो कोई सूचना ही नहीं मिली ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बसुमतारी ।

†**श्री बसुमतारी** : क्या मैं जान सकता हूं..... **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य से अल्प-सूचना प्रश्न पूछने के लिये कह रहा हूं ।

पाउडर दूध के पीने से उड़ीसा म मृत्यु

अल्प सूचना प्रश्न संख्या : ४

श्री बसुमतारी :
श्री मोहन नायक :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले के पांडरखोली ग्राम में अमरीकन पाउडर दूध पीकर ८ छात्रों की मृत्यु हो गई और कुछ अन्य बीमार हो गये ;

(ख) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) दूध के पाउडर में क्या मिला था ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) दूध के पाउडर से बनाए गये दूध के पीने से आठ छात्रों की मत्यु हो गई ।

(ख) पूरी तरह जांच होने तक दूध पिलाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है ।

(ग) रासायनिक विश्लेषण के लिये दूध के पाउडर को कलकत्ता मेडिकल कालेज को भेज दिया गया है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है । इस बीच हमने राज्य सरकारों से कहा है कि दूध तैयार करने के मामले में वे आवश्यक सावधानी बरतें ।

†**श्री बसुमतारी** : कितने छात्र पीड़ित थे और उनमें से कितने अच्छे हो गये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ६३ बच्चों ने दूध पिया; ३३ बीमार हुए; २९ बच्चों को गैस्ट्रो एन्टराइटिस का रोग हुआ और ८ बच्चे मर गये ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या यही एक ऐसा मामला है जिसकी सरकार को सूचना दी गयी है या स्कूलों में दूध के इस पाउडर के इस्तेमाल के कारण गम्भीर बीमारी के और भी कई मामले थे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उड़ीसा से केवल इसी मामले की सूचना सरकार को मिली है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकार वीर शास्त्री ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि जब किसी सदस्य ने शार्ट नोटिस क्वेश्चन का नोटिस दिया हो ....

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : उसकी बाबत तो आपने कह दिया। मैं तहकीकात करूंगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : बस मैं यही पूछना चाहता था।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या यह मालूम किया गया है कि दूध का पाउडर कहां से सप्लाई किया गया था, अपने भण्डारों से या किन्हीं दूसरी जगहों से ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** दूध का यह पाउडर बाहर के विदेशी अधिकरणों के माध्यम से प्राप्त होता है। प्रारम्भिक जांच पड़ताल से पता चला है कि बच्चों ने वह दूध पीया था जो स्कूल के सामने बहने वाले मटमैले और बगैर उबले हुए पानी के इस्तैमाल से तैयार किया गया था। जो भी हो, रासायनिक विश्लेषण किया जा रहा है और हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिये।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** उसकी सप्लाई का जरिया क्या था, सरकारी स्टोर्स या अन्य स्थान ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** ये सब ब्यौरे फिलहाल अभी मेरे पास नहीं हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि पूरी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। सारी बात यह है कि दूध का पाउडर अच्छा था या बुरा। इस बात की छानबीन की जा रही है। पूरा पूरा विश्लेषण किया जा रहा है और हमें रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

†**श्री त्यागी :** क्या दूध का यह पाउडर राज्य की तरफ से बच्चों को दिये जाने वाले मध्याह्न भोजन के रूप में इस्तैमाल किया गया था या उन्होंने अपनी ओर से अपने घरों में इस्तैमाल किया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का एक अंग है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** माननीय मन्त्री ने अभी अभी बताया कि दूध बगैर उबाले हुए पीया गया था। क्या मैं जान सकती हूं कि जिन अधिकारियों ने उस हालत में दूध सप्लाई किया था उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि हम अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि यह विशिष्ट पाउडर उस जगह के गिरजाघर के कैथोलिकों द्वारा सप्लाई किया गया था और क्या वे बराबर इस तरह की चीज सप्लाई करते रहे हैं और यदि हां, तो माननीय मन्त्री की क्या जानकारी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कहा है कि वह बाहर से आया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि वह किसने सप्लाई किया था—अमरीकी लोगों ने या और किसी ने ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जब तक जांच न हो जाये, तब तक मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यह अधिक अच्छा होता कि माननीय सदस्य जांच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करत।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** औचित्य प्रश्न के हेतु। प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय इस बुनियादी तथ्य को छिपा सकते हैं कि किसने उसे सप्लाई किया था। हम अभी विश्लेषण का परिणाम जानना नहीं चाहते हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि वह किसके द्वारा, अर्थात् ब्रिटेन, अमेरिका या और किसी के द्वारा, सप्लाई किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अगर वह यह कहते हैं कि अभी उनके पास जानकारी नहीं है और जांच की जा रही है तो उसमें औचित्य प्रश्न कहां है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हम आपका संरक्षण चाहते हैं। यदि अल्पसूचना प्रश्न की सूचना देने के बाद भी उनके पास जानकारी नहीं है, तो सभा के लिए यह बड़े दुख की बात है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं माननीय मंत्री का यह कथन स्वीकार न करूं कि अभी फिलहाल उनके पास जानकारी नहीं है ? क्या मैं उन्हें बाध्य कर सकता हूं और यह कहूं कि आप झूठ बोल रहे हैं। जब मंत्री कहते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है, तो यह उनका विशेषाधिकार है। मैं उनसे केवल इतना ही कह सकता हूं कि ज्यूंही उन्हें जानकारी मिले वह सभा को बता दें।

†**श्री बसुमतारी** : इसके परिणामस्वरूप जो बच्चे मर गये क्या उनके माता पिता ने कोई दावे किये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे जानकारी नहीं है।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : चूंकि यह एक गंभीर मामला है इसलिए भविष्य मे ऐसेमामलों को रोकने के लिए क्या सावधानी बरती गयी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हमने राज्य सरकारों को पहले लिख दिया है कि बच्चों को ठीक दूध सप्लाई करने के लिए वे आवश्यक सावधानी बरतें। जैसा कि मैंने बताया, प्रारंभिक जांच पड़ताल से यह पता लगा है कि नदी का कुछ पानी इस्तेमाल किया गया था, मालूम होता है कि पास में गांव था जहां हैजा था, जहां से नदी गुजरती है। यह बहुत मुमकिन है। लेकिन जब तक पूरी पूरी जांच पड़ताल न हो जाये तब तक मैं कोई निराधार बात नहीं कहना चाहता। जहां तक दूध के पाउडर का संबंध है, हमें सयुक्त राष्ट्र संघ बाल सहायता निधि से दूध का यह पाउडर मिलता रहा।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : इसके लिए शायद एक गरीब अध्यापक को दण्ड दिया जा रहा है। मत्री महोदय कहते हैं कि किसी तालाब या नदी का गंदा पानी इस्तेमाल किया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि दूध के इस पाउडर के साथ साथ क्या इसके लिए कोई व्यवस्था की गयी है कि पानी को उबाला जा सके या पाउडर को खाने योग्य बनाया जा सके।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : आशा की जाती है कि सभी स्कूलों में पीने का साफ पानी होगा।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : इस विशिष्ट स्कूल में इसके लिए कोई व्यवस्था थी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि इस विशिष्ट स्कूल में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गयी है तो राज्य सरकार को इस मामले में जांच करनी होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिकित उत्तर

समाज कल्याण निधि

†*३६२. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण निधि का कुछ हिस्सा पंचायत समितियों को, जिन्होंने समाज कल्याण बोर्ड के अभिकरणों द्वारा पहले किये जाने वाले अनेक कामकाज अपने हाथ में ले लिये हैं, देने के बारे में राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हा, तो कितने राज्यों को अभी हाल में बनायी गयी पंचायत समितियों के लिए इस निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है ;

(ग) क्या इस मामले में कोई सुविधाजनक सूत्र ढूंढ़ निकालने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सामुदायिक विकास मंत्रालय के साथ कोई चर्चा की थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) "समाज कल्याण निधि" नाम की ऐसी कोई विशिष्ट निधि नहीं है जिसमें से राज्य सरकारों को रकमें दी जा सकती हों । फिर भी उन राज्यों से जहां संबंधित राज्य सरकारों के पंचायत अधिनियमों के अधीन पंचायत समितियों ने समाज कल्याण बोर्ड के अभिकरणों द्वारा पहले किये जाने वाले अनेक काम काज अपने हाथ में ले लिये हैं, केन्द्रीय सहायता के लिए प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं ।

(ख) केवल एक राज्य ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय सीमा का पाकिस्तान विमानों द्वारा अतिक्रमण

†*३६३. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राम रतन गुप्त :
श्री बागड़ी :

क्या **प्रतिरक्षा** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में पाकिस्तान हवाई जहाजों ने कितनी बार भारतीय वायुसीमा का अतिक्रमण किया और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन अतिक्रमणों की ओर पाकिस्तानी अधिकारियों का ध्यान दिलाया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ; और

(घ) वायुसीमा के ऐसे अतिक्रमण रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और उनसे क्या नतीजा निकला ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्णमेनन)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७६]**

(घ) पाकिस्तान सरकार के पास उचित विरोध-पत्र भेजे गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान में स्टाफ कारों का दुरुपयोग

†*३६५. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर स्टाफ कारों के दुरुपयोग के बारे में दिनांक १७ जून, १९६२ के "लिंक" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी जीप गाड़ियों की दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अनेक अफसर बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ियां चलाते हैं ; और

(ग) स्टाफ कार नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) द्वीपसमूह में स्टाफ कारों के प्रयोग के संबंध में मुख्य आयुक्त से पूछताछ की जा रही है और उस रिपोर्ट को ध्यान में रखकर ही अगली कार्यवाही पर विचार किया जायेगा ।

अखिल भारतीय खेल कूद परिषद्

†*३६६. **श्री प्रभातकार :**
श्री बीनेन भट्टाचार्य :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् का ६० से अधिक खिलाड़ियों को जकार्ता भेजने का इरादा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) परिषद् ने कुल ७१ खिलाड़ियों की सिफारिश की है । इसमें से १७ पहलवान हैं ।

(ख) पहलवानी १७, हॉकी १६, फुटबाल १६, वालीबाल १६, कुश्ती ७, बौक्सिंग २, वजन उठाना २, और राइफल चलाना १ ।

सम्बद्धकारी विश्वविद्यालयों में अध्यापन

†*३६८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सम्बद्धकारी विश्वविद्यालयों में शनैः शनैः प्रत्यक्ष अध्यापन आरम्भ करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) पिछले पांच वर्षों में किन-किन सम्बद्धकारी विश्वविद्यालयों ने प्रत्यक्ष अध्यापन आरम्भ कर दिया है और ऐसे कौन-कौन से विश्वविद्यालय तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में ऐसा अध्यापन आरम्भ करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति है कि विशुद्ध रूप से सम्बद्धकारी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर धीरे धीरे प्रत्यक्ष अध्यापन आरंभ करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाये।

(ख) आगरा, भागलपुर, बर्दवान, गोरखपुर, जबलपुर, जम्मू और काश्मीर, मराठवाड़ा, रांची, श्री वेन्कटेश्वर, सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ और विक्रम विश्वविद्यालयों ने प्रत्यक्ष अध्यापन आरंभ कर दिया है। अन्य सभी विश्वविद्यालयों ने पहले कुछ प्रत्यक्ष अध्यापक की व्यवस्था की थी।

सस्ते ट्रैक्टरों का उत्पादन

†*३७३. **श्री राम रतन गुप्त :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषकों के लिए सस्ते ट्रेक्टर बनाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्यौरा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). देश में ट्रैक्टर पहले से ही तैयार किये जा रहे हैं।

'पावर टिलर्स' जिन्हें कभी कभी छोटे ट्रैक्टर्स कहा जाता है, तैयार करने की कुछ योजनाएं भी सरकार ने मंजूर की हैं। अनुमान है उनका उत्पादन १९६२ के अंत तक आरंभ हो जायेगा।

मनीपुर को आसाम वित्तीय निगम द्वारा ऋण

†*३७४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर को आसाम वित्तीय निगम के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण दिया गया है ; और

(ग) ऋण पाने वाले औद्योगिक एककों के क्या नाम हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) अभी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पंजाब में तीसरा मशीनी औजार कारखाना

†*३७५. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में तीसरा मशीनी औजार कारखाना खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या कारखाने के लिए कोई स्थान चुन लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

(घ) कारखाने पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ङ) इसमें उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**:(क) से (ङ). सरकारी क्षेत्र के अधीन एक मशीनी औजार कारखाना हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमटेड, बंगलौर द्वारा पंजाब में पिन्जौर में स्थापित किया जा रहा है। अनुमान है कि बस्ती सहित परियोजना की कुल पूंजी लागत ७.५ करोड़ रुपया है। वर्तमान आयोजित क्षमता सालाना लगभग १००० मशीनी औजार है और यह कारखाना इस प्रकार बनाया जा रहा है कि कुछ वर्षों के बाद सालाना २००० मशीनी औजार तैयार किये जा सकें। अनुमान है कि १९६३ के आरंभ में इस कारखाने में उत्पादन शुरू हो जायेगा।

रोहतांग दर्रे के ऊपर रज्जुपथ

†*३७६. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल्लु घाटी में रोहतांग दर्रे के ऊपर रज्जपथ बनाने के लिए टैंडर सीमा सड़क खण्ड के महानिदेशक के पास आ गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह टैंडर स्वीकार हो चुका है ;

(ग) इसके निर्माण की संभावित लागत क्या है ; और

(घ) यह वर्ष भर में कितने महीने काम करेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). चूंकि रोहतांग के उपर हवाई रज्जुपथ बनाने के लिए प्राप्त टेंडर मंजूर करने योग्य नहीं थे, इसलिए आगे बातचीत की जा रही है।

(ग) इस दिशा में उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

(घ) यह रज्जुपथ सारे साल काम में लाया जा सकेगा।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण

†*३७७. **श्री मुहम्मद ताहिर** :
श्री गो० महन्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय को विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव मिले हैं ;

(ख) यदि हां तो सरकार ने इन संशोधनों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस कार्य के लिये कोई उच्च स्तरीय समिति स्थापित की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: (क) मध्य प्रदेश को छोड़ कर सभी राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ।

(ख) इनकी छानबीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त और भारत के रजिस्ट्रार जनरल के परामर्श से की जा रही है ।

(ग) जी नहीं ।

चिकित्सा स्नातकों के लिये ग्रामीण सेवा

†*३७८. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ जून १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १५९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी सेवा में आने की इच्छा रखने वाले चिकित्सा स्नातकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा को अनिवार्य बनाने के लिए प्रस्ताव में कहां तक प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई जा रही है ; और

(ग) यदि हां तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) से (ग). इस विषय पर अभी विचार किया जा रहा है ।

'नुफील्ड फाउन्डेशन' द्वारा आवंटन

†*३७९. **श्री पु० र० पटेल :**
श्री दे० जी० नायक :
श्री छोटू भाई पटेल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नुफील्ड फाउन्डेशन' ने भारत को २३०० पौंड आवंटन किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अनुदान का किन कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा ; और

(ग) जिन उद्देश्यों और संस्थाओं के लिए अनुदान का उपयोग किया जाएगा क्या उन को चुनने का स्वविवेक सरकार का है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

स्नेहन तेल संयंत्र[1]

†*३८०. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली के तेल समवाय ने स्नेहन-तेल संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Lubricating Oil Plant.

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) परियोजना कब आरम्भ करने का विचार है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(१) बाजार का अध्ययन जिसमें विशिष्ट स्नेहन तेलों की बिक्री के साथ साथ पेट्रोलियम की बिक्री की संभावनाओं का ब्यौरा दिया गया है ।

(२) दो मुख्य वैकल्पिक आधारों पर—एक केवल स्नेहन तेलों के उत्पादन के सम्बन्ध में और दूसरा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के साथ साथ स्नेहन तेलों के अन्य उत्पादन के सम्बन्ध में—तकनीकी और आर्थिक अध्ययन ।

(ग) विभिन्न सम्बन्धित अधिकारियों के साथ परामर्श से परियोजना प्रतिवेदन की ब्यौरेवार छानबीन के बाद इसका निश्चय किया जायेगा ।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिये परीक्षा-पूर्व अध्यापन केन्द्र

†*३८१. **श्री सिद्ध्या :**
श्री प० ना० कयाल :
श्री सोनावाने :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० ए० एस० और आई० पी० एस० एवं अन्य केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने की इच्छा रखने वाले अनुसूचित जातियों एवं अनुसचित आदमि जातियों के व्यक्तियों के लिये एक परीक्षा-पूर्व अध्यापन केन्द्र अक्तूबर, १९६२ में बंगलौर में आरम्भ किया जाएगा ;

(ख) यदि हां तो कितने विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी ; और

(ग) वर्ष १९६२–६३ के लिए इस कार्य के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) मैसूर विश्वविद्यालय के अधीन एक केन्द्र आरम्भ करने का विचार किया गया है । केन्द्र के स्थान के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय बहुत शीघ्र ही किया जायेगा । अनुमान है कि अक्तूबर, १९६२ तक यह केन्द्र चालू हो जायेगा ।

(ख) विचार है कि यह केन्द्र आखिर में ७५ छात्रों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं दे । लेकिन आरम्भ में ५० छात्र होंगे ।

(ग) वर्ष १९६२–६३ के लिए (अक्तूबर १९६२ से मार्च १९६३ तक) इस केन्द्र के लिए अनुमानित व्यय ३४,८८० रुपया है ।

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम

*३८२. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों ने किन कारणों से तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम अभी तक लागू नहीं किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इससे कितना व्यय बढ़ जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी अवधि तक धन देने को तैयार है ; और

(ग) इस अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कालिजों को दी जाने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सीधे सम्बन्धित संस्थाओं को देगा अथवा एक मुश्त उत्तर प्रदेश सरकार को देगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) तक : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). प्रशासकीय और वित्तीय कठिनाइयों के कारण उत्तर प्रदेश के चार राज्य विश्वविद्यालय अर्थात् आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर तथा लखनऊ, तीन वर्षीय डिग्री-पाठ्यक्रम लागू नहीं कर सके हैं ।

राज्य विश्वविद्यालयों में तीन-वर्षीय डिग्री-पाठ्यक्रम को लागू करने के प्रश्न की परीक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने एक समिति की नियुक्ति की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति को नियुक्त की है । राज्य सरकार ने कहा है कि उसके द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद ही वह उस इस योजना को लागू करने के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करेगी । राज्य सरकार की समिति की रिपोर्ट और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति के निष्कर्ष उपलब्ध होने पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना की पद्धति तथा राज्य विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की मात्रा पर विचार करेगा ।

(ग) तीन वर्षिय डिग्री पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत अनुदान विश्वविद्यालयों को दिये जाते हैं । विश्वविद्यालय इन अनुदानों को योजना के क्षेत्र में लिये गये अपने सम्बन्धित/अनुवर्ती कालेजों (राजकीय कालेजों सहित) में वितरित करते हैं । तीन वर्षीय पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करते समय इस क्रियाविधि का पालन किया जाएगा ।

कोयले की ढुलाई

†*३८३. **श्री बसुमतारी :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सरजू पांडे :
श्री हेम बरुआ :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सड़क एवं नदी मार्ग से कोयले की ढुलाई का फैसला किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से किया जाएगा ;

(ग) जिन पक्षों ने नौकायें आदि देने का प्रस्ताव किया है उनकी क्या शर्तें हैं ;

(घ) क्या सभी शर्तें स्वीकार कर ली गई हैं ; और

(ङ) उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत कौनसा क्षेत्र आएगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ङ). सरकार गंगा नदी पर सड़क तथा नदी के रास्ते कोयला ले जाने की योजना पर सक्रिय रुप से विचार कर रही है। व्यवस्था पूरी कर देने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि कोयला लाने-लेजाने का काम अक्तूबर के पहले हफ्ते में आरम्भ हो जाये। अभी इन बातों की छानबीन की जा रही है कि नौकाएं ट्रक आदि किन जरियों से प्राप्त की जायें और वह किन शर्तों के अधीन किया जाये। फिलहाल योजना यह है कि इस प्रकार उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कोयला पहुंचाया जाये ।

इंडिया आफिस लाइब्रेरी

†*३८४. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया आफिस लाइब्रेरी को स्थानान्तरित करने के लिए अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) क्या पाकिस्तान के साथ कोई समझौता हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो इस मामले में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)**: (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). चर्चा जारी है ।

दिल्ली में ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलकूद

†*३८५. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या **शिक्षा** मंत्री २३ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ओलम्पिक संघ के इस प्रस्ताव पर कि वर्ष १९६६ में ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलकूद नई दिल्ली में हों विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार ने क्या सिफारिशें अथवा सुझाव दिए हैं ;

(ग) क्या प्रस्ताव पर पूर्ण रुप से सहमति हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार ने भारतीय ओलम्पिक संघ को निम्नलिखित शर्तों के अधीन १९६६ में ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्र संघ खेलकूद नई दिल्ली में करने का निमंत्रण देने का प्रस्ताव रखने की अनुमति दी है :—

(१) खेलकूद का आयोजन करने के लिए भारतीय ओलम्पिक संघ को ४० लाख रुपया जनता से चन्दे के रुप में इकट्ठा करना होगा ।

(२) भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा ४० लाख रुपया इकट्ठा किये गये जाने पर भारत सरकार अधिक से अधिक ३० लाख रुपये (पूंजीगत वस्तुओं के लिए १५ लाख रुपया सहित) का अनुदान मंजूर करेगी जो खेलकूद के आयोजन के लिए आवश्यक रकम का शेष है ।

भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष ने इस बीच ब्रिटिश साम्राज्य तथा राष्ट्रमंडल खेलकूद संघ से १९६६ में भारत में ये खेलकूद करने का प्रस्ताव किया है । अनुमान है कि वह संघ नवम्बर १९६२ में पर्थ में इस मामल के बारे में अन्तिम निश्चय करेगा ।

अन्दमान में 'शार्क लिवर आयल' फैक्ट्री

†*३८६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अन्दमान में एक 'शार्क लिवर आयल' फैक्ट्री और 'डीहाईड्रेशन यूनिट' (निर्गलीकरकरण कारखाना) स्थापित करेगी;

(ख) यह सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में;

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा; और

(घ) क्या इस बारे में कोई अस्थायी योजना बनाई गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बातार)** : (क) से (ग). शार्क लिवर आयल फैक्ट्री और डीहाईड्रेशन यूनिट स्थापित करने की योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के तकनीकी विशेषज्ञ ने उस योजना की छानबीन की है और उसकी रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी छानबीन की जा रही है । आशा है कि अन्तिम निश्चय शीघ्र ही किया जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये पद बनाने पर प्रतिबन्ध

†*३८७. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय और गृह-मंत्रालय की स्वीकृति के बिना नये पद बनाने पर प्रतिबन्ध है;

(ख) क्या इनकी स्वीकृति के बिना वर्ष १९६१–६२ में १७,००० नये पद बनाये गये;

(ग) क्या विशेष पुनर्गठन यूनिट ने कर्मचारियों में कोई कमी करने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) उन नये पदों के निर्माण पर जो आयोजना की योजनाओं से सम्बन्धित नहीं हैं और जो सुरक्षा प्रयोजनों के लिए आवश्यक नहीं हैं, रोक पहले १९६० में लगायी गयी थी और वह १९६२ के अन्त तक जारी रही । उन खास खास मामलों में जहाँ रोक लागू न कर पदों का निर्माण करना आवश्यक था, वित्त तथा गृह-कार्य मंत्रियों की पूर्व अनुमति आवश्यक थी । फिर भी डाकतार विभाग तथा रेलवे में कुछ पदों के सम्बन्ध में छूट दी गयी है । १ जुन, १९६२ से उन मंत्रालयों को जिन्हें अधिक वित्तीय शक्तियाँ दी गयी हैं और जिनमें कार्य-अध्ययन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी भी होंगे, इस रोक से छट दी गयी है ।

(ख) जिन श्रेणियों के लिए छूट दी गयी है उनके अधीन निर्माण किये गये पदों के बारे में वित्त मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) विशेष पुनर्गठन एकक ने, १९६१–६२ में विभिन्न संगठनों के कार्य-अध्ययन के परिणाम-स्वरूप, लगभग १०६२ अतिरिक्त पदों का पता लगाया है जिसमें लगभग सालाना ४७ लाख रुपये का वित्तीय खर्च होता है । ये सिफारिशें सम्बधित मंत्रालयों/विभागों को विचारार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गयी हैं ।

प्रादेशिक भाषाओं का माध्यम

*३८८. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री कछवाय :
श्री बड़े :
श्री किशन पटनायक :
श्री मोहम्मद ताहिर :
श्री मोहसिन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने के सरकारी प्रस्ताव का सर्वत्र स्वागत किया गया है; और

(ग) उन विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस मामले में पहल की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८०]**

इस्पात संयंत्र

†*३८९. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात संयंत्रों के बारे में कितनी धनराशि का अवक्षयण[1] बट्टे खाते डाला गया है अथवा बकाया है;

(ख) इस अवक्षयण की किस दर पर गणना की गई ;

(ग) क्या यह आय-कर नियमों अथवा अन्य संयंत्रों में अपनाये गये तरीके के अनुसार है; और

(घ) यदि नहीं, तो भिन्नता के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) ३१ मार्च, १९६२ तक कुल ५४.७० करोड़ रुपया बट्टा खाते डाला गया है । कोई बकाया रकम नहीं होगी ।

(ख) और (ग). इस्पात संयंत्रों के अलावा दूसरे परिसम्पद् के सम्बन्ध में अवक्षयण की दर आयकर नियमों में दी गयी दरों पर घटते हुए अधिशेष के तरीके के आधार पर निर्धारित की जाती है । मुख्य इस्पात संयंत्रों के मामले में, अवक्षयण निश्चित किश्त तरीके से ५ प्रतिशत की दर पर निर्धारित किया जाता है, जो आयकर नियमों में दी गयी अवक्षयण विषयक व्यवस्था के प्रायः बराबर है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तीन अखिल भारतीय सेवाओं का गठन

*३९०. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री हेम बरुआ :
श्री हेम राज :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन नई अखिल भारतीय सेवायें स्थापित करने की जिस योजना पर विचार किया जा रहा था उसके बारे में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Depreciation.

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : योजना पर अभी भी राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

स्कैंप समिति का प्रतिवेदन

†*३९१. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री १ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच स्कैंप समिति के प्रतिवेदन की जाँच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). स्कैंप समिति के प्रतिवेदन की अभी छानबीन की जा रही है और इस मामले में किये गये निश्चय के साथ प्रतिवेदन की एक प्रति शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

गोहाटी के निकट विमान दुर्घटना

†*३९२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी के निकट १२ जुलाई, १९६२ को एक विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें बताया जाता है कि तीन व्यक्ति मर गये;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दुर्घटना की जाँच के आदेश दिये गये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो उसकी उपपत्तियाँ क्या हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में कितना मुआवजा दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हाँ ।

(क) से (घ). दुर्घटना उस समय हुई जब कि विमान सैनिक कार्य के लिए उड़ रहा था और अधिक ब्यौरा उस समय मालूम होगा जब कि जाँच अदालत की, जिसके लिए आर्डर दिया जा चुका है, रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी ।

(ङ) परिवार/आश्रित की पेन्शन की मंजूरी पर नियमों के अनुसार विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय एकीकरण

†*३९३. श्री मुहम्मद ताहिर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा ।
श्री किशन पटनायक :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या गृह-कार्य मंत्री १४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९७ के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया हो कि राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन और उसके द्वारा नियुक्त परिषद् द्वारा किये गये निश्चयों को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० --३३४/६२]

कोयल क लिये अग्रिम संयंत्र[1]

†*३९४. श्री राम रतन गुप्त :
श्री उमा नाथ :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले के परिष्करण के लिए एक अग्रिम संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह निर्णय कब तक कार्यान्वित हो जायेगा ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं। लेकिन केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था १९५९ से अग्रिम संयंत्र प्रयोग कर रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तिब्बती भाषा

*३९५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई के अन्तिम सप्ताह में वाराणसी में तिब्बती भाषा के विकास और अध्ययन के लिए तिब्बती लामाओं की एक गोष्ठी तथा सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हाँ, तो सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

---

†मूल्य अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हाँ। यह सम्मेलन और गोष्ठी तिब्बती लामाओं के काम की समीक्षा करने और भारतीय इतिहास और विचारधारा में तिब्बत विषयक अध्ययनों के अंशदान पर चर्चा करने के लिए की गयी थी।

(ख) गोष्ठी की मुख्य सिफारिश यह थी कि छात्रवृत्ति की वर्तमान योजना को स्थायी रूप दिया जाये।

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को रियायत

†*३९६. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में ही दिल्ली के पिछड़े वर्गों के स्कूल जाने वाले बच्चों को अब तक उपलब्ध शिक्षा शुल्क (ट्यूशन फीस) की छूट समाप्त कर दी है ; और

(ख) इस छूट के समाप्त किए जाने का कितने स्कूल जाने वाले बच्चों पर प्रभाव पड़ा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) यह निर्धारित करने के लिये कि अन्य पिछड़े वर्गों में कौन कौन लोग हों, जाति का आधार समाप्त कर देने तथा इस प्रयोजन के लिये आर्थिक कसौटी स्वीकार करने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन के निश्चय के परिणामस्वरूप, चालू शैक्षणिक वर्ष से उन छात्रों को जो शुद्धतः जाति के आधार पर रियायत के अधिकारी थे, शिक्षा शुल्क की अदायगी से छूट नहीं दी जायगी। फिर भी जिन छात्रों को जाति के आधार पर अब तक यह रियायत दी गयी थी और जिन्ह पिछले साल भी यह रियायत मिल रही थी उन्हे तब तक यह रियायत मिलती रहेगी जब तक कि वे अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेते।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि जिन छात्रों को यह रियायत मिल रही है उन्हे यह रियायत देना बन्द नहीं किया गया है।

गैस पाइप लाइन

†*३९७. **श्री पु० र० पटेल :**
श्री दे० जी० नायक :
श्री छोटू भाई पटेल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री कपूरसिंह :

क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने गुजरात में अंकलेश्वर, कालोल तथा खम्भात क्षेत्रों से प्रतिदिन २३३० टन कोयले के तुल्य प्राकृतिक गैस अन्य स्थानों को भेजने के लिये पाईप लाइनें लगाने का निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० डे० मालवीय)** : गुजरात में अधिक से अधिक १० लाख घन मीटर गैस की दैनिक क्षमता के, जो मोटे तौर पर २३३० टन कोयले के बराबर है, तीन पाइपलाइनें डालने का विचार है ।

औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारी

†*३९८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में शंकर समिति की शेष सिफारिशों पर आदेश जारी कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) आदेश कब जारी किए गए थे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुरामैय्या)**: (क) और (ख). शंकर समिति की शेष चार सिफारिशों में से एक के सम्बन्ध में आदेश इस बीच जारी कर दिये गये हैं । समिति ने यह सिफारिश की थी कि तीन साल की नौकरी पूरी हो जाने के बाद औद्योगिक कर्मचारी को, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी हो, मुक्ति की तीन महीने की नोटिस या वह न दी जा सकती हो तो उसकी बजाय वेतन मिलना चाहिये । सरकार ने केवल स्थायी औद्योगिक कर्मचारियों को ही तीन महीने की नोटिस या उसके बजाय वेतना देना मंजूर कर लिया है । वर्तमान आदेशों के अधीन, जिन अस्थायी औद्योगिक कर्मचारियों ने दस साल से अधिक नौकरी कर ली हो, उन्हें नौकरी की समाप्ति के लिये तीन महीने की नोटिस मिलती रहेगी ।

(ग) ११ अगस्त, १९६२ ।

कोलार सोने की खानें

†*३९९. **श्री बसुमतारी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार सोने की खानों का प्रशासनिक नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार को सौंपे जाने के बारे में मैसूर सरकार के साथ शर्तों तथा अन्य बातों के बारे में समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). जी नहीं । अभी इस मामले पर मैसूर सरकार के साथ बातचीत चल रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नयी इनामी बांड योजना

†*४००. श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री बसुमतारी :
श्री पू० ना० खां :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेम राज :
श्री प० कुन्हन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक नई इनामी बौंड योजना पर विचार कर रही है जिसमें प्रीमियम (बढ़ौती) की भी व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक लागू हो जायेगी ;

(ग) नई योजना वर्तमान योजना से कितनी अधिक लाभदायक होगी ;

(घ) क्या वर्तमान तिमाही लाटरी निकालना बन्द करने का भी प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस परिवर्तन का सरकार को किस प्रकार लाभ होगा ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) से (ग). राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय मन्त्रणा बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद नयी इनामीबांड योजना, जो सम्भवतः १ जनवरी, १९६३ से लागू की जायेगी, के सम्बन्ध में अस्थायी निश्चय किये गये हैं। औपचारिक रूप से नई योजना की घोषणा से पहले उसका ब्यौरा बताने की प्रथा नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में पूर्ण मद्यनिषेध

*४०१. श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या गृह-कार्य मन्त्री ९ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९५० के उत्तर के सम्बन्ध में में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में पूर्ण मद्य निषेध करने के जिस सुझाव पर विचार किया जा रहा था, उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : तीसरी पचवर्षीय योजना के अन्त तक दिल्ली में नशाबन्दी को पूरी तरह लागू करने के लिये दिल्ली प्रशासन ने एक प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम तैयार किया है। १९६२–६३ के वर्ष के लिये उसके सुझाव मंजूर कर लिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें

†*८०२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुरुकुल कांगड़ी और जामिया मिलिया इस्लामिया को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाये घोषित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** विश्वविद्यालय अनुदान, आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) की धारा ३ द्वारा दी गयी शक्तियों के प्रयोग में, केन्द्रीय सरकार ने आयोग की सलाह से दिनांक १९ जून, १९६२ की अधिसूचनाओं द्वारा घोषित किया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया, नयी दिल्ली और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार को, जो उच्चतर शिक्षा की संस्थाएं हैं, उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय समझा जायगा ।

लोहे और इस्पात के आयात के लिये लाइसेंस

८४०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ के अप्रैल और सितम्बर के मध्य में आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर ने रुपये द्वारा प्राप्त होने वाले क्षेत्र में क्या कुछ आयात के लाइसेंस दिये थे ;

(ख) उसके लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे और जिन पार्टियों को लाइसेंस दिये गये उनके नाम क्या-क्या हैं तथा कितने के वह लाइसेंस उन्हें दिये गये ; और

(ग) जिन पार्टियों को ये लाइसेंस दिये गये उनके लिये आयरन एण्ड स्टील कण्ट्रोलर ने क्या आधार रखा था और जिन आवेदन-पत्रों पर लाइसेंस नहीं दिये गये उनके कारण क्या थे ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) अप्रैल-सितम्बर, १९६१ की लाइसेंस अवधि में रुपये द्वारा प्राप्त होने वाले क्षेत्र से इस्पात के आयात के लाइसेंसों के लिये सुस्थापित आयातकों से २९९ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए । २२६ आयात लाइसेंस आवेदन-पत्रों के लिये ८९ लाइसेंस जारी किए गए । एक सूची, जिसमें उन फर्मों के नाम जिन्हें लाइसेंस दिए गए हैं तथा वे मूल्य जिनके लिये लाइसेंस दिए गए हैं, संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३३५ / ६२ ।]**

(ग) बेस कोटे तथा आयरन एण्ड स्टील कन्ट्रोलर, कलकत्ता के करारों के आधार पर लाइसेंस दिए गए । अपूर्ण अथवा दोषपूर्ण और समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले तथा आयात लाइसेंस नीति के विरुद्ध आवेदन-पत्र अस्वीकृत किए गए ।

सैनिक छावनियों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों का प्रशासन

†८४१. **श्री हेम राज :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री सैनिक छावनियों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों के प्रशासन के सम्बन्ध में, ८ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड, पोल खास के, पंजाब सरकार को स्कूल सम्भाल देने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप में विचार किया जा चुका है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये पुस्तक अनुदान

†८४२. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में त्रिपुरा में कितने अनुसूचित आदिम जाति विद्यार्थियों को पुस्तकों का अनुदान दिया गया था ;

(ख) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के कितने विद्यार्थियों को त्रिपुरा में चालू वित्तीय वर्ष में पुस्तकों का अनुदान दिया गया ; और

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में पृथक् पृथक् कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). सूचना त्रिपुरा प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आग बीमा की किश्तें

†८४३. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६२ में तीसरी बार आग बीमा की किश्तों (प्रीमियम) को घटाने का क्या औचित्य है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय में जोखिम की अधिकांश श्रेणियों की प्रीमियम दरें एक प्रशुल्क समिति द्वारा निर्धारित की जाती हैं जिसमें सब लोग उद्योग के सदस्य होते हैं । ऐसा बीमा अधिनियम १९३८ की धारा ६४—० के अनुसार किया जाता है ।

१ जुलाई, १९६२ से आग बीमा दरों में कमी सरकार द्वारा या सरकार के निदेशों के अधीन नहीं, अपितु प्रशुल्क आयोग द्वारा की गई है, जिसने अपने संविहित कर्तव्यों का पालन करते हुए, बीमा अधिनियम, १९३८ के भाग २ के अधीन स्थापित की गई सामान्य बीमा परिषद् की कार्यपालिका समिति के प्रतिनिधान में उद्योग की प्रार्थना पर, सांख्यिकीय सामग्री को उचित महत्व देते हुए क्रमानुसार, वैज्ञानिक आधार पर प्रीमियम दरों को लाने का प्रयत्न करते हुए ऐसा किया ।

शरियत विधि को लागू करना

†८४४. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लक्कादीव वर्ग के अन्य द्वीपों में सचालित शरियत विधि को अन्दरोथ और कापोनी में भी लागू करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). शरियत विधि लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदिवी वर्गों के किसी द्वीप में लागू नहीं हैं । प्रशासन में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि इस विधि को राज्य क्षेत्र में लागू किया जाए, जो विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†८४५. **श्री सत्यनारायण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में आंध्र प्रदेश के अनुसूचित आदिम जातीय विद्यार्थियों को केंद्रीय सरकार की कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं ; और

(ख) छात्रवृत्तियां कुल कितन रुपयों की थीं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) भारत सरकार की, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों एवं अन्य पिछड़ी श्रेणियों को मैट्रिकोत्तर अन्तर्देशीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत १४८ छात्रवृत्तियां ।

(ख) ८२९३३ रुपये ।

त्रिपुरा में विस्थापित लोगों से बकाया ऋण

†८४६. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास त्रिपुरा में विस्थापित लोगों को दिये गये कृषि ऋणों को बट्टे खाते में डालने के बारे में कोई अभ्यावेदन आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या फैसला किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

संथाल भाषा

†८४७. **श्री प्र० क० देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार, उड़ीसा, बंगाल और आसाम में संथाल भाषा को परिरक्षित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ख) इस भाषा में वहां कितने छापेखाने हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) संथाल की अपनी कोई लिपि नहीं इसलिये इसके लिये कोई पृथक मुद्रणालय नहीं है ।

खनिज अधिकार

†८४८. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और कुछ राज्यों के बीच, इन राज्यों में चलाई जा रही खानों के मामले में "खनिज अधिकारों" के विषय में कोई मतभेद है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मतभेद को दूर करने के लिये सरकार किन उपायों का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच खनिज अधिकारों के विषय में इस राज्य में मतभेद होने का कोई अवसर अभी तक नहीं आया । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की खनिज विकास संबंधी अपनी २ जिम्मेवारियों से उत्पन्न सहायक मामलों में केन्द्र तथा आसाम सरकार के बीच, एक विशिष्ट मामले में स्वामित्व की दर के मामले में कुछ मतभेद है, और इस मामले में उस राज्य सरकार के पास बातचीत जारी है । पश्चिम बंगाल के साथ, कोयला वाले क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास अधिनियम) के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण करने और खनन अधिकारों के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अधिकार के बारे में मतभेद रहा है, और क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार उस मामले को न्यायालय में ले गई है, वह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पड़ा है ।

राजस्थान में सीमावर्ती सड़कें

८४९. **श्री तन सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वे कौन-सी सड़कें हैं जिन्हें प्रतिरक्षा मंत्रालय ने अपने हाथ में ले लिया है या उन्हें नया बनाया है ;

(ख) उपरोक्त किन सड़कों पर अब तक कितना खर्च मंत्रालय द्वारा किया गया है ;

(ग) क्या इस वर्ष ऐसी किसी सड़क पर मंत्रालय द्वारा व्यय किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो कहां और कितना व्यय किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) राजस्थान में कोई भी सड़क प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा अपने अधिकार में नहीं ली गई, न ही प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा उस राज्य में हाल में कोई सड़कें बनाई गई हैं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

शुल्क वापसी[1] और निर्यात

†८५०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 'शुल्क वापसी' की अनुमति देने में निर्यातकों को विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा बड़ी कठिनाई में डाला जाता है, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात में बाधा पड़ती है ;

(ख) क्या सरकार को यह मालम है कि बहुत से मामलों में, अस्थायी 'शुल्क वापसी' की भी अनुमति नहीं दी गई और निर्यातकों को बड़ी हानि उठानी पड़ी ;

(ग) क्या सरकार उन निर्यातकों की क्षतिपूर्ति करने का विचार करती है जो अनिश्चित काल के लिये अपना माल रोके नहीं रख सकते थे और जिन्होंने अस्थायी प्रत्याहृत के लिये सरकारी अनुदेश प्राप्त किये बिना ही जहाज पर माल चढ़ा दिया; और

(घ) सरकार बिना किसी कठिनाई के 'शुल्क वापसी' की अनुमति देने में निर्यातकों के हित की रक्षा करने के लिये देश में विदेशी मुद्रा की अत्यधिक कमी की दृष्टि से निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये नियमों को सरल करने में क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं । सरकार को किसी बड़ी कठिनाई का पता नहीं । जब कभी निर्यातकों द्वारा अनुभूत कोई कठिनाइयां सरकार को मालूम होती है, उन को दूर करने के लिये समुचित कार्यवही की जाती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Drawbacks.

(ख) और (ग). सरकार को ऐसे किसी मामले का पता नहीं जहां अस्थायी प्रार्थना करने पर अस्थायी रूप से निर्यात की सुविधायें न दी गई हों, किन्तु यदि ऐसा कोई मामला हुआ हो, तो 'शुल्क वापसी' के प्रश्न पर प्रत्येक के गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है यदि निर्यात किये गये माल की शनाख्त संतोषजनक रूप में सिद्ध की जा सकती हो।

(घ) 'शुल्क वापसी' की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा रहा है। 'शुल्क वापसी' के अस्थायी दावे के अन्तर्गत माल भेजने की शर्त को हटाया जा रहा है और समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की धारा ४३-क की उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रत्याहृत अनुसूची में जो माल अनुसूचित है उस पर शुल्क वापसी का अधिकार होगा किन्तु शर्त यह होगी कि 'शुल्क वापसी' का दावा माल को निर्यात के समय किया जाए और सिद्ध किया जाए।

आयकर और उत्पादन शुल्क के मामले

८५१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू और विधि न्यायालय में आय-कर एवं एक्साइज ड्यूटी सम्बन्धी कितने केस पिछले पांच सालों में दायर हुए ;

(ख) इन में से कितनों का फैसला सरकार के हक में हुआ और कितनों का सम्बन्धित पार्टियों के हक में हुआ ;

(ग) कुल मिलाकर उन केसों में जिनमें सरकार का पक्ष दुर्बल तथा सम्बन्धित व्यक्तियों का मजबूत था, उनमें सरकार को कितने धन की हानि हुई ; और

(घ) सरकार ने क्या यह जानने का यत्न किया कि उसके कारण क्या थे ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

तीसरी योजना के अन्तर्गत इस्पात का उत्पादन

†८५२. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात उत्पादन के लक्ष्य में परिवर्तन करने का सरकार विचार कर रही है ;

(ख) इस के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या गैर सरकारी क्षेत्र को इस्पात उत्पादन के आवंटन में वृद्धि करने की कोई संभावना है ; और

(घ) तीसरी योजना में जो समय बीत चका है उस में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के इस्पातों का उत्पादन कितना हुआ है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वे मुख्य कारण, जिनसे तीसरी योजना में लक्ष्य में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी ये हैं कि रूरकेला इस्पात संयंत्र में स्थापित क्षमता उत्पादन प्राप्ति के मार्ग में कठिनाइयां पेश आईं, हिन्दुस्तान स्टील के संयंत्रों में विस्तार कार्यक्रम आरंभ करने में तथा बोकारो इस्पात परियोजना आरंभ करने में कुछ विलंब हुआ ।

(ग) गैर सरकारी क्षेत्र को नर्म और विशेष इस्पातों के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण अंश आवंटित किया जा चुका है ।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८१]**

ढलाई नदी में बाढ़

†८५३. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढलाई नदी में आयी हाल की बाढ़ों के कारण त्रिपुरा में हलहाली बाजार (कमालपुर) से कितने परिवार विस्थापित हुए हैं ?

(ख) उन परिवारों को कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या उनको कोई सहायता दी गई है ;

(घ) कितनी राशि की सहायता दी गई है ; और

(ङ) क्या इन प्रभावित परिवारों को और वित्तीय सहायता दी जा सकती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारी

†८५४. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ (जून तक) भ्रष्टाचार के आरोपों में, त्रिपुरा प्रशासन के कितने कर्मचारी बर्खास्त हुए और कितने मुअत्तिल हुए ; और

(ख) भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिये क्या उपाय किये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :—

वर्ष	बर्खास्त	मअत्तिल
१९६०–६१	२	२६
१९६१–६२	१	२२
१९६२–६३ (जून तक) . . .	—	५

(ख) त्रिपुरा प्रशासन में कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों और सब शिकायतों के लिये एक पृथक् निगरानी विभाग स्थापित किया गया है । इस विभाग की सहायता १९६१ में स्थापित किये गये भ्रष्टाचार विरोधी संगठन द्वारा की जाती है ।

†मूल अंग्रेजी में

विवरणिकाओं[1] का पुनरीक्षण

†८५५. { श्री म० क० कुमारन :
　　　{ श्री हेम राज :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक कितनी विवरणिकाओं का संशोधन और प्रकाशन हो चुका है ;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार के इस काम के लिये अधिक वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ग) क्या इन प्रकाशनों के मूल्यों के बारे में राज्य सरकारों को कोई निदेश दिये गये है ;

(घ) क्या सरकार को विदित है कि इन प्रकाशनों के मूल्य अधिक होने के कारण ये साधारण जनता तक पहुंच नहीं सकते ;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इनकी कीमत घटाने के लिये कोई सहायता देने का विचार करती है ; और

(च) क्या इन विवरणिकाओं का अनुवाद हिन्दी में भी उपलब्ध होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) :** (क) २० ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(ङ) केन्द्रीय सरकार जिला विवरणिकाओं को तैयार करने में आर्थिक सहायता पहले से दे रही है ।

(च) इस बात का निर्णय करना मुख्यत: राज्य सरकार का काम है ।

लौह अयस्क का उत्पादन

†८५६. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजना अवधि के लिये नियत वार्षिक लक्ष्य के अनुसार लौह अयस्क का उत्पादन है ;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र लौह अयस्क खानों, विशेषकर उड़ीसा में पूर्ण संचालन क्षमता का उपयोग न किये जाने के कारण उत्पादन के लक्ष्य पर कुप्रभाव पड़ा है ; और

(ग) उड़ीसा खानों की कुल क्षमता कितनी है—और यदि कोई कमी है तो उसके कारण क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजारनवीस):** (क) और (ख). तीसरी योजना में नियत लौह अयस्क का उत्पादन लक्ष्य तीसरी योजना के अन्त तक प्राप्त करना है ; और इस प्रकार वार्षिक उत्पादन लक्ष्य नियत नहीं किये गये है । गोआ को छोड़ कर, तीसरी योजना के पहले वर्ष (१९६१–६२) में लौह अयस्क के उत्पादन में केवल १३० लाख टन की कमी थी जबकि तीसरी योजना अवधि के अन्त तक ३२० लाख टन क्षमता लक्ष्य प्राप्त किया जाना है । १९५९–६० में उत्पादन में ४० लाख टन की वृद्धि हुई है । जो वृद्धि हुई है वह देश की लोहा और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Gazetteers

इस्पात उद्योग की सब अयस्क आवश्यकताओं और वर्तमान निर्यात वचनों को पूरा करने के लिये काफी है ।

(ग) खानों की इस रूप में कोई क्षमता निश्चित नहीं है, आम तौर पर, परिवहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए, आन्तरिक आवश्यकता और निर्यात बाजार के अनुसार खानों से, सीमाओं के अन्दर उत्पादन बढ़ाया जाता है और बढ़ाया जा सकता है । उड़ीसा में लौह-अयस्क के कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई ; १९६१ में उत्पादन ४७ लाख टन था जबकि १९६० में ३७.३० लाख टन है ।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये विदेशी सहायता

†८५७. **श्री विश्व नाथ राय :** क्या खान और ईंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये इस वर्ष किसी बिदेशी सरकार ने कोई पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

औद्योगिक निर्माण कार्यों के लिये प्रविधिक सेवा

†८५८. **श्री कोल्ला वैंकैया :** क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर और अन्य मुकम्मिल औद्योगिक एकांशों के निर्माण में अनुभव प्राप्त लोगों की औद्योगिक निर्माण कार्यों के लिये एक प्रविधिक सेवा बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने लोगों के साथ और यदि नहीं तो क्यों ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम):** (क) और (ख). अनुभवी इंजीनियरों का एक निर्माण दल बनाने का प्रश्न हिन्दुस्तान स्टील के विचाराधीन है, किन्तु अभी तक इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया ।

केरल में भंगियों के लिये मकान

†८५९. **श्री प० कुन्हन :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना अवधि में केरल में मंत्रियों के लिये कितने मकान बनाये गये हैं; और

(ख) तीसरी योजना अवधि के पहले दो वर्षों में केरल में मन्त्रियों के लिये कितने मकान बनाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर):** (क) और (ख). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की खानों द्वारा लौह अयस्क का उत्पादन

†८६०. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की खानों द्वारा लौह अयस्क का उत्पादन रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों की पूरी आवश्यकता पूरी करेगा ;

(ख) यदि नहीं, तो इन खानों से इन इस्पात कारखानों की पूरी आवश्यकता की पूर्ति की जाने की आशा की जाती है ; और

(ग) क्या वे इस अवधि में सम्भरण के लिये गैर सरकारी खान मालिकों पर निर्भर रहने का विचार करते है और यदि हां, तो क्या वार्षिक आधार पर सम्भरण का कोई अभ्यंश नियत किया जा रहा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**:(क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील सीमित के सन्यन्त्रों को लौह अयस्क सम्भरण की आयोजना इस आधार पर है कि वे अपना सम्भरण अपनी खानों से या उन खानों से जिनमें सरकार का अधिक अंश है, प्राप्त करेंगे । इस समय दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात सन्यन्त्रों की आवश्यकताएं, यद्यपि पूर्णतया नहीं, अधिकतर, बरसुआ, राजहारा और बोलानी की अपनी खानों से पूरी की जा रही है । इन खानों तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की खानों से आशा की जाती है, कि वे १९६५ तक इन सन्यन्त्रों की सब आवश्यकताओं को पूरा करेंगः ।

(ग) अपनी खानों से वर्तमान कमी को पूरा करने के लिये, जो अपेक्षाकृत कम है—ये इस्पात सन्यन्त्र बाजार की खानों पर निर्भर करते है, जिनसे समाहार राजकीय व्यापार निगम के द्वारा लिया जाता है । हिन्दुस्तान स्टील सीमित, स्वभावतः समय समय पर गैर सरकारी साधनों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है ।

औद्योगिक मजदूरों को पेन्शन की सुविधा

†८६१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब प्रतिरक्षा संस्थाओं में औद्योगिक मजदूरों को पेंशन की सुविधा मिलेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या आदेश दिये गये है ;

(ग) कुल कितने मजदूरों ने पेंशन के लिये अपनी इच्छा प्रकट की है ; और

(घ) क्या उन्हें पेंशन काल के लिये उपदान भी मिलेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय म उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) पेंशन के लिये इच्छा प्रकट करने की अन्तिम तारीख अभी समाप्त नहीं हुई है । अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कितने व्यक्ति पेंशन के लिये इच्छा प्रकट करेंगे ।

(घ) हां, श्रीमान्, नये पशन नियमों के अन्तर्गत उपदान मिलेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटरगाड़ियों की ठेकेदारों द्वारा मरम्मत

†८६२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० ई० एस० अम्बाला छावनी में मोटरगाड़ियों की मरम्मत स्थानीय ठेकेदार करते है ;

(ख) क्या एम० ई० एस० के कारखानों में भी मरम्मत का कुछ प्रबन्ध है ;

(ग) यदि हां, तो यह काम ठेकेदारों से कराने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान्।

(ग) एस० ई० एस० के स्थानीय कारखानों में मोटरगाड़ियों की बड़ी बड़ी मरम्मत की सुविधा नहीं है। अतः कारखानों में न हो सकने वाला काम गैर-सरकारी कारखानों को दे दिया जाता है।

(घ) मरम्मत के लिये ठेकेदारों को निम्न भुगतान किये गये :—

१-४-६० से ३१-३-६१	२१,१३६.९१ रु० इस में १५,३९३.९१ रु० के मूल्य के पुर्जे व सामान भी शामिल हैं।
१-४-६१ से ३०-६-६२	१५,९४८.३९ रु० इसमें १२,२३५.३९ रु० के मूल्य के पुर्जे व सामान भी शामिल हैं।

(ङ) विद्यमान प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है क्योंकि मरम्मत का थोड़ा काम होने के कारण मोटरगाड़ियों की बड़ी मरम्मत कर सकने की क्षमता वाले एम० ई० एस० के कारखाने बनाना लाभप्रद नहीं है।

दिल्ली में पटाखा विस्फोट

†८६३. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २५ जून, १९६२ को दिल्ली के चान्दनी चौक में एक पटाखा-विस्फोट हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति पकड़ा गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां।

(ख) विस्फोट के लिए उत्तरदायी दो व्यक्ति घटना स्थल पर पकड़े गये थे और बाद में उन पर अभियोग चलाया गया। इस काल में उन्हें दण्ड मिल गया है।

आत्महत्यायें

†८६४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आत्महत्याओं के मामलों की स्थितियों तथा कारणों का कोई अध्ययन किया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो निष्कर्ष क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बातार)** : (क) भारत सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राज्यों को ऋण

†८६५. { **श्री गो० कु० सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५ के बाद किन राज्यों को बिना किसी शर्त के ऋण दिया गया है;

(ख) ऐसी स्थिति में कुल कितना ऋण बाकी है;

(ग) क्या कोई राशि वापस दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसका भुगतान ब्याज के साथ किया गया था या बिना ब्याज के किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ऋणों की शर्तें प्रायः उनकी स्वीकृति देते समय निश्चित की जाती हैं। फिर भी, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों को स्वीकार किये गये ऋणों के कुछ मामलों में अभी शर्तें निश्चित नहीं हुई हैं।

(ख) ३७.६० करोड़ रु० ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास में खनिज संसाधनों का उपयोग

†८६६. **श्री रामेश्वर टांटिया:** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मद्रास राज्य के तिरुचि जिले में हाल में किये गये भूतत्वीय सर्वेक्षण से मालूम हुए विभिन्न खनिज संसाधनों का उपयोग करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरतबीस)**: (क) नहीं, श्रीमान् । तिरुचि जिले में खनिज निक्षेप या तो बहुत थोड़े हैं या केन्द्रीय सरकार द्वारा उनका प्रयोग किया जाना लाभप्रद नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला इस्पात कारखाने में आत्महत्या

†८७६. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री गो० महन्ती :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने के श्री एस० एन० मिश्र की कथित आत्महत्या के बारे में पुलिस की रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो पुलिस के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** :(क) हां, श्रीमान् ।

(ख) पुलिस ने अन्त में कहा है 'व्यक्ति गायब है' ।

(ग) यह उड़ीसा सरकार का मामला है ।

आई० सी० एस० अधिकारियों का वेतन निर्धारण

†८६८. **श्री रामेश्वर टांटिया**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १४ अगस्त, १९४७ के बाद बनाये गये पदों पर रखे गये आई० सी० एस० अधिकारियों के वेतन-निर्धारण के बारे में कोई निश्चय हो गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मामला अभी विचाराधीन है ।

डाकघरों की मार्फत जीवन बीमा निगम का प्रीमियम

†८६९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामंत :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० कु० दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के जीवन बीमा निगम का विचार डाकघरों की मार्फ़त प्रीमियम वसूल करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रयोग के आधार पर यह कार्य किसी डाकघर में आरम्भ हो गया है; और

(ग) क्या यह सफल सिद्ध हुआ है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** (क) से (ग). हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयकर विभाग में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को सुविधायें

†८७०. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहिले त्रावन्कुर-कोचीन राज्य के आयकर विभाग में नियुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिकों को, जो बाद में फीड्रल वित्तीय संविलयन आदेश के परिणामस्वरूप केन्द्रीय आयकर विभाग में मिला दिया गया था, उन्हीं सुविधाओं का अधिकार है जो केन्द्रीय सरकार में नियुक्त होने वाले भूतपूर्व सैनिकों को मिलती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि वेतन, आदि निर्धारित करने में उन कर्मचारियों को युद्ध-सेवा का लाभ नहीं दिया जाता जो पहिले के त्रावन्कुर-कोचीन राज्य में सेवा कर रहे थे;

(घ) क्या यह भी सच है कि १ अप्रैल, १९५० के बाद केन्द्रीय सेवा में भर्ती हुए कर्मचारी भी युद्ध-सेवा का लाभ पाने के अधिकारी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो १ अप्रैल, १९५० से पहिले के त्रावन्कुर-कोचीन राज्य की सेवा में नियुक्त हुए कर्मचारियों को वही लाभ न देने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :(क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख), (ग) और (ङ). अस्थायी रूप में असैनिक पदों पर नियुक्त किये गये युद्ध-सेवा के उम्मीदवारों के वेतन-निर्धारण के आदेश वर्तमान मामले में संगत नहीं हैं क्योंकि संबंधित व्यक्ति पहिले के त्रावन्कुर-कोचीन राज्य के आयकर विभाग की सेवा में थे । फीड्रल वित्तीय संविलयन के फलस्वरूप केवल उन्हें केन्द्रीय आयकर विभाग में बदल दिया गया । अतः बदली होने पर उनकी सेवा की शर्तों पर उस संविलयन के बारे में सरकार द्वारा जारी किये गये नियम और आदेश लागू होते हैं । सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति होने पर युद्ध-सेवा का लाभ दिया जाता है । यह लाभ स्थानान्तरण के मामले में, जैसा कि यह मामला है, नहीं दिया जाता ।

(घ) हां, श्रीमान् ।

अन्दमान में लोक निर्माण विभाग के मजदूर

†८७१. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री उमानाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान में लोक निर्माण विभाग में कितने मजदूर हैं;

(ख) क्या वे सब स्थायी कर्मचारी हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों की 'आकस्मिक', 'मौसमी', 'ठेका' मजदूर जैसी श्रेणियां हैं;

(घ) क्या वेतन आयोग की सिफारिशें उन पर लागू की गई हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार अन्दमान में सभी विभागों में प्रत्येक कर्मचारी को ८० रु० न्यूनतम वेतन देने का आदेश दिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) यदि हां, तो क्या यह सच है कि लोक-निर्माण विभाग के कर्मचारियों को इस आदेश का लाभ नहीं दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वातार)** :(क) लगभग ८,६०० से अधिक ।

(ख) नहीं ।

(ग) हां ।

(घ) वेतन आयोग की सिफारिशें 'आकस्मिक', 'मौसमी' और 'ठेका' मजदूरों पर लागू नहीं होती हैं ।

(ङ) नहीं ।

(च) और (छ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†८७२. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **शिक्षा** मंत्री ३१ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिये छात्रवत्तियों के बारे में केरल सरकार से पूरी रिपोर्टें मिल गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) एक प्रति पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ८२**]

केन्द्रीय सचिवालय की इमारत की छत से कूद कर आत्महत्या

†८७३. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९ जून, १९६२ को एक व्यक्ति ने केन्द्रीय सचिवालय की छत से कूद कर आत्महत्या की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सचिवालय की छत से कूदने का दो महीनों में यह तीसरा मामला था ; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए छत पर जाना बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वातार)**: (क) हां । १९ जून, १९६२ को प्रति-रक्षा मंत्रालय के एक अवकाश प्राप्त लेखा अधिकारी ने केन्द्रीय सचिवालय के नार्थ ब्लाक की छत से कूद कर आत्महत्या की थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ६ अप्रैल, १९६२ को एक महिला पुस्तकालय-कर्मचारी नार्थ ब्लाक की छत से कूदी थी। उसकी मत्यु चोट के कारण ९ अप्रैल, १९६२ को अस्पताल में हुई। एक और घटना १ जून, १९६२ को हुई जब कि एक निम्न श्रेणी के क्लर्क ने साउथ ब्लाक की चौथी मंजिल के एक कमरे की खिड़की से कूद कर आत्म हत्या की थी।

(ग) इन मामलों में कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जा सकती।

जम्मू तथा काश्मीर में तेल की खोज

†८७४. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर में खोज-कार्यक्रम में देर हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में और देर न हो, इस दृष्टि से क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पुनर्वास वित्त प्रशासन के ऋण के मामले

†*८७५. **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास वित्त प्रशासन के कितने ऋण के मामले वसूली के लिये न्यायालयों में अनिश्चित पड़े हैं ;

(ख) उनकी कुल कितनी धन राशि है ; और

(ग) कितने मामलों में ऋणियों और कितने मामलों में उनके जामिनों के खिलाफ अभियोग चलाये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) शून्य।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

शैक्षणिक और व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन

†*८७६. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षणिक और व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन की केन्द्रीय योजना के अनुसार जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें क्या प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सभी पुनर्गठित माध्यमिक स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन की व्यवस्था कब तक हो जाने की संभावना है ;

(ग) विभिन्न राज्यों में अभी तक कितने पथ-प्रदर्शन कार्यालय खुल चुके हैं और उन्होंने जो काम किये हैं उनका सारांश क्या हैं ; और

(घ) उपर्युक्त विषय में पुनर्गठित माध्यमिक प्रत्येक स्कूल में व्यावसायिक शिक्षण के लिये क्या काम किया जाता है और इसमें राज्य तथा केन्द्र का क्या दायित्व रहता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) नौ राज्यों और चार संघीय क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक राज्य और तीन संघीय क्षेत्रों के लिए योजना स्वीकृत कर ली गई है। अन्य योजनायें विचाराधीन हैं।

(ख) तीसरी योजना के अन्त तक केवल १२० स्कूलों में मार्ग दर्शन सेवाएं उपलब्ध करने की वर्तमान योजना है।

(ग) ३४ सामान्यतया मार्गदर्शन की राज्य एजेन्सियों के कार्य इस प्रकार हैं :—

१. स्कूलों के लिये कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना ;

२. स्कूलों में मार्गदर्शन कार्यक्रमों के संगठन तथा पर्यवेक्षण में सहायता करना ;

३. प्रादेशिक भाषाओं में मार्गदर्शन के परीक्षण तथा अन्य साधन तैयार करना ;

४. व्यावसायिक सूचना सामग्री तैयार करना; और

५. अनुसंधान करना।

(घ) बहुद्देशीय स्कूलों में मार्ग-दर्शन कार्यक्रमों में निम्नांकित क्रियाकलाप शामिल हैं :—

१. कक्षा ६ और उससे आगे की कक्षाओं के समस्त छात्रों के लिए संचयी अभिलेख कार्डों का अनुरक्षण ;

२. व्यावसायिक सूचना देने वाले कमरे के एक कोने का अनुरक्षण ;

३. परीक्षण, व्यावसायिक सूचना आदि जैसे कक्षा वार्ताओं तथा दूसरे मार्ग-दर्शन क्रिया-कलापों के लिए समय-सारणी में व्यवस्था ;

४. माता-पिता के लिए अनुकूलन वार्तालाप ;

५. कक्षा ८ और ९ के छात्रों को व्यक्तिगत सलाह ;

६. कक्षा ८ की अन्तिम अवधि में पाठ्यक्रम स्रोतों के लिए छात्रों का चुनाव।

मार्ग-दर्शन सेवाओं की सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। भारत सरकार द्वारा स्थापित शैक्षणिक तथा व्यावसायिक मार्ग-दर्शन के केन्द्रीय ब्यूरो, राज्य सरकारों द्वारा प्रतिनियुक्त मुख्य मुख्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने, मार्गदर्शन के साधन और सामान तैयार करने, राज्य तथा प्राइवेट मार्ग-दर्शन एजेन्सियों आदि के क्रियाकलापों की योजना बनाने तथा उनके कार्य के समन्वय के लिये उत्तर-दायी है। राज्यों में मार्ग-दर्शन सेवाओं की व्यवस्था करने तथा उनको सुदृढ़ करने के लिये केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता भी दे रही है।

मंत्रियों के भत्ते

८७७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या गृह-कार्य मंत्री २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष मंत्रियों, राज्य-मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा-सचिवों को वेतन के अतिरिक्त वर्ष में कुल मिलाकर पृथक्-पृथक् कितना भत्ता दिया गया ;

(ख) क्या ऐसे भी कोई इन व्यक्तियों में से हैं जिनका भत्ता वेतन से अधिक था ;

(ग) क्या भविष्य में भत्ता देने के नियमों में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). २८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०५१ के उत्तर में दिये गये आश्वासन के बारे में पूरी सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है ।

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

क्रेन बनाने के कारखाने

८७८. **श्री म० ला० द्विवेदी:** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्रेन बनाने के लिये कितने कारखाने चल रहे हैं, और इनमें कितनी क्रेन प्रति वर्ष तैयार होती हैं ;

(ख) १९६१-६२ में कुल कितनी क्रेनें तैयार की गईं और उनका कितना मूल्य था ; और

(ग) इस अवधि में विदेशों से कितनी क्रेनों का आयात किया गया ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) इस समय देश में १५ फर्में क्रेन बना रही हैं । उनकी लाइसेंस की गई क्षमता १९,८६० टन प्रति वर्ष है । वास्तविक संख्या आकार और प्रकार के अनुसार घटे बढ़ेगी ।

(ख) १९६१ में ३,२५० टन क्रेनें तैयार हुईं जिनका मूल्य १·६२ करोड़ रुपये था । तैयार क्रेनों की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(ग) १९६१-६२ में २३१ क्रेनें आयात की गईं ।

केरल में 'पावर ट्रांसफार्मर' कारखाना

†*८७९. **श्री वारियर :**
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री २१ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १५९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बीच केरल राज्य में 'पावर ट्रांसफार्मर' कारखाना स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: भारत सरकार ने मैसर्स हिताचि ट्रांसफार्मर्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स (केरल) लि०, त्रिवेन्द्रम तथा जापान के मैसर्स हिताचि के बीच सहयोग की शर्तें स्वीकार कर ली हैं। विचार है दोनों पार्टियों में करार हो गया है परन्तु उस पर अन्तिम स्वीकृति के लिए भारत सरकार को करार भेजने से पहले केरल सरकार और आयोजकों के बीच एक एक या दो बातों पर विचार विमर्श हो रहा है।

'रोलिंग स्टील स्लीपर'

†८८०. **श्री भागवत झा आजाद**: क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई स्टील प्लांट ने भारतीय रेलों को रोलिंग स्टील स्लीपर देने आरम्भ कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) अब तक कितना उत्पादन हुआ है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) और (ख). भिलाई स्टील प्लांट ने जून, १९६२ से 'रोलिंग क्रासिंग स्लीपर बार सेक्शन' देने आरम्भ कर दिये हैं।

(ग) १५२१ मीट्रिक टन।

गोआ

†८८१. **श्री अ० व० राघवन** :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में "बैंकों नेशनल अलट्रामेरिनो" में धन जमा करने वालों की कितनी धनराशि है ; और

(ख) निक्षेपकों को यह धन राशि देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १८ जून, १९६१ को "बैंकों नेशनल अल्ट्रामेरिनो" की शाखाओं ने भारत में पुर्तगाली बस्तियों की स्वाधीनता के बाद काम करना बन्द कर दिया था। उस दिन निक्षेपकों के २९४·८१ लाख रु० तथा तब तक के सरकारी विभागों और अर्ध सरकारी संस्थाओं के ६०५·५२ लाख रु० जमा थे।

(ख) हाल में संविधान के अनुच्छेद २४० के अन्तर्गत एक विनियम जारी करने का विचार है जिससे और बातों के साथ जन साधारण को उसकी धन राशि देने का उपबन्ध किया जायेगा।

गृह-निर्माण समितियों को भूमि

†८८२. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर पालिका निगम के दक्षिण दिल्ली खण्ड कार्यालय के तीन एकड़ भूमि, जहां से हाल में झुग्गियां हटाई गई थीं, एक गृह निर्माण सहकारी समिति दी गई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह भूमि किन शर्तों पर दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां।

(ख) दिल्ली में प्राप्त भूमि के नियतन सम्बन्धी श्री प्र० गं० देव द्वारा नियम १९७ के अधीन दी गई सूचना के उत्तर में २३ मार्च, १९६१ को पटल पर रखे गये विवरण के पैरा ३ और ४ में बताई गई शर्तों के अनुसार किया गया है।

कार्य अध्ययन संस्था

†८८३. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में लंढौर (मसूरी) में एक कार्य अध्ययन संस्था खोली गई है ;

(ख) यदि हां, तो संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है ; और

(ग) इससे राष्ट्र को किस प्रकार लाभ होगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) मुख्य उद्देश्य निम्न है :—(१) प्रतिरक्षा मन्त्रालय के प्रतिरक्षा सेवा संगठनों में प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को कार्य अध्ययन और सम्बन्धित विषयों में प्रशिक्षण देना ; (२) कार्य अध्ययन की व्यावहारिक परियोजनाओं की वस्तुतः कार्यान्विति में सहायता देने की प्रार्थना किये जाने पर प्रतिरक्षा सेवाओं के संस्थानों तथा संगठनों को सहायता देना; और (३) प्रतिरक्षा संगठन में कार्य अध्ययन की कार्यवाही का समन्वय करना।

(ग) कार्य अध्ययन का उद्देश्य है विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के फलस्वरूप उच्चतर कार्य-संचालन कुशलता तथा उत्तम कार्य करना।

मद्य निषेध क्षेत्र

†८८४. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री नम्बियार :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार मद्य निषेध क्षेत्र बनाने के लिए चार राज्यों के प्रतिनिधियों का एक कान्फ्रेन्स बुला रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कान्फ्रेन्स बुलाने के क्या कारण है ; और

(ग) इस कान्फ्रेन्स से उक्त राज्यों को क्या लाभ होगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां। इस मामले पर विचार करने के लिये उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने का विचार है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण मद्य निषेध लागू करने का अवस्थावार प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम की प्रभावी कार्यान्विति के लिये दिल्ली के चारों ओर मद्य निषेध क्षेत्र बनाना आवश्यक है।

(ग) ऐसे क्षेत्र बनाना देश के सामान्य हित में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल म भारी उद्योग

†८८५. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री १८ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में भारी उद्योग स्थापित करने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देर होने का क्या कारण है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) नहीं ।

(ख) बिजली का सामान बनाने के लिये केरल राज्य के औद्योगिक विकास निगम के प्रार्थना-पत्र कुछ अनिवार्य बातों के सम्बन्ध में अपूर्ण थे और अतिरिक्त जानकारी मांगी हुई है । जहां तक कालीकट में उर्वरक कारखाने की स्थापना का प्रश्न है, उत्पादन की योजना केवल चौथे योजना-काल के लिये बनाई जा सकती है क्योंकि तीसरी योजना की लक्ष्य-क्षमता से अधिक के लाइसेन्स पहिले ही दिये जा चुके हैं । कच्चे माल की उपलब्धि जैसे भी प्रश्न है, जिनकी जांच और निश्चय हो । आवश्यक है । फिर भी, मामले पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जायेगा और निकट भविष्य में इसका निश्चय कर लिया जायेगा । परन्तु शर्त यह है कि कच्चे माल की उपलब्धि, आदि के प्रश्नों का सन्तोषजनक हल मालूम कर लिया जाये ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का विकेन्द्रीकरण

†८८६. **श्री प० कुन्हन :**
श्री उमा नाथ :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **इस्पात, और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकेन्द्रीकरण के कारण हिन्दुस्तान स्टील आफिस, रांची में काम करने वाले कर्मचारियों को छंटनी का नोटिस दे दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसका असर कितने कर्मचारियों पर पड़ा है ; और

(ग) इन कर्मचारियों को क्या वैकल्पिक नौकरियां दी गई हैं ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने यह निर्णय लिया है कि पुनर्गठन के परिणामस्वरूप फालतू कर्मचारियों को संयन्त्र में लगा लिया जाये और यथासम्भव उनका वर्तमान वेतन तथा पद बनाये रखा जाये ।

हट्टी की सोने की खाने

†८८७. **श्री यलमंदा रेड्डी :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार रामचुरू जिला, मैसूर राज्य में हट्टी की सोने की खानों को हस्तान्तरित कर रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). जुलाई, १९५८ से भारत सरकार खानों से सोना अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर ले रही है और मैसूर सरकार को मूल्यों के अतिरिक्त अनुदान दे रही है जिससे उनकी निधि में गड़बड़ी न हो। यह व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं थी इसलिये यह निर्णय किया गया कि इन खानों का नियन्त्रण केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले ले जिससे उत्पादन व्यय की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की हो जाये। हस्तांतरण की शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं।

विदेशियों द्वारा चाय बागानों का विक्रय

†८८८. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी चाय बागानों के मालिक भारत में अपनी सम्पदाओं को बेच रहे हैं ; और

(ख) १९६१–६२ में ऐसी कितनी तथा कितने मूल्य की बिक्रियां हुईं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां।

(ख) १९६१–६२ में ६२.९८ लाख रुपये की पांच चाय सम्पदायें बेची गईं थीं। इसी अवधि में तीन बागानों के कुछ भाग ६.८५ लाख रुपये के भी बेचे गये थे।

भारी मशीनें बनाने का संयंत्र

†८८९. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी मशीनें बनाने के सन्यन्त्र की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रही है ;

(ख) क्या 'फोर्जिग्स' और 'कास्टिंग्ज़' मूलत: विदेशों से आयात की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा चाहिए ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). एक विवरण है।

विवरण

(क) भारी मशीनें बनाने के सन्यन्त्र का निर्माण और स्थापना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्बद्ध हो रहा है।

(ख) भारी मशीनें बनाने के सन्यन्त्र में उत्पादन की आरम्भिक दशा में यह प्रस्ताव किया गया था कि उत्पादन कार्यक्रम का आयोजन इस रूप में बनाया जाये कि 'हैवी कास्टर्गिस और 'फोर्जिग्स' की आवश्यकता देश में निर्मित इन वस्तुओं से अधिक न हो। ओवरहैड क्रेन, आयल ड्रिलिंग रिग्स, खनिज तथा तेल उद्योगों के लिये अपेक्षित यन्त्र, और विभिन्न उद्योगों के लिये अपेक्षित स्क्रीनिंग यन्त्र आदि लाइट मशीनें हैवी मशीनों के साथ साथ हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में बनायी जायेगी। उत्पादन कार्यक्रम की आरम्भिक दशा में लाइट मशीनों पर और फैबरीकेशन वस्तुओं पर अधिक बल दिया जायेगा जिनके लिये हैवी कास्टिंग्स और फोर्जिंग्स की जरूरत नहीं होती है। आरम्भ में वैकल्पिक उत्पादन टैक्निकल अस्थाई तौर पर प्रयोग होगा और बाद में फैबरीकेशन के स्थान पर हैवी कास्टिंग्स

†मूल अंग्रेजी में

और फोर्जिंग्स का इस्तेमाल होगा। कास्टिंग्स और फोर्जिंग्स के मामले में विदेशों पर भी आधारित रहना होगा क्योंकि जब तक फाउण्ड्री फोर्ज परियोजना पूरी नहीं हो जाती तब तक इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता है। सन्यन्त्र में यथासम्भव देसी कास्टिंग्स और फोर्जिंग्स का इस्तेमाल होता। परन्तु कुछ आयात आवश्यक है।

(ग) सन्यन्त्र का उत्पादन कार्यक्रम बनाया जा रहा है और अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि 'कास्टिंग्स' और 'फोर्जिंग्स' के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। हमारी मशीन की आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन के ढांचे का देसी 'कास्टिंग्स और 'फोर्जिंग्स' कितना उपयोग होगा अथवा वैकल्पिक उत्पादन टैक्नीक का प्रयोग होगा, पर निर्णय होगा।

उष्मसह ईंटों आदि का आयात[1]

†८९०. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन इस्पात संयंत्रों को कुल कितने उष्मसह ईंटों की आवश्यकता है ; और

(ख) इस्पात संयंत्रों के लिये इस सामान का कितना और किस मूल्य पर आयात किया गया ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) सरकारी क्षेत्र के तीन संयंत्रों के कार्य के लिये प्रतिवर्ष लगभग १९१,००० मीट्रिक टन उष्मसह ईंटों आदि की आवश्यकता होती है। इन संयंत्रों के विस्तार के लिये लगभग २४१,००० मीट्रिक टन उष्मसह सामान की आवश्यकता होगी।

(ख) उष्मसह सामान का औसतन १७ प्रतिशत आयात करना पड़ता है। फायर-क्ले, सिलिका और बेसिक उष्मसह सामान के मूल्य ३६० रुपये प्रतिटन से लेकर ९३० रुपये प्रति टन होते हैं और विशेष उष्मसह सामान, जैसे हाई अलुमिना, कार्बन और कार्बोरंडम का मूल्य १,१५० प्रति टन से लेकर ३,१०० रुपये प्रति टन होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिये १४३,००० मीट्रिक टन उष्मसह ईंटें आदि की आवश्यकता होगी जिस में से ८२,००० मीट्रिक टन का आयात किया जायेगा। दुर्गापुर और रूरकेला के विस्तार के सम्बन्ध में आयात की मात्रा अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं की गयी है।

इस्पात संयंत्रों का क्षमता से कम उत्पादन

†८९१. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्डर्स न होने के कारण तीन इस्पात संयंत्रों के कोई यूनिट (एकक) बेकार रखे जाते हैं या अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन एककों के नाम क्या हैं और कौन सी वस्तुओं का उत्पादन कम हो रहा है ; और

(ग) क्षमता से कम उत्पादन करने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). तीनों संयंत्रों के बेन्ज़ाल शोधन तथा तार डिस्टिलेशन यूनिट कभी-कभी क्षमता से कम उत्पादन करते हैं जिसके कारण हैं आर्डर का अभाव। और संयंत्रों के आन्तरिक प्रयोग के लिये कच्चा डामर काम में लाने की आवश्यकता है। ये वस्तुएं कोक-भट्टों के उप-उत्पाद हैं।

(ग) भारतीय और विदेशी बाजारों में मांग कम होना।

---

† मूल अंग्रेजी में

[1] Import of Refractories.

इस्पात संयंत्रों म स्टाक इकट्ठा होना

†८९२. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों में इस्पात की किसी वस्तु के कोई स्टाक इकट्ठे हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण परिवहन की कठिनाई है या मांग का अभाव ; और

(ग) इन स्टाक का कुल मूल्य कितना है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) और (ख). इस्पात संयंत्रों में तैयार इस्पात विशेषकर उन वस्तुओं के स्टाक इकट्ठा हो गये हैं जिनके लिये बी एफ आर वैगन आवश्यक होते हैं।

(ग) जून, १९६१ तक इस्पात संयंत्रों में इकट्ठा हुए स्टाक का कुल मूल्य ६.६५ करोड़ रुपये था।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को ऋण

†८९३. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने केन्द्रीय सरकार से ३० जून, १९६२ तक कुल कितना ऋण लिया है ;

(ख) इन ऋणों पर ब्याज किस दर से लिया जाता है ; और

(ग) इन पर ब्याज किस तारीख से दिया जा रहा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) ३५७.१० करोड़ रुपये।

(ख) ५ प्रतिशत प्रति वर्ष।

(ग) ब्याज देने का दायित्व १ अप्रैल, १९६२ से आरम्भ होता है।

सोने की जब्ती

†८९४. **श्री दशरथ देब** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सीमा-शुल्क अधिकारियों ने १६ जून, १९६२ को भारतीय मालवाहक जहाज 'सरदार पटेल' से लगभग २,६०,००० रुपये का अवैध सोना जब्त किया ;

(ख) यदि हां, तो इस तस्कर व्यापार से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). बम्बई सीमा-शुल्क अधिकारियों ने १६ जून, १९६२ को "एम० वी० सरदार पटेल" नामक जहाज़ से २००० तोला सोना, जिसका मूल्य अनुमानतः २,८०,००० रुपये है, जब्त किया। यह सोना कपड़े की जैकिट के अन्दर सी दिया गया था और वह जहाज के हैच नं० ३ के नीचे ब्लोअर में पायी गयी। सोने के बारे में किसी ने दावा नहीं किया। आगे जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिम बंगाल की अनुसूचित आदिम जातियां

†८९५. **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सरकार मुरमू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक उन्नति तथा अन्य सर्वांगीण विकास के लिये केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कोई योजनायें हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे विशिष्ट योजनायें क्या हैं ;

(ग) पश्चिम बंगाल के लिये ऐसी योजनाओं के लिये तीसरी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र से कुल कितना धन अलग रखा गया है ; और

(घ) इन जातियों के आर्थिक विकास के लिये किन-किन योजनाओं को पूर्ववर्तिता दी जाती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). आवश्यक जानकारी देनेवाला एक विवारण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८३]**

(घ) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम में अनुसूचित आदिम जातियों के आर्थिक विकास की योजनाओं को पूर्ववर्तिता दी जाती है । ये योजनायें इस प्रकार हैं :—

(१) आदिम जाति विकास खण्ड ।

(२) सहकार जिस में वन सहकारी तथा विपण्न और उपभोक्ता सहकारी समितियां भी शामिल हैं ।

आदिम जाति विकास खण्ड उन क्षेत्रों के लिये होते हैं जिनमें आदिम जनसंख्या काफी हो और चूंकि पश्चिम बंगाल के किसी क्षेत्र में इस जनसंख्या का प्रतिशत विहित अर्थात् कुल जनसंख्या का का ६६ $^{1}/_{3}$ प्रतिशत नहीं है अतः पश्चिम बंगाल को कोई आदिम जाति विकास खण्ड नहीं दिये गये हैं ।

विशेष पुलिस प्रतिष्ठान

†८९६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने १९६१ में पूर्वार्द्ध में कितने सरकारी कर्मचारियों के बारे में जांच की ;

(ख) उन में से अब तक कितने कर्मचारी गजेटेड थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उन में से अब तक कितनों का दोष सिद्ध हुआ है ;

(घ) कितने कर्मचारियों के विरुद्ध अभी कार्यवाही जारी है ; और

(ङ) उसे जल्दी पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८४**]

बुद्ध जयन्ती पार्क नई दिल्ली

†८९७. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री हेडा :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में बुद्ध जयन्ती पार्क में स्थापित किये जाने वाले स्मारक का नमूना चुन लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो काम कब आरंभ होगा और उस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूंन् कबिर)** : (क) जी, हां ।

(ख) डिज़ाइन के निर्माण का दायित्व निर्धारित करने के लिये जो परीक्षण किये जायेंगे उन के लिये पैमाने पर कांक्रीट का एक नमूना तैयार किया जा रहा है। यह निर्धारित करने के बाद ही निर्माण के व्यय और काम आरंभ होने के प्रश्नों के बारे में निर्णय किया जा सकता है ।

दिल्ली में आग की रोकथाम

†९९८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिस में इस बात पर जोर दिया गया है कि राजधानी में आग की रोकथाम सम्बन्धी नीति निर्धारण से उसे सम्बद्ध किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या राय है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). नई दिल्ली नगर पालिका ने एक संकल्प पास किया है जो दिल्ली नगर निगम को , जो दिल्ली राज्य-संघ को क्षेत्र की अग्नि सेवा से सम्बन्धित है, भेज दिया गया है । निगम ने इस संकल्प पर, अब तक विचार नहीं किया है ।

जनसाधारण के लिये न्याय

†८९९. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनसाधारण के लिये न्यायदान को शीघ्र और सस्ता बनाने की दृष्टि से अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : विधि आयोग ने अपनी चौहदवीं रिपोर्ट में जो सिफारिशें की हैं उनकी ओर सभी राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है क्योंकि न्याय का प्रशासन राज्य सरकार से सम्बन्धित है। इस विषय पर १९६० में विधि मंत्री सम्मेलन तथा १९६१ में उच्चन्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में जो मुकदमे अनिर्णीत हैं उन्हें शीघ्रता से निबटाने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय ने कदम उठाये हैं। विधि आयोग प्रक्रिया सम्बन्धी कानूनों को सरल बनाने के उद्देश्य से व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की जांच कर रहा है।

कोलार की सोने की खानें

†९००. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि :

(क) मैसूर की कोलार सोने की खाने के एक या दो शैफट में सोने की शाखायें मिली हैं जिन में सोना प्रचुर मात्रा में है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : अभी हाल में सोने के अयस्क की कुछ नई शाखायें पाई गयी हैं किन्तु उन में सोना प्रचुर मात्रा में है या नहीं यह और खुदाई किये बिना कहना संभव नहीं है।

हैजा-निरोध आन्दोलन

†९०१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय सैनिक हैजा-निरोधक आन्दोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : जी, नहीं। असैनिक अधिकारियों से इस सम्बन्ध में सहायता के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई।

दक्षिण में तेल की खोज

†९०२. **श्री उमानाथ** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस से सामान प्राप्त होने में विलम्ब के फलस्वरूप दक्षिण में तेल की खोज के कार्य में विलम्ब किया जा रहा है या वह धीरे-धीरे किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण में तेल की खोज के सम्बन्ध में सोवियत संघ से क्या सहायता आदि प्राप्त की जा रही है और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) करार किस प्रकार कार्यान्वित हो रहा है और वह कब किया गया था ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

निवेली लिग्नाइट

†९०३. { **श्री उमा नाथ** :
श्री मे० क० कुमारन :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निवेली लिग्नाइट तथा सैलेम लौह अयस्क के बारे में अब किये गये परीक्षणों का न्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

---

†मल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां और सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ; और

(घ) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो अन्तिम प्रतिवेदन संभवत: कब तक प्राप्त हो जायेगा और सरकार ने प्रतिवेदन जल्दी प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) अन्तिम प्रतिवेदन जल्दी ही प्राप्त होने की संभावना है। पूर्व जर्मनी की सरकार से परीक्षण शीघ्र करने की प्रार्थना की गयी है।

हिन्दी का अध्ययन

†१०४. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री प० कुन्हन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल, , मद्रास, मैसूर, और आन्ध्र प्रदेश इन चार राज्यों में से कौन सा राज्य हिन्दी के स्वेच्छापूर्वक अध्ययन में अग्रणी है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार हिन्दी के स्वेच्छापूर्वक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिये इन राज्यों को आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का प्रोत्साहन देती है ; और

(ग) यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) प्रत्येक अहिन्दी भाषी राज्य, जिन में केरल, मद्रास, मैसूर, और आन्ध्र प्रदेश शामिल हैं , किसी न किसी प्रकार से हिन्दी का प्रसार कर रहा है। इस मामले में कौन सा राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील है इस बात का मूल्यांकन करना कठिन है।

(ख) और (ग). भारत सरकार हिन्दी के प्रसारणार्थ निम्नलिखित तीन योजनाओं के अन्तर्गत अहिन्दी भाषी राज्यों को अनुदान देती है :—

(१) हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये आर्थिक सहायता ;
(२) उच्च और उच्च माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति ; और
(३) हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण स्कूल खोलना और हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण की वर्तमान सुविधायें बढ़ाना ।

भारत सरकार स्कूलों, कालिजों और पुस्तकालयों को वितरण के लिये अहिन्दीभाषी राज्यों को हिन्दी की चुनी हुई पुस्तकें नि:शुल्क देती है।

जीवन बीमा निगम के व्यवसाय का व्यपगत होना

†१०५. **श्री श० ना० चतुर्वेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये 'व्यवसाय' का कितना प्रतिशत १९५९, १९६० और १९६१ में पहली किश्त के भुगतान के बाद व्यपगत हो गया तथा उसकी राशि कितनी थी ; और

(ख) इन में से प्रत्येक वर्षों में इस प्रकार समाप्त हुए कार्य का कितना प्रतिशत मासिक किश्तों वाला था तथा उसकी राशि कितनी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क)

जारी करने का वर्ष	पहली किस्त के भुगतान के बाद समाप्त हुआ कार्य (करोड़ रु०)	इस प्रकार समाप्त कार्य का नये कर्य से बीमे की राशि का अनुपात (%)
१९५९ .	७५.१९	१८.०१
१९६० .	९४.५३	१९.४५
१९६१ .	जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है	

जारी करने का वर्ष	मासिक किश्तों वाली पालिसियों की पहली किश्त के भुगतान के बाद समाप्त कर्य (करोड़ रु०)	मासिक किश्त वाले समाप्त कार्य का सभी प्रकार के व्यपगत व्यवसाय कार्य का अनुपात (%)
१९५९	१६.७७	२२.२८
१९६०	२०.८४	२२.०४
१९६१	जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।	

मैसूरी की पहाड़ियों से चूने का पत्थर

९०६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री २३ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की जांच की गई है कि देहरादून के समीप मसूरी व अन्य पहाड़ों की ढालों के चूने का पत्थर अनियंत्रित ढंग पर बड़ी मात्रा में निकालने से कितनी हानि हो रही है तथा भविष्य में होने की आशंका है ; और

(ख) उस हानि को रोकने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

खान और ईंधन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) देहरादून की पहाड़ियों से चूना पत्थर निकालने के विषय से सम्बन्धित खनन तरीकों और शर्तों का परीक्षण किया गया है।

(ख) राज्य सरकार ने देहरादून जिले में चूना पत्थर के उत्खनन के लिए अस्थाई खनन परमिटों की मंजूरी की पद्धति को बन्द कर दिया है और खनिज रियायत नियमावली, १९६० के अनुसार खनन पट्टों को मंजूर करने के लिये कदम उठा रही है । ऐसा करने से यह निश्चित किया जा सकता है कि भूभण्डारों एवं जनता के इस्तेमाल में आने वाली निर्माणशालाएं तथा सड़कों आदि को पहुंचाने वाली हानि को रोकने के लिए खाने ठीक तरीके से खनन की जाती हैं।

सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड

९०७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २८ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलों के सैनिक, नाविक व वैमानिक बोर्डों व उनके कर्मचारियों को स्थायी करने के प्रश्न के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : इस विषय पर राज्य सरकारों के विचारार्थ और उनकी स्वीकृति के लिए, विशिष्ट प्रस्ताव भेजे गए हैं, और उन के उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

लन्दन में 'री-यूनियन-मीट'

†९०८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विक्टोरिया क्रास और जार्ज क्रास प्राप्त कितने भारतीय व्यक्ति लन्दन में 'री-यूनियन मीट' में भाग ले रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : सरकार ने विक्टोरिया क्रास प्राप्त दो भारतीयों को जुलाई, १९६२ में लन्दन में आयोजित 'री-यूनियन' में भाग लेने के लिए भेजा था।

आदिम जातियों की ऋण-ग्रस्तता

†९०९. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जातियों की ऋणग्रस्तता का सर्वेक्षण करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस में आदिमजातियों के सभी क्षेत्रों को या उनमें से कुछ ही क्षेत्रों को शामिल करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी हां।

(ख) उन सभी क्षेत्रों का जहां अनुसूचित आदिम जातियां रहती हैं, धीरे-धीरे सर्वेक्षण किया जायगा। पहले कदम के तौर पर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के १८वें दौर में मनीपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को लेने का विचार है।

उड़ीसा में इंजीनियरिंग कालेज

†९१०. **श्री गो० महन्ती** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा में एक नया इंजीनियरिंग कालेज खोलने का विचार है ; और

(ख) क्या इस प्रस्ताव के सभी ब्यौरों पर विचार किया गया है और फैसला हो चुका है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) रूरकेला में एक प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज खोला जायगा।

(ख) ब्यौरे अभी तैयार किये जा रहे हैं।

लोक सहायक सेना

†९११. **श्री गो० महन्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन केन्द्रों में पिछले दो वर्षों में लोक सहायक सेना संगठित की गयी है ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में प्रत्येक केन्द्र में कितने कितने व्यक्ति भरती किये गये ; और

(ग) क्या यह सेना सेनाछात्र दल से भिन्न है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८५**]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी हां। सेना छात्रदल स्कूलों और कालेजों के केवल छात्रों और छात्राओं को सैनिक प्रशिक्षण देना है जब कि लोक सहायक सेना विशेष शिविरों में १८ से ४० वर्ष की आयु के, सामान्य जनता में से पुरुष स्वयंसेवकों को ही प्रशिक्षण देती है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता

†९१२. **श्री गो० महन्ती** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता देने के लिए १९६०-६१ के लिए नियत २.२७ लाख रुपये में से केवल १.३१ लाख रुपया ही खर्च किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितना खर्चा किया गया ; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए, अलग-अलग, कितनी रकम खर्च की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). वर्ष १९६०-६१ की अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त की रिपोर्ट के परिशिष्ट ६ में ब्यौरे उपलब्ध हैं। यह रिपोर्ट सभा पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है।

पट्रोलियम उत्पाद का आयात

†९१३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू जुलाई/सितम्बर, तिमाही में पेट्रोलियम उत्पाद के आयात में भारी कटौती करने के विषय पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा की की बचत होने की संभावना है ; और

(ग) देश की औद्योगिक कार्यवाही में इस भारी कटौती का क्या असर होगा ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). अप्रैल/सितम्बर १९६२ में निर्बाध विदेशी मुद्रा संसाधनों से पेट्रोलियम उत्पाद के आयात में ३ करोड़ रुपये की कटौती करने का सरकार ने निश्चय किया है।

(ग) इस कटौती से देश की औद्योगिक कार्यवाही पर संभवत: कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि देश में शोधन क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार पर्याप्त व्यवस्था कर चुकी है। रुपया भुगतान संसाधनों से अधिक मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद आयात करने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मनीपुर में निकल के निक्षेप

†९१४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के उखरूल सब-डिविजन में निंगथी गांव में निकल पाया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत के भूगर्भ शास्त्रीय सर्वेक्षण विभाग के सदस्य ने वह स्थान देखा था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उस निक्षेप की मात्रा और किस्म क्या है ; और

(घ) उसे निकालने तथा उसका उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) यह लगभग ३६ मीटर लम्बे क्षेत्र में पाया गया है। भारत के भूगर्भशास्त्रीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गयी गहरी खुदाई और उसके नमूनों से यह पता चला है कि निकल के कुछ निक्षेप मौजूद हैं।

(घ) चूंकि अभी तक ऐसे कोई निक्षेप का पता नहीं लगा है जहां से निकल निकाला जा सकता हो इसलिए उसे निकालने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश मे बिजली के भारी सामान का संयंत्र

†९१५. श्री कोल्ला वेन्कैया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में बिजली के भारी सामान का जो संयंत्र स्थापित किया जाने वाला है, उसकी लागत क्या है ;

(ख) उस संयंत्र की उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ग) उस संयंत्र के लिए कितने शिल्पिकों की आवश्यकता है ;

(घ) कितने कुशल मजदूरों की आवश्यकता है ; और

(ङ) काम कब शुरू होगा ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री च० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ङ). बिजली का भारी सामान तैयार करने के लिये आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद के पास रामचन्द्रपुरम् में प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता सालाना ५०/६० मेगावाट तक की साइज के टर्बो आल्टरनेटर और स्टीम टर्बाइन्स के •६.२ लाख किलोवाट होगी।

अनुमान है कि संयंत्र सम्बन्धी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट लगभग सितम्बर, १९६२ के मध्य तक मेसर्स टेक्नोएक्स्पोर्ट, प्राग, से प्राप्त हो जायगी। संयंत्र की लागत, आवश्यक शिल्पिकों और कुशल कारीगरों की संख्या और अन्य ब्यौरों के सम्बन्ध में ठीक-ठीक जानकारी तभी मालूम हो सकेगी जब कि परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी, उस पर विचार किया जायगा और उसे स्वीकार कर लिया जायेगा।

संयंत्र के स्थान पर प्रारंभिक कार्य जैसे जमीन को समतल बनाना और उसकी सफाई करना, निर्माण के दौरान बिजली और पानी की व्यवस्था, रेलवे साइडिंग का निर्माण, और ट्रेनिंग स्कूल वर्कशाप, होस्टल, और प्रवेश सड़कों का निर्माण जारी है।

तेल और गैस उत्पाद

† ९१६. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या खान तथा ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में और तीसरी योजना की अवधि के अंत तक देश में विभिन्न प्रयोगों के लिए विभिन्न तेल और गैस उत्पादों की कितनी मात्रा आवश्यक होगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६२–६३ और तीसरी योजना की अवधि के अंत तक की मांग पूरी करने के लिए विभिन्न देशों से कितनी मात्रा में विभिन्न उत्पाद तैयार किये जायेंगे और आयात किये जायगे; और

(ग) भारत में तैयार किये जाने वाले विभिन्न उत्पादों की और विभिन्न देशों के आयात किये जाने वाले उत्पादों की अनुमानित उत्पादन लागत कितनी है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) १९६१ में तेल मंत्रणा समिति द्वारा निर्मित, उपभोग के अनुमान दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८६]**। अभी इन अनुमानों की समीक्षा की जा रही है।

(ख) देश में जो उत्पाद तैयार किये जायेंगे उनकी मात्रा तटीय-शोधक कारखानों की क्षमता के संबंध में सरकार के अंतिम निश्चय के अधीन है। सरकार अभी इस मामले पर विचार कर रही है इसलिए, तटीय शोधक कारखानों की क्षमता के प्रश्न पर सरकार के अंतिम निश्चय के बाद ही यह निर्धारित किया जा सकेगा कि देश में कितनी मात्रा तैयार की जायेगी और कितना आयात आवश्यक होगा।

(ग) दूसरे देशों में पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत बताना संभव नहीं है। सरकारी क्षेत्र के शोधन कारखानों में उत्पादन लागत, शोधक कारखानों की और शोधन कार्यों की अंतिम लागत पर निर्भर होती है और इसलिए उसे अभी नहीं बताया जा सकता।

सम्बद्ध कालिजों को सहायता

†९१७. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बद्ध कालेजों को योग्यता प्राप्त अध्यापकों के वेतनक्रम बढ़ाने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में दी गयी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता योजना की कार्यान्विति के पांच साल बाद तुरन्त बंद कर दी जायेगी ; और

(ख) जिन कालेजों के संसाधन इतने पर्याप्त नहीं हैं कि वे वेतन वृद्धि का अतिरिक्त खर्च उठा सकें, क्या उन्हें वित्तीय सहायता देना जारी रखने के लिये किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जिन कालिजों ने दूसरी योजना में वेतन क्रम नहीं बढ़ाये हैं, यदि वे बढ़ाना चाहते हों तो उन्हें सहायता देना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंजूर कर दिया है। उन मामलों में जहां आयोग ठीक समझता हो, प्रारंभिक पांच साल की अवधि के बाद एक साल और आगे आयोग की सहायता मिलती रहेगी। पांच साल की अवधि पूरी हो जाने पर आयोग की सहायता बंद कर देने के बाद स्थायी तौर पर पुनरीक्षित वेतनक्रमों के प्रश्न पर आयोग ने राज्य सरकारों के साथ चर्चा की है।

विस्तार पुस्तकालय केन्द्र

†९१८. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधीन १९६१–६२ में कितने विस्तार पुस्तकालय केन्द्र स्थापित किये ;

(ख) अमरीका की गेंहू-ऋण निधि से कुल कितनी रकम दी गयी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अमरीका में पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रशिक्षणा पर कितना खर्च हुआ ;

(घ) अमरीका में कितने मूल्य की किताबें खरीदी गयीं ; और

(ङ) सभी केन्द्रों की कुल लागत कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

आन्ध्र प्रदेश के माल डिब्बे के कोटे में कटौती

†९१९. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अभ्यावेदन किया है कि राज्य के लिए माल डिब्बे के माहवारी कोटे में मई से ११०० डिब्बों की कटौती से राज्य में सामान्यतः उद्योगों पर और खास कर कोयले की स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ा है ; और

(ख) उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). सभी राज्यों के लिये कोयले के कोटे में जून, १९६२ से रद्दोबदल किया गया है ताकि उसे कोयला लाने ले जाने के लिए परिवहन की उपलब्धि के अनुरूप बनाया जा सके । आन्ध्र प्रदेश के मामले में, जुलाई, १९६२ से पुनरीक्षित कोटा २०३० माल डिब्बे माहवार है जब कि आरंभ में वह २०४० माल डिब्बे माहवार था । यह कमी बिलकुल नगण्य है ।

दिल्ली यात्रा अभिकर्त्ता के कार्यालय पर हमला

†९२०. **श्री राम रतन गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक यात्रा अभिकर्ता के कार्यालय पर २७ जून, १९६२ को छापा मारा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). २७-६-१९६२ को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने, विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के सन्देहा पर नयी दिल्ली में यात्री अभिकर्ता की एक फर्म की तलाशी ली थी। उस मामले की अभी जांच पड़ताल हो रही है ।

उड़ीसा के लिये लोहा और इस्पात

†९२१. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ और १९६१-६२ में उड़ीसा राज्य को कुल कितना लोहा और इस्पात दिया गया ;

(ख) क्या उस राज्य ने उन वर्षों में पूरी पूरी मात्रा उठा ली थी ।

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई पूछ-ताछ की है कि जब संपूर्ण राज्य में भारी कमी है और बहुत मांग है तब वह राज्य किन कारणों से अपना पूरा कोटा न उठा सका ; और

(घ) १९६२–६३ के लिए कितनी मात्रा नियत की गयी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) इस्पात का छमाही नियतन वित्तीय वर्ष के अनुसार किया जाता है। १९६०–६१ की पहली छमाही में, नियतन प्लेट्स शीट्स और तार तक ही सीमित थे। १९६०–६१ की दूसरी छमाही में प्लेट्स को भी रियायत प्राप्त श्रेणी के तौर पर समझा गया और केवल ब्लेक प्लेन शीट (१४ गेज से पतली), गल्वनाइज्ड प्लेन/कॉरूगेटेड शीट और तार के नियतन ही किये गये। नियतन का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	नियतन (मेट्रिक टनों में)
१९६०–६१	७,०२८
१९६१–६२	१२,०५४

रियायत प्राप्त श्रेणियों के लिये आदेश सीधे उपभोक्ताओं और स्टाकिस्टों से मंजूर किये जाते हैं। १–७–५९ से कच्चे लोहे के लिये कोटा प्रणाली समाप्त कर दी गयी थी। इसलिये उपर्युक्त अवधियों में कच्चे लोहे का कोई नियतन नहीं किया गया था।

(ख) और (ग). "कोटा उठाने" से माननीय सदस्य का आशय सम्भवत: आर्डर दिये जाने हैं। कोटा उठाने की प्रक्रिया यह है कि स्टाकिस्टों और उपभोक्ताओं को कोटा प्रमाणपत्र दिये जाते हैं। और वे लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक के जरिये उत्पादकों को आर्डर देते हैं। नियतन के अनुसार वास्तव में आर्डर दिये जाने के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कोटा होल्डर स्टाकिस्टों को भी आर्डर दे सकते हैं। नियतन और आर्डर दिये जाने में काफी समय का अन्तर होता है।

यह देखना राज्य सरकार का काम है कि नियत किया गया कोटा राज्य के अन्दर ही उपभोक्ताओं और स्टाकिस्टों में उचित ढंग से बाँटा जाता है या नहीं और आर्डर नियतन के अनुसार दिये गये हैं अथवा नहीं। भारत सरकार ने इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की है।

(घ) १९६२–६३ की पहली छमाही (अप्रैल-सितम्बर, ६२) में नियतन केवल कोल्ड रोल्ड ब्लैक प्लेन शीट तक ही सीमित कर दिया गया था। इस अवधि में १०८७ टन राज्य को दिया गया था।

पश्चिमी बंगाल में ऐतिहासिक मूर्त्तियों की चोरी

†९२२. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में प्राचीन ऐतिहासिक मुर्त्तियों की चोरी की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या मूर्शिदाबाद के जंगीपुर सब डिवीजन में दफरपुर से पाल यूग की एक प्राचीन पाषाण मूर्त्ति की चोरी की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) ऐसी चोरियाँ रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (डा० म० मो० दास)** (क) जी हाँ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं ।

(ग) भारत के पुरातत्व सम्बन्धी सर्वेक्षण विभाग के कार्यालयाध्यक्षों को सावधान कर दिया गया है ।

कोयला खानों का बन्द किया जाना

†६२३. **श्री नम्बियार : क्या खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि छोटी कोयला खानों के मालिकों ने अपनी खानें बन्द कर दी हैं या वे पूरी क्षमता तक अपनी खानों में काम नहीं करा रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उन खानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि जो खानें बन्द कर दी गयी हैं और जिनमें लाभ-पूर्ण खनन की सम्भावना है, उन्हें अपने अधीन ले लिया जाये ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जनवरी १९६१ से कोई भी छोटी कोयला खान बन्द होने की सूचना नहीं मिली है लेकिन यह बताया गया है कि कुछ खानें सामान्यतः संस्थापित क्षमता तक काम नहीं कर रही हैं ।

(ख) ऐसी खानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :—

(१) खनन मशीनों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की जरूरत पूरी करने के लिये विश्व बैंक के ऋण से खनन मशीनों के आयात में बड़ी सहूलियत हो गयी है ।

(२) सड़क से कोयला लाने ले जाने की व्यवस्था अधिक सरल कर दी गयी है ताकि कोयला खानें अपने उत्पाद की निकासी स्वतन्त्रता से कर सकते हैं ।

(३) सरकार ने कीमत बढ़ाने की घोषणा की है और उस हद तक मुनाफा बढ़ जायगा ।

(४) स्टोइंग असिस्टेंस की दरें कम कर दी गयी हैं ।

(५) खनन सम्बधी कठिन परिस्थितियों के लिये राज सहायता दी जा रही है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस्पात के आयात संबंधी आवश्यकता

†६२४. **श्री दी० चं० शर्मा: क्या इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना के लिये तैयार इस्पात के आयात सम्बन्धी आवश्यकता पहले के अनुमान से बढ़ गयी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) उसे पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हाँ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मुख्यतः इस बात के कारण कि भारतीय इस्पात कारखानों ने पूरा-पूरा उत्पादन करने के लिये मूल अनुमान से अधिक समय ले लिया ।

(ग) जहाँ तक विदेशी मुद्रा उपलब्ध है वहाँ तक आयात करने की व्यवस्था की जा रही है ।

जकार्ता में एशियाई खेल कूद समारोह

†९२५. **श्री प्र० के० देव : क्या शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फुटबाल टीम का जो जकार्ता में एशियाई खेल कूद समारोह में भाग लेने वाली है, चुनाव हो चुका है ;

(ख) क्या खिलाड़ियों के रवाना होने से पहले उन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है ; और

(ग) उनका चुनाव किस प्रकार किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ल० श्रीमाली)** : (क) जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) अखिल भारतीय फुटबाल संघ की एक उपसमिति ने विभिन्न खिलाड़ियों को अभ्यास करते समय और विभिन्न मैचों और टुर्नामेण्टों में उनका खेल देखने के बाद उनका चुनाव किया है ।

जम्मू और काश्मीर में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†९२६. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(घ) क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने जम्मू और काश्मीर राज्य के कठूआ जिले के बिलावर क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हाँ ।

(ख) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि सारे जिले में सिवालिक युग की चट्टानें पाई जाती हैं । उस क्षेत्र से आर्थिक महत्व के किसी खनिज का अभी तक पता नहीं चला है ।

गौहाटी तेल शोधक कारखानों में दुर्घटना

†९२७. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खान और इंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १७ जुलाई, १९६२ को गौहाटी तेल शोधक कारखाने का एक टैक्निशियन मर गया और दूसरे को सख्त चोट आयी थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस दुर्घटना के कारण क्या थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जी हाँ। एक कर्मचारी दुर्घटना के तुरन्त बाद मर गया और दूसरा अस्पताल में २४ घंटे बाद मर गया।

(ख) उनकी अभी जाँच पड़ताल हो रही है।

मानवी भाषा

†**९२८. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या शिक्षा** मन्त्री २१ जुन १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९५९ में जिन भाषा विशेषज्ञों ने मानावी भाषा तथा लिपि का परीक्षण श्री मोतीलाल गुर्टू के परामर्श के साथ किया था, उनके नाम क्या थे।

(ख) क्या इस सम्बन्ध में श्री मोतीलाल गूर्टू के साथ कोई सविस्तार तथा विशिष्ट बातचीत हुई थी और क्या उसे इस कार्य के लिये बुलाया गया है ; और

(ग) क्या मानावी भाषा और लिपि को किन्हीं विद्वत् समाजों या बाहर अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को भेजने की कार्रवाई की गई है या करने का विचार किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) मन्त्रालय के विशेषज्ञों ने भानावी भाषा और लिपि का परीक्षण किया था।

(ख) इस मामले पर श्री मोतीलाल गुर्टू के साथ बातचीत की गई थी।

(ग) जी नहीं।

राजस्थान में इंजीनियरिंग कालिज

†**९२९. श्री कर्णी सिंह जी : क्या वज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में राजस्थान में कितने इंजीनियरिंग कालेज खोलने का विचार है ; और

(ख) क्या उन कालेजों के लिये कोई स्थान चुने गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) और (ख). एक जयपुर में।

पंजाब अस्थायी करारोपण विधेयक

९३०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री बागड़ी :
श्री बूटा सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के अस्थायी करारोपण विधेयक पर राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय कानून से विरोध होने के कारण ही ऐसा निर्णय लेना पड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). कुछ मामले पंजाब सरकार के ध्यान में लाये गये हैं। उत्तर आने पर निर्णय लिया जायेगा।

तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी

९३१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश पाने में पर्याप्त असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विज्ञान और दस्तकारी की शिक्षण संस्थाओं में तृतीय श्रेणी के छात्रों का प्रवेश प्रायः सभी स्थानों पर रोक दिया गया है; और

(ग) सरकार इन छात्रों के सम्बन्ध में क्या कुछ और व्यवस्था करने का निश्चय कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) से (ग). भारत के विश्वविद्यालयों में दाखिला मुख्यतया योग्यता के आधार पर किया जाता है। तृतीय श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों को दाखिले लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में नये कालेज खोल कर, वर्तमान कालेजों में शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार करके और सायं-कालीन कालेज तथा पत्र-व्यवहार पाठ्यक्रम चला कर, सरकार का विचार उच्च शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करने का है।

स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियां

९३२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांकृतिक कार्य** मंत्री २९ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियां प्रकाशित करने की जो योजना स्वीकार की गई थी, उसे कार्यान्वित करने में प्रत्येक राज्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में इस कार्य के कब तक समाप्त हो जाने की आशा की जाती है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख) : सूचना विवरण में दी हुई है।

विवरण

क—राज्य

क्रम संख्या	राज्य का नाम	हरेक राज्य की प्रगति	समय, जब तक काम खत्म होने की उम्मीद है
१	२	३	४
१	आन्ध्र प्रदेश .	. करीब २,००० जीवनवृत्त संकलित किए गए ।	फरवरी, १९६३ ।
२	असम	. आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं	. करीब सितम्बर, १९६३ ।

१	२	३	४
३	बिहार	. करीब २१,००० मामले संकलित किए गए ।	सितम्बर, १९६३ ।
४	गुजरात	. ११६० लोगों के बारे में सूचना इकट्ठी की गई ।	जल्दी ही ।
५	जम्मू और काश्मीर	. काम हो रहा है	कोई तारीख बतायी नहीं गई है ।
६	केरल .	. ६०० लोगों के बारे में सूचना इकट्ठी की गई ।	मार्च, १९६३ ।
७	मध्य प्रदेश .	. काम शुरू होने वाला है	समय की कोई सीमा तै नहीं की गई ।
८	मद्रास	. सितम्बर, १९६२ में काम शुरू होने की उम्मीद है ।	समय की कोई सीमा नहीं दी गई ।
९	महाराष्ट्र .	. २५०० लोगों के आंकड़े इकट्ठे किए गए ।	जल्दी ही ।
१०	मैसूर .	. काम हाल ही में शुरू हुआ है	दिसम्बर, १९६३ ।
११	उड़ीसा .	. सूचना इकट्ठी की जा रही है	. नवम्बर, १९६३ ।
१२	पंजाब .	. १०,८५० जीवनवृत्तों के आंकड़े इकट्ठे किए गए ।	१९६२–६३ के अन्त में ।
१३	राजस्थान .	. करीब २,००० जीवनवृत्त पूरे किए गए ।	मार्च, १९६३ ।
१४	उत्तर प्रदेश .	. ५४ में से २५ जिलों से सूचना मिल चुकी है ।	जून, १९६३ ।
१५	पश्चिम बंगाल	. समिति बनाई जा चुकी है	जून, १९६४ ।

ख–संघ क्षेत्र

१	दिल्ली	. करीब १००० जीवनवृत्त पूरे किए जा चुके हैं ।	इस साल ।
२	हिमाचल प्रदेश	. काम चालू है	इस साल ।
३	मणिपुर	. १९४ नाम इकट्ठे किए गए	. दिसम्बर, १९६२
४	नेफा .	. आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं	—
५	पाण्डिचेरी	. संकलन का काम खत्म हो गया है	—
६	त्रिपुरा .	. काम शुरू किया जा चुका है	अप्रैल, १९६३ ।

सामान्य बीमा व्यवसाय म सुधार

†९३३. **श्री र० बरुआ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि बीमा नियंत्रक ने सामान्य बीमा व्यवसाय के संचालन में कुछ सुधारों का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन सुधारों का सुझाव दिया है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं ;

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ निधि

†९३४. **श्री बाल्मीकी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से प्रार्थना की है कि हरिजन कल्याण विभागों द्वारा खर्च की गई राशि के अतिरिक्त सामान्य विकास बजटों से अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ धन आरक्षित रखा जाए ;

(ख) किन २ राज्यों ने सामान्य विकास बजटों से धन आवंटित करने की प्रार्थना को स्वीकार किया है ; और

(ग) अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ कितने प्रतिशत धन नियत किया जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) से (ग). दूसरी योजना (अध्याय २८) और तीसरी योजना (अध्याय ३४) में, सामान्य विकास कार्यक्रमों से पिछड़े वर्गों को अधिकतम लाभ देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है । पिछड़े वर्गों के कल्याण के संबंध में तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय इस सिद्धान्त की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था । इस विषय पर २६ और २७ जुलाई, १९६२ को हुए सम्मेलन में तथा वर्ष १९६० में हुए दो सम्मेलनों में पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रभारी राज्य सरकारों के मंत्रियों के साथ बातचीत भी की गई थी । राज्य सरकारों ने (जनसंख्या के आधार पर) अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों पर खर्च करने के विविध कार्यक्रमों के आवंटन में, निम्नतम प्रतिशतता निश्चित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है । यह फैसला राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि किन योजनाओं में इस प्रकार का आवंटन करना उचित और संभव होगा और आवंटन कितने प्रतिशत होना चाहिये ।

त्रिपुरा में प्रवाजी मुसलमानों की भूमि

†९३५. **श्री दशरथ देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६२ में त्रिपुरा से पूर्व पाकिस्तान को भारतीय नागरिकता वाले कितने मुसलमानों ने प्रव्रजन किया ;

(ख) उन्होंने कितनी भूमि पीछे छोड़ी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या खाली भूमि के वितरण के संबंध में कोई नीति अपनाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो वह नीति क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार):(क) ये केवल पूर्वी पाकिस्तान के पाकिस्तानी राष्ट्रजन थे जो अवैध रूप से त्रिपुरा में घुस आये थे और अनधिकृत रूप से यहां रह रहे थे, जिनको जून, १९६२ में निकाला गया था । कुछ पाकिस्तानी परिवार जो त्रिपुरा में अवैध रूप से रह रहे थे, जुलाई, १९६२ में पाकिस्तान वापिस चले गये होंगे । तथापि चूंकि वे चुपके से और अनधिकृत मार्गों से गये हैं, उनकी संख्या मालूम नहीं है ।

(ख) से (घ). चूंकि सब पाकिस्तानी राष्ट्रजन, जो पाकिस्तान चले गये हैं, आदिम जाति आरक्षित भूमि पर अनधिकृत कब्जा किये बैठे थे, जो एकमात्र आदिम जातीय लोगों के उपयोग के लिये हैं, इस आरक्षित खाली की गई भूमि को पुनः बांटने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

पंजाब में तल छिद्रण कार्य

†९३६. श्री दलजीत सिंह : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में किन स्थानों पर छिद्रण कार्य चल रहा है ; और

(ख) अब तक की प्रगति क्या है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):(क) पंजाब में इस समय कोई वास्तविक छिद्रण कार्य नहीं चल रहा है । तथापि जनौरी कुंए का परीक्षण किया जा रहा है ।

(ख) अभी तक ५ गहरे कुंए और ७ संरचनात्मक कुंए पूरे किये जा चुके हैं ।

लाल किले में प्रवेश शुल्क

†९३७. श्री दलजीत सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में दिल्ली के लालकिले पर कितना प्रवेश शुल्क इकट्ठा हुआ ; और

(ख) १९६१–६२ में किले की मरम्मत आदि पर कितनी राशि खर्च की गई ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय म उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) १,३१,८३१ रुपये ८० नये पैसे ।

(ख) १,०३,४२२ रुपये ।

पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

†९३८. श्री दलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं ; और

(ख) उनमें कितने लोग राज्य से बाहर के हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) १६ ।

(ख) कोई नहीं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उड़ीसा में बाल और रोलर बेयरिंग परियोजना

†९३९. **श्री बसुमतारी** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार अमरीकी फर्म मैसर्स नोकमह-यहौफमैन बेयरिंग निगम के सहयोग से बड़ौदा में बाल और रोलर बेयरिंग बनाने की २.२७ करोड़ रुपये की परियोजना स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस्पात के बालों का भी निर्माण किया जाएगा ; और

(ग) परियोजना की निर्माण क्षमता क्या होगी और उस का ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). सरकार ने अमरीका की मैसर्स नोकया–हौफमैन बेयरिंग इक के सहयोग से बाल बेयरिंग बनाने के लिये बड़ौदा के समीप एक नवीन उपक्रम स्थापित करने के लिये एक गैर सरकारी दल को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया है । फर्म उनके द्वारा बनाये जाने वाले बाल बेयरिंगो के लिये इस्पात की बालें बनाएगी । फर्म की प्रति वर्ष २४ लाख बाल और रोलर बेयरिंग बनाने की क्षमता लगाने का विचार है ।

भारत में तेल शोधन कारखाने

†९४०. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री वारियर :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री तन सिंह :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वितरक समवायों को रुपया समवायों में बदलने, जिनमें भारतीय भागिता समान हो, तथा ४ तेल शोधन कारखाना करारों को बदल कर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नियमित लाइसेंस देने के लिये प्रमुख गैर सरकारी क्षेत्रीय विदेश तेल शोधन कारखानों (बर्मा शैल और ऐसो) के साथ हो रही बातचीत किस स्तर पर है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : बातचीत चल रही है और सितम्बर १९६२ के अन्त तक पूर्ण हो जाएगी ।

केरल में आदिम जातीय स्कूल

†९४१. **श्री वारियर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९६१–६२ में आदिम जातीय स्कूलों को चलाने के लिये केरल सरकार द्वारा मांगी गई एक राशि मंजूर कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की है ; और

(ग) कितने स्कूल चलाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) ३.०८ लाख रुपये ।

(ग) ९३ स्कूल ।

दौलताबाद का किला

†९४२. श्री प्र० के० देव :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दौलताबाद में मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाई गई राजधानी की हाल ही म पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करवाई गई है ;

(ख) खुदाई में कौन सी वस्तुएं पाई गई हैं ; और

(ग) उनके परिरक्षण के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†वज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) कोई खुदाई नहीं की गई किन्तु कुछ सफाई कार्य किया गया है ।

(ख) भूमिगत कमरों वाले कुछ इमारती ढांचे, हिन्दू और जैन धर्म के मन्दिरों के वास्तु की चीजें, पत्थर पर लेख, सिक्के आदि ।

(ग) इन पुरानी वस्तुओं का रासायनिक परिरक्षण किया जा रहा है ।

विश्वविद्यालय के झूठे परीक्षा फल

†९४३. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि प्रत्येक राज्य के विश्वविद्यालयों के बीच, अपने विद्यार्थियों को प्राविधिक कालेजों में प्रवेश दिलाने के लिये ग्रेस अंक देकर प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाने के लिये बड़ी प्रतियोगिता होती है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार विद्यार्थियों के इस प्रकार के झूठे परीक्षाफलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): भारत सरकार को ऐसी प्रतियोगिता का ज्ञान नहीं है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

राष्ट्रीय पंचांग

†९४४. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने देश में राष्ट्रीय पंचांगों को लोकप्रिय बनाने और उनको स्वीकार करने की दिशा में क्या प्रगति की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या राष्ट्रीय पंचांगों में दिखाई गई त्योहारों की तिथियों का (१) केन्द्रीय सरकार, और (२) राज्य सरकारों द्वारा छुट्टियों की तिथियां निर्धारित करने के लिये पालन किया जाता है; और

(ग) कौन सी राज्य सरकारें अपनी छट्टियों को घोषित करने में राष्ट्रीय पंचांगों का पालन नहीं करतीं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** :(क) अंगरेजी, संस्कृत और अन्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय पंचांग प्रति शक सम्वत के अनुसार प्रकाशित किये जा रहे हैं और बहुत कम दामों पर दिये जाते हैं। राष्ट्रीय पंचांगों में दी गई शक वर्ष की तिथियों का उपयोग, ईसवी तिथियों के अतिरिक्त, सब सरकारी कामों, अर्थात् राजपत्री अधिसूचनाओं, सरकारी सूचनाओं करारों लेखों और अन्य वैधानिक दस्तावेजों, आकाशवाणी प्रसारणों, सरकारी पत्रियों आदि में प्रयोग किया जाता है ।

(ख) (१) केन्द्रीय सरकार द्वारा जिस सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है वह राष्ट्रीय पंचांगों में दी गई तिथियों को छुट्टियां मनाने का है। तथापि, राष्ट्रीय पंचांगों में दी गई तिथियां उन तिथियों से भिन्न होती हैं जिन पर त्यौहार यथार्थ में लोगों द्वारा किसी विशिष्ट स्थान पर मनाये जाते हैं, उस दिन सरकारी दफ्तर बन्द होते हैं ।

(ख) (२) और (ग). प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकतर राज्य सरकारें भी, जब विशिष्ट धार्मिक त्यौहार भिन्न तिथि को स्थानीय तौर पर मनाया जाता है उसको छोड़ कर छुट्टियों की तिथियां नियत करने में राष्ट्रीय पंचांगों का पालन करती हैं ।

भिलाई में अतिरिक्त धमन भट्टी

†१४५. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई में अतिरिक्त धमन भट्टी लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : धमन भट्टियां भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित की जाएंगी ।

(ख) भट्टियों के क्रमश: दिसम्बर, १९६३ और दिसम्बर, १९६४ तक चालू होने की आशा है ।

पंजाब के लिये नालीदार लोहा चादरों का अभ्यंश

†१४६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९६१–६२ में पंजाब राज्य को कितनी नालीदार लोहा चादरों का संभरण किया गया और १९६२–६३ में कितना संभरण किया जाएगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के पास जनता की बढ़ी हुई मांग की दृष्टि से अभ्यंश बढ़ाने के लिये पंजाब सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :(क) १९६१–६२ में ४८२८ एम/टन सब अभ्यंशों में ।

१९६२–६३ में लगभग ५४००/एम/टन संभरण होने का अनुमान है ।

(ख) जी हां, किन्तु अपर्याप्त उत्पादन होने के कारण जी० सी० चादरों का अभ्यंश बढ़ाना संभव नहीं था ।

कोरबा में कोयला निक्षेप

†९४७. श्री दाजी : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने कोरबा बिजली घर के लिये कोरबा के कोयला निक्षेपों का उपयोग करने के लिये उन निक्षेपों को खोदने का अधिकार मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):(क) और (ख). कोरबा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग के साथ प्रयोग किया जा रहा है और कोयला कोरबा थर्मल बिजली घर में भेजा जा रहा है । मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड की ओर से ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं आया कि वे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से अलग स्वयं कोरबा के कोयला निक्षेपों को चलायेंगे ।

दिल्ली में स्त्रियों के लिये पोलीटैक्निक

†९४८. श्री मोहन स्वरूप : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि दिल्ली में बहुत शीघ्र स्त्रियों के लिये एक पोलिटैक्निक स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि खर्च की जाएगी और वहां कौन से विषय पढ़ाये जायेंगे ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) जी हां । सितम्बर १९६२ से संस्था कार्य आरम्भ करने वाली है ।

(ख) चालू योजना अवधि में इस योजना के लिये प्रत्याशित व्यय ३३.८४ लाख रुपये है ।

इस समय डिप्लोमा स्तर तक निम्न विषय पढ़ाने का प्रस्ताव है :

(१) अन्दरूनी सजावट और प्रदर्शन

(२) पुस्तकालय विज्ञान

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) सांचिविक पाठ्यक्रम

(४) चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी

(५) वाणिज्यिक कला

(६) वस्तु कला सहायक का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

(७) इलैक्ट्रोनिक्स ।

भारतीय वायु सेना के दुर्घटनाग्रस्त विमान

†१९४९. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री बसुमतारी ।
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २३ जून, १९६२ से दुर्घटनाग्रस्त भारतीय वायु सेना के विमानों की क्या संख्या है ;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना का क्या स्वरूप है और प्रत्येक मामले में कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) क्या प्रत्येक दुर्घटना की जांच की गई है अथवा की जा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में उपपत्तियां क्या हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) और (ख). विमान दुर्घटनाओं में भारतीय वायुबल के चार विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए । ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

(१) एक विमान दुर्घटना ७ जुलाई, १९६२ को ८.३९ बजे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और होशंगाबाद के बीच जुनार देव रेलवे स्टेशन से १० मील उत्तर की ओर खापा गांव के समीप हुई जब कि एक कैनबरा विमान प्रशिक्षण उड़ान कर रहा था । विमान में सवार चालक और नेवीगेटर मारे गये और विमान नष्ट हो गया ।

(२) एक विमान दुर्घटना १२ जुलाई, १९६२ को ८.१० बजे नेफ़ा क्षेत्र में तुवांग ड्रापिंग ज़ोन में हुई जब कि एक डकोटा विमान संचालन उड़ान कर रहा था । चालक, सह-चालक और चालक-दल का एक सदस्य मारे गये । बाकी चालक-दल के तीन सदस्यों को गम्भीर चोटें आयी । विमान इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती ।

(३) एक विमान दुर्घटना २४ जुलाई, १९६२ को ८.०० बजे काम्तीपुडा (पश्चिम बंगाल) के २ मील पूर्व में हुई जब कि एक मिस्टीयर विमान प्रशिक्षण उड़ान कर रहा था । जहाज में सवार केवल चालक, साफ बच निकला परन्तु विमान नष्ट हो गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) एक विमान दुर्घटना २७ जुलाई, १९६२ को १२.४० बजे एन० डब्ल्यू० मिसामारी हवाई अड्डे (आसाम) से २ मील दूर हुई जब कि एक तूफानी विमान प्रशिक्षण उड़ान कर रहा था। चालक मारा गया। विमान एक झोपड़ी पर गिरने के फलस्वरूप, ७ असैनिक व्यक्ति भी मारे गये। विमान नष्ट हो गया और एक झोपड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी।

(ग) और (घ). प्रत्येक मामले में जांच-न्यायालय का आदेश दे दिया गया है। जांच-न्यायालय की उपपत्तियां प्रतीक्षित हैं।

हिन्दुस्तान तिब्बत सड़क

†९५०. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क का निर्माण कब आरम्भ हुआ ;

(ख) अब तक कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) अब तक कितने व्यक्ति हताहत हुए हैं ; और

(घ) सड़क का निर्माण कब पूरा हो जायेगा ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) निर्माण वर्ष १९५१ में आरम्भ हुआ था।

(ख) गौर (घ). इस परियोजना में प्रगति सन्तोषजनक है। ऐसे निर्माण की परिस्थिति में पूरे होने की तिथि बताना संभव नहीं है।

(ग) दुर्घटनाओं के कारण कुछ व्यक्ति हताहत हुए हैं परन्तु कार्य को देखते हुए उन की संख्या अधिक नहीं है।

निर्वाचन याचिकायें

†९५१. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७ से १९६२ तक की अवधि में अब तक कितनी निर्वाचन याचिकायें दायर की गयीं ;

(ख) उपरोक्त अवधि में किसी निर्वाचन याचिका के निबटाने में अधिकतम कितना समय लगा ; और

(ग) एक निर्वाचन याचिका निबटाने में औसतन कितना समय लगा ?

†विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) ९०४।

(ख) १४४१ दिन।

(ग) लगभग ८ मास और १३ दिन।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुरन्द पत्थर का कारखाना

†९५२. **श्री बड़े** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रीवा जिला (मध्य प्रदेश) के हनुमना में कुरन्द पत्थर के सामान बनाने के लिये एब्रेसिव फैक्टरी कब से चल रही है ;

(ख) किन शर्तों पर यह फैक्टरी चल रही है ;

(ग) क्या सभी शर्तों का पूरा-पूरा पालन हो रहा है ; और

(घ) कहां-कहां कोरन्दम की खदानें हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजारनवीस)**: (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रखी जायेगी।

(घ) वर्तमान समय में भारत में कोरन्दम की कार्य करने वाली चार खानें निम्नलिखित स्थानों पर हैं :—

(१) पिपरा-करकोटा, जिला सिधी, मध्य प्रदेश।

(२) बोम्मेनहाल्ली, जिला मैसूर।

(३) अरासीकेरे, जिला हस्सन, मैसूर।

(४) सत्ताम पुण्डी, जिला सलेम, मद्रास।

सीमेन्ट का उत्पादन

†९५४. { **श्री उमा नाथ** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सीमेन्ट के उत्पादन लक्ष्य को १५० लाख टन से बढ़ा कर १८० लाख टन करने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव छोड़ने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमेन्ट के उत्पादन-लक्ष्य का प्रश्न विचाराधीन है।

कोयला उद्योग के लिये रूसी सहयोग

†९५५. { **श्री उमा नाथ** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोयला उद्योग के विकास के लिये तकनीकी सहयोग की किसी योजना पर नई दिल्ली में हाल ही में उन की और रूस के उप-प्रधान मंत्री की बैठक में विचार किया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन योजनाओं पर विचार किया गया ;

(ग) क्या विचार के परिणामस्वरूप कोई प्रस्ताव बनाये गये ; और

(घ) यदि हां, तो उन का ब्योरा क्या है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (घ). भारत में कोयला उद्योग के विकास के लिये तकनीकी सहायता की संभावना के बारे में खान और ईंधन मंत्री, श्री के० डी० मालवीय और श्री वी० ए० सरजीव, उप-सभापति आर्थिक-कार्य सोवियत संघ के बीच सामान्य रूप से बातचीत हुई थी

अभियोजन निदेशालय[1]

†६५६. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में और केन्द्र में एक पृथक, स्वतंत्र और निष्पक्ष अभियोजन निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचारार्थ रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में संघ सरकार की क्या नीति और विचार हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) विधि आयोग ने न्यायिक प्रशासन के सुधार सम्बन्धी अपने चौदहवें प्रतिवेदन में प्रत्येक जिल में सार्वजनिक अभियोजन निदेशालय स्थापित करने की सिफारिश की है न्याय का प्रशासन राज्य का विषय है जैसाकि कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची २ में व्यवस्था की गई है और राज्य सरकारों की क्षमता में है । केन्द्रीय सरकार इस मामले में केवल संघ राज्य-क्षेत्रों के लिये सम्बन्धित ह । विधि आयोग की सिफारिशों पर वर्ष १९६० में श्रीनगर में हुए विधि मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया कि सिफारिशों पर निरन्तर ध्यान दिया जाता रहे ।

स्नातकोत्तर डिग्री में तृतीय श्रेणी

†६५७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिय गये स्नातकोत्तर डिग्री में तृतीय श्रेणी समाप्त करने के सुझाव के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : निम्नलिखित विश्वविद्यालयों ने स्नातकोत्तर परीक्षा में तृतीय श्रेणी समाप्त करने का फैसला किया है :

आन्ध्र, बर्दवान, जाधवपुर, मद्रास, मराठवाड़ा, उस्मानिया, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, वेंकटश्वर और विश्व-भारती ।

पंजाब म तेल की खोज

†६५८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भारत के भतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पंजाब का, राज्य में तेल का पता लगाने के लिये, कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Prosecution Directorate.

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने तेल का पता लगाने के लिये वर्ष १९४८–५६ की अवधि में कांगड़ा-होशियारपुर जिलों की सिवालिक पट्टी का रचनात्मक मापीकरण किया है । इन अध्ययनों के फलस्वरूप, कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी में और होशियारपुर जिले में जनोरी में दो क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है और ज्वालामुखी क्षेत्र में जोहर में एक गैस स्राव का पता चला है ।

होशियारपुर जिल में धोलबाह और शाम चुरासी क्षेत्र के समीप और अम्बाला जिले में खडग के समीप तेल और गैस के होने के बारे में जांच की गयी है । वह आर्थिक महत्व के नहीं हैं ।

वर्ष १९५६ से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग उस क्षेत्र में तेल की खोज के कार्य करता आ रहा है ।

तेल प्रविधिक संस्था

†१५९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के निर्णय के अनुसार तेल प्रविधिज्ञों के प्रशिक्षण के लिये प्रविधिक संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव में कितनी प्रगति हुई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बरेली में और शिबसागर में दो नई संस्थायें स्थापित करने के लिये और कैम्बे में संस्था में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार के लिये व्यवस्था की जा रही है । इन संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी रखे जा रहे हैं और कुछ रखे जा चुके हैं । इन संस्थाओं में प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र भी मांगे गये हैं ।

सामान्य शिक्षा में वेस्टेज

†१६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामान्य शिक्षा में 'वेस्टेज' की सीमा का मूल्यांकन करने के लिये एक अखिल-भारत सर्वेक्षण करने के प्रस्ताव में कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : यह मामला अभी राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के विचाराधीन है जिनकी विस्तृत सिफारिशें प्रतीक्षित हैं ।

आसाम तेल परियोजनाओं में गैर-आसामी व्यक्ति

†१६१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में तेल परियोजनाओं में गैर-आसामी लोगों की नियुक्ति के प्रश्न पर नई दिल्ली में हाल ही में उन के और आसाम के मुख्य मंत्री के बीच हुई बैठक में विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास के लिये कोक

†९६३. **श्री उमानाथ** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने राज्य के हार्ड कोक के अभ्यंश में वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय सरकार और कलकत्ता के कोयला नियंत्रक से कहा है ;

(ख) क्या कोयला नियंत्रक से फालतू क्षमता के अधीन 'नट कोक' के अतिरिक्त अभ्यंश का संभरण करने के लिये भी प्रार्थना की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उस की मात्रा कितनी है ; और

(घ) मद्रास सरकार की प्रार्थना पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). मद्रास सरकार से उनके बी० पी० हार्ड कोक के अभ्यंश में १ वैगन प्रति मास वृद्धि करने और जुलाई से नवम्बर, १९६२ तक की अवधि में फालतू क्षमता के अन्तर्गत इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी से बड़े २२५ वैगन अतिरिक्त कोक के संभरण की प्रार्थना प्राप्त हुई है ।

(ख) मद्रास राज्य को राज्य सरकार की प्रार्थना के अनुसार बी० पी० हार्ड कोक में एक वैगन प्रति मास की वृद्धि कर दी गयी है । फालतू क्षमता के अन्तर्गत हार्ड कोक के संभरण के बारे में इस राज्य को २८ वैगन हार्ड कोक देना सम्भव है जिसमें से १८ वैगन रूरकेला संयंत्र से बड़े साइज के है और १० वैगन दुर्गापुर कोक ओवन संयंत्र से नट कोक के हैं ।

खनिज पदार्थ

†९६४. **डा० क० ल० राव** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज पदार्थों की खोज में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग और भारतीय खान ब्यूरो के क्या कृत्य और जिम्मेदारियां है;

(ख) उपरोक्त विभाग कब आरम्भ किये गये थे और विभागों के मुखियाओं के वेतन क्या है; और

(ग) भारतीय भूतत्ववेत्ता सेवा बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) खनिजों की खोज के बारे में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग और भारतीय खान ब्यूरो के मुख्य कृत्य निम्न प्रकार है :

भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग :

प्रावेक्षण मापीकरण; १ : ६३,३६० के पैमाने पर क्रमिक मापीकरण : और प्रादेशिक खनिज मूल्यांकन और खोज जिसमें विस्तृत रूप से बड़े पैमाने पर मापीकरण और खनन के विभिन्न तरीके, जैसे भूभौतिकीय और भूरसायन खनन, छिद्रण, गढे खोदना, खाइयें बनाना आदि; और भूगत पानी का मूल्यांकन शामिल हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारतीय खान ब्यूरो :

१. उन क्षेत्रों में, जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा खान खोलने से पूर्व प्राथमिक कार्य के लिये उपयुक्त क्षेत्र बताया है, खनिज निक्षेपों के भंडारों का पता लगाने और मूल्यांकन करने के लिये छिद्रण और अन्य कार्यवाही करना और उन क्षेत्रों में स्वतन्त्र रूप से या अन्य सरकार या गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिल कर परीक्षणात्मक खनन करना ।

२. देश के खनिज संसाधनों की खोज, शोषण और उपयोग के सभी मामलों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को परामर्श देना ।

३. अन्य अनुसंधान संगठनों के सहयोग से निम्न श्रेणी के अयस्कों के लाभप्रद उपयोग और खनिजों और खनिज उत्पादों के औद्योगिक उपयोग और खनन सम्बन्धी समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना ।

४. ब्यूरो के काम के सम्बन्ध में और जनता के लिये, जहां तक परिस्थितियां अनुकूल हों, अयस्कों और खनिजों का विश्लेषण करना ।

५. भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग वर्ष १८५१ में स्थापित किया गया था । भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के महा-निदेशक के पद का वेतन स्तर १८००–१००–२००० रुपये है ।

६. भारतीय खान ब्यूरो मार्च, १९४८ में स्थापित किया गया था । भारतीय खान ब्यूरो के निदेशक के पद का वेतन-स्तर २०००–१२५–२२५० रुपये है ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

रीवा जिले में खनिज पदार्थ

९६६. श्री उटिया : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश स्थित रीवा संभाग में बेरीलियम, लोहा, अभ्रक एवं तांबा किन-किन स्थानों में है; और

(ख) उनके व्यावसायिक उपयोग के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) मध्य प्रदेश के रीवा जिले में इन खनिज पदार्थों में से किसी भी खनिज के पाये जाने का पता नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश की कोयला खानें

९६७. श्री उटिया : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्यान्तर्गत शहडोल जिले में स्थित उमरिया एवं धनपुरी कोयला-खानों में सरकार का कितना हिस्सा है और शावैलेस कम्पनी का कितना हिस्सा है;

(ख) उक्त कोयला-खानों में अब तक शावैलेस कम्पनी की मैनेजिंग एजेन्सी क्यों है ;

(ग) उक्त खदानों के पूर्ण राष्ट्रीयकरण में सरकार को क्या दिक्कत है; और

(घ) मध्यावधि में उक्त रीवा कोल-फील्ड लिमिटेड की मैनेजिंग एजेन्सी सरकार खुद क्यों नहीं ले रही है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) से (घ). इन खदानों के हिस्से के स्वामित्व के प्रश्न पर झगड़ा हो रहा है और इस विषय पर केन्द्रीय सरकार ने बम्बई हाई कोर्ट (बम्बई उच्च न्यायालय) में एक मुकदमा चलाया है। मुकदमे का फैसला होने के बाद ही विभिन्न पार्टियों के हिस्सों की ठीक स्थिति जानी जायेगी। जहां तक मैनेजिंग एजेन्टों की नियुक्ति का प्रश्न है सर्वश्री शावैलेस कम्पनी को कम्पनी एक्ट, १९५६ के अनुसार नियुक्त किया गया है। वर्तमान नियुक्ति ३० अप्रैल, १९६० से लेकर ५ साल की अवधि की है या हिस्सों के स्वामित्व के अन्तिम निर्णय की तिथि से लेकर एक साल की समाप्ति तक है। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाये।

प्रादेशिक अध्यापन केन्द्र

†१९६८. **श्री हेडा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक अध्यापन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है;

(ख) वर्ष १९६२-६३ में ऐसे कितने केन्द्र खोले जायेंगे; और

(ग) प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) प्रादेशिक अध्यापन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्थापना की अवस्था में है।

(ख) अभी पता नहीं है।

(ग) योजना की एक प्रति संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८७]**

बैंकों में जमा रकम

†१९६९. **श्री हेडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में अनुसूचित बैंकों में कुल कितनी रकम जमा थी;

(ख) क्या उससे जमा रकम में वृद्धि का पता चला; और

(ग) यदि हां, तो यह विकास किस कारण हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)**: (क) दिसम्बर, १९६१ के आखिरी शुक्रवार को अनुसूचित बैंकों में कुल जमा रकम, पी० एल० ४८० और पी० एल० ६६५ के अधीन जमा रकम को छोड़ कर, १७५७.१ करोड़ रुपये थी।

(ख) दिसम्बर, १९६० में १५७७.२ करोड़ रुपये की जमा रकम की निस्बत १८० करोड़ की वृद्धि हुई।

(ग) सरकार द्वारा उप-स्तरीय बैंकों को बड़े बैंकों में अनिवार्य रूप से मिलाने को प्रोत्साहन देने के लिये उठाये गये कदम और खाता बीमा निगम की स्थापना से बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बढ़ा है जिससे जमा रकम में वृद्धि हुई है। अन्य मुख्य कारण, बैंकों द्वारा अधिक ब्याज की दर, योजनाओं द्वारा अधिक बचत को प्रोत्साहन और लोगों में बैंकिंग की आदत के विस्तार, हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था

†९७०. { **श्री शं० ना० चतुर्वेदी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद स्थित केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था ने कोयले से एक नया उर्वरक बनाया है जो कुछ तरह से रूढ़िगत उर्वरकों से अच्छा कहा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके बनाने के तरीके का क्या ब्यौरा है और उसके निर्माण की लागत क्या है और क्षेत्रीय परीक्षणों का क्या परिणाम निकला; और

(ग) इसके प्रचार और वाणिज्यिक स्तर पर निर्माण की सरकारी योजनायें क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) संस्था ने कोयले से उर्वरक बनाया है ।

(ख) दो तरीके है, जो निम्न प्रकार है :

(१) २०० डिग्री सेन्टीग्रेड के वायु वातारण में कोयले को ओक्सीडाइज़ करना और फिर अमोनिया मुक्त मादक द्रव्य मिलाना और

(२) वायु और अमोनिया के मिश्रण में ३०० डिग्री सेन्टीग्रेड पर कोयले का एक साथ आक्सीडेशन और अमोनियेशन ।

अभी उत्पादन लागत का हिसाब नहीं लगाया गया है ।

प्राथमिक क्षेत्रीय परीक्षणों का परिणाम उत्साहजनक रहा ।

(ग) इस पर विचार करने से पूर्व बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय परीक्षण और वृहत् संयंत्र उत्पादन प्रयोग करने पड़ेंगे ।

अध्ययन क लिये विदेश भेजे गये विद्यार्थी

†९७१. **श्री रामसेवक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में विभिन्न विषयों में अध्ययन के लिये कितने विद्यार्थी योरोपीय देशों को गये; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों के कितने विद्यार्थी थे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं के अधीन चार ।

(ख) कोई नहीं ।

बिक्री-कर के फार्मों की छपाई

†९७२. **श्री रामसेवक : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय बिक्री कर के फार्म केवल अंग्रेज़ी में छापे जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन को हिन्दी में भी छापने का है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यदि हां, तो किस समय तक ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, १९५६ का प्रशासन जिस के अधीन विभिन्न फार्म छापे जाते हैं राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। इसलिये इन फार्मों की छपाई और संभरण स्थानीय आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकारें करती हैं। केवल फार्म 'सी' जो सुरक्षा कारणों से नासिक में छपता है, के अतिरिक्त अन्य फार्मों के बारे में केन्द्रीय सरकार नहीं जानती है राज्य सरकारें उन को किस भाषा में छपाती है। फार्म 'सी' अंग्रेजी में छपता है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के लिये मंहगाई भत्ता

†९७३. श्री प० कुन्हन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ाया गया महंगाई भत्ता कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के कर्मचारियों को दिया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रतिरक्षा सेवाओं के प्राक्कलनों से वेतनभोगी असैनिक कर्मचारियों को तथा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता दिया जाता है ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

'सी हाक' विमान की दुर्घटना

†*९७५. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३ अगस्त, १९६२ को कोयम्बटूर के निकट नोवल के एक 'सी हॉक' विमान की दुर्घटना हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में कितनी धन और जन की हानि हुई थी; और

(ग) दुर्घटना का क्या कारण है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां।

(ख) पाइलट, लैफ्टिनेंट प्रोनोब डे मर गये थे। विमान एकदम टूट गया था क्योंकि जमीन पर गिरने पर उस के टुकड़े टुकड़े हो गये।

(ग) जांच बोर्ड नियुक्त कर दिया गया है और उपपत्तियों की प्रतीक्षा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में पटाखे का विस्फोट

†*९७६. श्री रघुनाथ सिंह ।
श्री बसुमतारी ।

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५ अगस्त, १९६२ को ९.२५ बजे रात्रि में जामा मस्जिद के छत्ता शेख मंगलू में एक पटाखे का विस्फोट हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो घटना का क्या ब्योरा है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). ५ अगस्त, १९६२ को जामा मस्जिद क्षेत्र के छत्ता शेख मंगलू में ९.२५ बजे रात्रि में एक पटाखा फटा था जिस में कोई भी घायल नहीं हुआ था। फटे हुए पटाखे की जांच करने के बाद मालूम हुआ कि उत्सवों में इस्तेमाल होने वाला पटाखा था। ऐसे पटाखे नुकसान देह नहीं होते हैं और उन के निर्माण और बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है ।

राजस्थान में आदिवासियों के लिये गृह-निर्माण

९७७. श्री रामसेवक यादव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार की ओर से लगभग एक लाख रुपये से अधिक की रकम राजस्थान सरकार को कोटा जिले में पनावदा नामक स्थान पर, आदिवासियों के लिये कालोनी बनाने के हेतु दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना मिली है कि उक्त कालोनी का निर्माण नहीं हुआ है और धन भी खर्च हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रायल में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). राजस्थान सरकार से सूचना मांगी गई है जिस के प्राप्त होते ही सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल

†९७८. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर स्थापित होगा और कब चालू हो जायगा ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). जी हां। सैनिक स्कूलों के गवर्नरों के बोर्ड द्वारा राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है। बातचीत में स्थापना स्थान का प्रश्न भी शामिल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नर्मदा नदी के तल में तेल

†१७९. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री ३१ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी के तल में तेल की खोज में इस बीच और आगे क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) नागपुर में लोहा तथा मैंगनीज अयस्क के खनन की संभावनाओं की खोज के बारे में क्या क़दम उठाये गये हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) गुजरात और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारों और तल में लगभग ६०० वर्ग मील का भूतत्वीय नक्शे तथा २५ लाइन मील भूतत्वीय उत्खंडन स्तर वैसानिक जानकारी प्राप्त करने के लिये किया गया है ।

(ख) भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में लौह अयस्क, तथा मैंगनीज अयस्क की खोज नहीं कर रहा है । भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा किये गये काम की जानकारी इकट्ठा की जा रही है और समय पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

गन शैल फैक्टरी, कासीसुर

†१८०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन शैल फैक्टरी कासीपुर की डमडम ऐस्टेट में पानी की बहुत कमी है ;

(ख) क्या यह सच है कि पानी पम्पिग जेनेरेटर उस स्तर से पानी लाने में असमर्थ है जिस स्तर तक उस को खोदा जा चुका है और इसलिये पानी की बहुत कमी हो गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि 'फ्लश' पाखानों में पानी नहीं है जिस से अस्वास्थ्य कर दशा है ;

(घ) क्या आवश्यकता पूर्ति के लिये नलकूप अपर्याप्त है ;

(ङ) क्या फैक्टरी को पानी भी बिजली के उसी पम्पिग जेनेरेटर से मिलता है ;

(च) क्या यह सच है कि प्राय: रात की शिफ्ट में कारखाने में पीने का पानी नहीं होता है; और

(छ) क्या सरकार का विचार पानी का पर्याप्त संभरण करने के लिये पम्पिग मशीन को पुन: स्थापित करने का है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) नलकूप का उत्पादन कम बढ़ती होता रहता है और कुछ समय से अपर्याप्त है ।

(ङ) जी हां ।

(च) मामला यह नहीं है ।

(छ) यह आशा है कि नलकूप की सफाई से पानी का उत्पादन बढ़ जायेगा । सफाई की जा रही है । इस बीच १० नलकूप (हैंड पम्प से) खोदे गये और पानी फैक्टरी लारियों द्वारा संभरण किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आय-कर के मामलों को निबटाना

९८१. **श्री बेरवा कोटा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा आयकर अधिकारी ने सन् १९६१ में कितने आयकर मामलों के फैसले किये ;

(ख) उन फैसलों में से कितने की अपील की गई ; और

(ग) इन की गई अपीलों में कितने व्यापारी कामयाब हुए ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). मांगी गई सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

राजस्थान में खनिज पदार्थ

९८२. **श्री बेरवा कोटा** : **क्या खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां इस समय विभिन्न खनिज पदार्थों की खानें हैं ;

(ख) इन खनिज पदार्थों से प्रति वर्ष कुल कितनी आय होती है ;

(ग) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में कच्चे लोहे की एक खान अपने अधिकार में ले रखी है और वहां चौकीदार आदि रखने पर वह बर्सों से खर्च कर रही है किन्तु इन से कच्चा लोहा नहीं निकाला जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो वहां से कच्चा लोहा न निकालने के क्या कारण हैं ?

खान और ईंधन मंत्रालय म उपमंत्री (श्री हजरनवीस): (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और ज्योंही प्राप्त होगी वह सभा पटल पर रखी जायेगी ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान

९८३. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सम्बद्ध कालेजों को किस कार्य के लिये कितना अनुदान देता है ;

(ख) इन अनुदानों को किन शर्तों पर कालेज प्राप्त कर सकते हैं ;

(ग) क्या इन अनुदानों के आवेदन-पत्र कालेज सम्बद्ध विश्वविद्यालय के उप-कुलपति द्वारा ही भेज सकते हैं तथा उप-कुलपति की सिफारिश पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेजों को अनुदान देता है ;

(घ) क्या यह सच है कि उप-कुलपति सम्बद्ध कालेजों के आवेदन-पत्र किसी कारण नाराज होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नहीं भेजते है; और

(ङ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस सुझाव पर विचार करेगा कि आवेदन-पत्र कालेजों से सीधे भी मंगवा ले तथा यदि शर्तें पूरी हो गई हों तो उपकुलपति की सिफारिशों के बगैर कालेज को अनुदान दे दे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) **और (ख)**. विवरण संलग्न है । **[देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८८]**

(ग) सम्बद्ध कालेजों के आवेदन-पत्र विश्वविद्यालयों के जरिये आने होते है और उन्हीं के द्वारा सिफारिश किये जाते है, विश्वविद्यालय के सिफारिश करने पर अनुदान मिल सकता है ।

(घ) न भारत सरकार के पास और न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास ही कोई सूचना है ।

(ङ) सामान्य और स्वीकृत क्रियाविधि के अनुसार सम्बद्ध कालेजों को अनुदान केवल संबंधित विश्वविद्यालय की सिफारिश पर स्वीकृत किया जायेगा ।

तीसरे आम चुनावों के सम्बन्ध में आंकड़े

९८४. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रीय क्षेत्रों में लोक-सभा तथा राज्य की विधान सभाओं अथवा क्षेत्रीय परिषदों के लिए तीसरे आम चुनाव में कितने मत पड़े तथा कितने अवैध घोषित किये गये और कुल मतों की संख्या क्या थी ;

(ख) मान्यता-प्राप्त तथा बगैर मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनैतिक दलों को तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को अलग-अलग विभिन्न राज्यों में लोक-सभा तथा विधान सभाओं अथवा क्षेत्रीय परिषदों के लिए इस चुनाव में कितने मत मिले;

(ग) उक्त सभी राजनैतिक दलों ने लोक-सभा तथा विधान सभाओं अथवा क्षेत्रीय परिषदों के लिए कितने-कितने उम्मीदवार खड़े किये उनमें से कितने जीते तथा कितनों की जमानतें जब्त हुईं;

(घ) निर्दलीय उम्मीदवारों को लोक-सभा तथा विधान सभाओं अथवा क्षेत्रीय परिषदों के चुनाव में विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रीय क्षेत्रों में कितने मत मिले; और

(ङ) पिछले आम चुनाव में कितने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए कितने उम्मीदवार विजयी हुए तथा कितनों की जमानतें जब्त हुईं ?

विधि मंत्रालय उपमंत्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र) : (क) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है जिसमें तीसरे आम चुनाव में लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिये दिये गये मतों की संख्या और खारिज मतों की संख्या दी हुई है । **[देखये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८९]**

(ख) विवरण पटल पर रख दिया गया है जिसमें लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिये हुए चुनावों में विभिन्न राज्यों के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को मिले मतों की संख्या दिखाई गई है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९०] । लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिये हुए चुनावों में बगैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवारों को मिले मतों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

(ग) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

विशेष टिप्पण : क्षेत्रीय परिषदों का चुनाव विधि मंत्रालय का विषय नहीं है । अतः इन चुनावों के बारे में जानकारी विधि मंत्रालय में प्राप्त नहीं है ।

संग्रहालय

†९८५. **श्री हेम राज** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार द्वारा कितने संग्रहालयों का प्रबन्ध किया जा रहा है; और

(ख) और वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए और संग्रहालयों में उनको रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) विज्ञान मन्दिरों, जिनमें थोड़ी वस्तुयें है के अतिरिक्त मंत्रालय सत्रह संग्रहालयों का प्रबंध करता है ।

(ख) कला क्रम समिति द्वारा खरीदी गई वस्तुओं से तथा भारत के पुरातत्वीय विभाग द्वारा की गई खुदाई से । कला वस्तुओं की आधुनिक और वैज्ञानिक देख-रेख के लिए सभी संग्रहालयों में टैक्निकल कर्मचारी है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

एक खेल सम्वाददाता पर कथित आक्रमण

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत में अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह उसके विषय में एक वक्तव्य दें :—

"जकार्ता के लिये प्रस्थान से पूर्व श्री मिलखा सिंह तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा 'इंडियन एक्सप्रैस' के खेल-संवाददाता पर कथित आक्रमण ।"

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : प्रोफेसर ही० ना० मुकर्जी, श्री प्रभातकार और श्री स० मो० बनर्जी द्वारा पेश किये गये ध्यान दिलाने के प्रस्ताव में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में मुझे यह वक्तव्य देना है ।

'इंडियन एक्सप्रैस' के खेल-सम्वाददाता, श्री वर्नो राम का कथन है कि सोमवार, ६ अगस्त, १९६२ को श्री मिलखा सिंह और उनके सहयोगियों ने नई दिल्ली के 'नेशनल स्टेडियम' में उन पर आक्रमण किया था ।

उन खिलाड़ियों ने श्री राम पर शारीरिक रूप से आक्रमण किया था या नहीं, इसके बारे में इस अवस्था पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आंखों देखे बयान भिन्न-भिन्न है । भारत सरकार ने इसीलिये 'इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन' से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिये कहा है। 'एसोसिएशन' से कहा गया है कि जांच के बाद उन खिलाड़ियों के विरुद्ध, वे चाहे जितने बड़े हों, ऐसी आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये, जो खेल-जगत् की उच्चतम परम्पराओं के अनुकल हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि घटना के बाद श्री राम और श्री मिलखा सिंह ने हाथ मिलाये थे ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : ऐसा हुआ हो, तो बड़ी अच्छी बात है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम और सरकारी ऋण अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं, श्री ब० रा० भगत की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २६ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७०४ ।
(ख) दिनांक २६ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७०६ ।
(ग) दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १००३ ।
(घ) दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १००७ ।
(ङ) दिनांक ४ अगस्त, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०४१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३३०/६२]

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १६ मई १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ६९४ ।
(ख) दिनांक २६ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७०७ ।
(ग) दिनांक २१ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ९७२ ।
(घ) दिनांक २१ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ९७३ ।
(ङ) दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १००२ ।
(च) दिनांक ४ अगस्त, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०३३ ।
(छ) दिनांक ४ अगस्त, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०३४ ।
(ज) दिनांक ४ अगस्त, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०३५ ।
(झ) दिनांक ४ अगस्त, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०३६ ।
(ञ) दिनांक ४ अगस्त, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०३७ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३३१/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) लोक ऋण अधिनियम, १९४४ की धारा २८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ९ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५६ में प्रकाशित लोक ऋण (संशोधन) नियम, १९६२

(ख) दिनांक ९ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५७ में प्रकाशित लोक ऋण (प्रतिकर बांड) संशोधन नियम, १९६२

(ग) दिनांक ९ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५८ में प्रकाशित लोक ऋण (वार्षिकी प्रमाण-पत्र) संशोधन नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३२६ / ६२)

डाक घर बचत प्रमाण पत्र (चौथा संशोधन नियम)

†**श्रीमती ताराकेश्वरी सिन्हा** । मैं सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २३ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८३२ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण पत्र (चौथा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३३२ / ६२]

रेलवे दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री स्वर्ण सिंह द्वारा १६ अगस्त, १९६२ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य पर, जो ९ अगस्त, १९६२ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये ।"

श्री आ० प्र० शर्मा भाषण करें ।

†**श्री आ० प्र० शर्मा** (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, कल जो रेलवे एक्सीडेंट्स के बारे में बहस हुई उसको मैं ने काफी गौर से सुना । बहस के दौरान में कुछ ऐसी बातें कही गयी जिनको सुनकर मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि मुझे काफी अफसोस हुआ ।

आज कल कुछ हालत ऐसी हो गई है कि जब कभी भी कोई सवाल हमारे सामने आता है, तो हम जल्दी से जल्दी उसका कुछ इलाज भी निकाल लिया करते हैं । जैसे पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट सरवेंट्स की तरफ से कुछ आदमी रेलवे स्ट्राइक में शामिल हुए थे, कुछ लोगों ने उसका जल्दी से यह इलाज निकाल लिया कि सारे हिन्दुस्तान के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका हड़ताल करने का हक छीन लिया जाए, हड़ताल के खिलाफ बैन लगा दिया जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उसी तरह से कल मैं ने देखा कि कुछ तो विरोधी दल के सदस्यों ने रेलवे एक्सीडेंट्स के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें कहीं लेकिन ऐसा सुझाव कोई नहीं दिया जिससे इस बात के ऊपर विचार किया जाए कि रेलवे में एक्सीडेंट किन कारणों से होते हैं और उनको किस तरह से कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है ।

इसी तरह से कुछ सुझाव हमारे साथियों ने कांग्रेस बेंचेज से भी दिए, खास कर श्री हनुमंतैया जी ने और श्री माथुर ने, जिनका मैं सख्त विरोध करता हूं । श्री हनुमंतैया जी ने कहा कि ट्रेड यूनियन की वजह से कर्मचारियों में काफी अनुशासनहीनता आ गयी है । श्री माथुर का सुझाव है कि आफिसर्स को और ज्यादा पावर्स देनी चाहिए श्री हनुमन्तैया जी ने कहा कि काम करने वालों और मजदूरों के साथ सख्त से सख्त बरताव करना चाहिये और लेबर एक्ट एमेन्ड करना चाहिये कि लेबर एक्ट को अमेंड किया जाने से और रेलवे में इंडियन पीनल कोड लागू किया जाए, इससे रेलवे के एक्सीडेंट नहीं रोके जा सकते । इस तरह की बात लोगों के सामने रखना और जब कभी कोई गड़बड़ी या एक्सीडेंट हो तो जल्दी से जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच जाना मुनासिब नहीं है । मैं यह बात इसलिए कहता हूं क्योंकि रेलवे ट्रेड यूनियन से मेरा कुछ निजी सम्बन्ध रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे में जब भी कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, तो जिस तरह से मिनिस्टर साहब ने अफसोस जाहिर किया है इसी तरह से रेलवे में जो १२ लाख बड़े और छोटे लोग काम करते हैं उन सब को अफसोस होता है । किसी भी आदमी को, जिसके काम में गड़बड़ी हो और उसके काम में दोष निकालने का मौका आवे, अफसोस होता है । लेकिन जो बहस का ट्रेंड था उससे साफ मालूम होता है कि रेलवे के काम करने वाले जान बूझ कर एक्सीडेंट करते हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए । मैं सदन से अदब के साथ कहना चाहता हूं कि एक्सीडेंट किए नहीं जाते एक्सीडेंट हो जाते हैं और जब एक्सीडेंट होते हैं, जैसे ड्राइवर अगर उसकी गलती से एक्सीडेंट हो, कुछ लोग या तो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं । ड्राइवर मर जाता है, फायर मैन मर जाता है, और लोग भी मर जाते हैं और कुछ लोग जो बच जाते हैं उनकी जिन्दगी भी बेकार हो जाती है । उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाती है, जो मुनासिब है । अगर किसी मजदूर या कर्मचारी की गलती की वजह से एक्सीडेंट हो जिससे लोगों में काफी खलबली मचे और जिससे लोगों को और देश को नुकसान हो, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राएं नहीं हो सकतीं । लेकिन इस नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है कि जनरल मैनेजर को और पावर दी जाए । क्या अभी जनरल मैनेजर को कम पावर है ? क्या डिवीजनल सुपरिटेंडेंट को बहुत कम पावर है ? इसके साथ साथ यह भी बतलाया गया कि जिस डिवीजनल सुपरिटेंडेंट के इलाके में कम एक्सीडेंट हों उसको एक्सलेरेटेड और आउट आफ़ टर्न प्रोमोशन दिया जाए । शायद कुछ लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जनरल मैनेजर और डिवीजनल सुपरिटेंडेंट की वजह से ही सारे हिन्दुस्तान की रेलवेज़ चलती हैं । मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे के अन्दर छोटे बड़े जितने काम करने वाले हैं सब के सहयोग से रेलवे का काम होता है । मैं कहूंगा कि हर गैंग मैन, हर खलासी, हर फायर मैन हर ड्राइवर आदि सब के सहयोग से रेलवे का काम चलता है । इसलिए अगर परफारमेंस का सवाल आता है तो उसमें केवल जनरल मैनेजर और डिवीजनल सुपरिटेंडेंट का ही नाम क्यों लिया जाता है, उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट तो सब को मिलना चाहिए न कि किसी खास तबके के लोगों को ।

कल रेलवे मिनिस्टर साहब ने अपने स्टेटमेंट में कुछ बातें कहीं, उनके सम्बन्ध में भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि पिछले १०–१२ साल में रेलवे में ट्रेफिक काफी बढ़ा है काम बहुत बढ़ा है, अगर यह कहा जाए कि काम सौ फीसदी बढ़ा है तो अत्युक्ति न

[श्री आ० प्र० शर्मा]

होगी । इसके साथ साथ आप देखें कि रेलवे बोर्ड, या जनरल मैनेजर या डिवीजनल सुपरिटेंडेंट के लेविल पर तो कुछ लोगों को बहाल करके काम चलाने की बात की जाती है । लेकिन सारा काम नीचे होता है और जहां तक नीचे के लोगों का सम्बन्ध है रेलव यह नहीं कह सकती कि बढ़े हुए काम का मुकाबला करने के लिए उसने काफी स्टाफ बढ़ाया है और लोगों को काफी सुविधा दी है ।

जहां तक एक्सीडेंट्स का सवाल है, आप देखें कि स्पेयर पार्टस नहीं मिलते । मुझे आश्चर्य हुआ यह जान कर कि रेलवे में इंजिन के स्पेयर पार्ट लगाने के लिए दूसरा इंजिन रखा जाता है, जिसको मदर इंजिन कहते हैं, जो कि चार पांच लाख का होता है । इसको इसलिए रखा जाता है कि अगर इंजिन के स्पेयर पार्ट न मिलें तो इसम से वह पार्ट लगा दिए जायें । इसी तरह से मैटीरियल की सप्लाई में भी काफी देरी होती है । इसके बारे में जांच होनी चाहिये ।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह एक्सीडेंट का सवाल कोई आइसोलेटेड सवाल नहीं है । कहा गया कि जब एक्सीडेंट होता है जो एनक्वायरी कमेटी बैठती है जांच करने के लिए, कमीशन बैठते हैं । पहले भी एनक्वायरी कमेटी बैठी थी श्री शाहनवाज़ खां की अध्यक्षता में । मैं उसकी सभी सिफारिशों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता । केवल दो एक सिफारिशों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । उनकी सबसे बड़ी एक सिफारिश यह थी कि रेलवेज को सुचारु रूप से चलाने में ट्रेड यूनियन्स का सहयोग लिया जाए ।

इस के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि सहयोग लेने की जो सिफारिश की गई है उस सिफारिश के सम्बन्ध में क्या ऐक्शन लियां गया है ? वहां पर यह कहा गया है कि ट्रेड यूनियंस अगर सहयोग देना चाहती है तो दें और यह वैलकम किया जायगा । लेकिन मेरा कहना है कि क्या यही ट्रेड यूनियंस या लोगों से सहयोग लेने का ढंग नहीं है । अगर आप वाकई उन का सहयोग लेना चाहते हैं तो आपको लोगों को बतलाना चाहिए कि आप को किन चीजों में सहयोग की आवश्यकता है और उन में आपको लोगों का सहयोग मांगना चाहिए ।

इस के साथ ही साथ एक दूसरे रैकमेंडेशन में यह भी कहा गया है कि अफसरों का और सुपरवाइजर्स का डेस्क वर्क बहुत बढ़ गया है, आफिस का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है । रेलवे मंत्री के स्टेटमेंट में बतलाया गया है कि इस बात का काफी इंतजाम किया गया है कि अफसरों और लोगों के बीच में क्लोज कंटैक्ट हो; लोगों को समझाया जाय और बतलाया जाय कि रेलवेज में किस तरीके से अच्छा काम चले । मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उन से इस बात पर डिफर करता हूं । आज हर अफसर के पास और हर एक व्यक्ति के पास काम इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि वह लोगों से कोई कंटैक्ट मेंटेन नहीं कर सकते । इस लिए इस की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है ।

जोंस के सम्बन्ध में मैं सदन में यह कहना चाहता हूं कि यह नार्दन जोन, सैंट्रल जौन और वैस्टर्न जोन तथा सदर्न जोन ५–७ वर्ष पहले बने थे । नार्दन रेलवेज मुगलसराय से बीकानेर और जोधपुर तक जाती है । अब इतनी बड़ी रेलवेज के ऊपर क्या यह संभव है कि एक जनरल मैनेजर दिल्ली के अन्दर बैठ कर उस के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके ? हावड़ा, दानापुर, दिल्ली, बम्बई और विजयवाड़ा इस तरह के हर एक रेलवेज में जो डिवीजन हैं हर एक रेलवेज के बराबर हैं । इसलिए हमारा काम है कि रैलवे जोंस की वर्किंग के सम्बन्ध में इनक्वायरी करायें ।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे स्टेशन वर्किंग रूल्ज में भी काफी जांच पड़ताल करने की जरूरत है। जहां पर डबल लाइन है वहां पर खास तौर से इन में काफी परिवर्तन की जरूरत है ।

मैं डुमरांव रेल ऐक्सीडेंट के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि वह खास मेरी कांस्टीटुएंसी में पड़ता है। और रेलवे मंत्री महोदय ने अभी कल बतलाया है कि एक इनक्वायरी कमिशन उस की जांच करने के लिए सैट अप हुआ है। लोग उस कमिशन के सामने जो चाहें बातें बतलायेंगे और कमिशन के सामने ब्यान देंगे ।

आज केवल रेलवे ऐक्सीडेंट्स के ऊपर ही गौर करने का सवाल नहीं है बल्कि सब से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि रेलवे ऐडमिनिस्ट्रेशन रेलवे के मजदूरों के साथ और पब्लिक के साथ किस तरह से व्यवहार करता है और उन का सहयोग किस तरह से प्राप्त करता है? यह देखना बहुत जरूरी है कि वह जनता का सहयोग किस तरह से प्राप्त करता है और उसके लिए वह क्या कदम उठा रहा है?

जहां तक ट्रेड यूनियंस का सम्बन्ध है श्री हनुमन्तैया ने खास तौर से इस का जिक्र किया है कि उन में अनुशासनहीनता काफी बढ़ गयी है। आज अफसर लोग लेबर को सजा देने से डरते हैं । जहां तक ट्रेड यूनियंस से मेरा ताल्लुक है उस के आधार पर में कह सकता हूं कि हमारी ट्रेड यूनियंस रेलवेज का काम अच्छे तरीके से और सुचारू रूप से चलाना चाहती हैं। जो लोग गलती करते हैं, जो लोग गुनहगार हैं उनको वह सजा दिलाना चाहती हैं। लेकिन अफसोस यह है कि हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि बुरे लोगों को प्रोत्साहन देते हैं और जो अच्छा ट्रेड यूनियन का काम करने वाले हैं उनके खिलाफ काम करते हैं न कि बुरे लोगों के खिलाफ। बस इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, रेलवे ऐक्सीडेंट्स के बारे में जो प्रस्ताव रक्खा गया है उसको मैंने पढ़ा है। उस स्टेटमेंट में लिखा है कि २३ जन सन् ६२ से ३ अगस्त सन् ६२ तक १५ ऐक्सीडेंट्स हुए। तीन महीनों में १५ ऐक्सीडेंट्स हुए। ऐक्सीडेंट्स की जो चिकित्सा की गई है उनमें यह लिखा गया है कि कुछ ऐक्जीक्यूटिव प्रीकाशंस् लिये जा रहे हैं और कुछ शिक्षित भी किये जायेंगे। लेकिन ऐक्सीडेंट्स क्यों होते हैं इस के बारे में रेलवे मंत्रालय ने कुछ विचार नहीं किया। गांवों में जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह तो हमारे लिये अष्टग्रही हो गये हैं। जिस नाम की शुरूआत "स" और "क" से होती है उसे अष्टग्रही लगती है। इसलिए यह रेलवे दुर्घटनायें होती हैं। मेरा कहना है कि यह तो एक सेंटीमेंटल चीज हुई और जो कि ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है लेकिन मैं माननीय मंत्री को यह अवश्य कहूंगा कि यह अष्टग्रही क्यों लगी है इसके ऊपर भी क्या कभी आपने विचार किया है ?

मैं मीटरगेज सेक्शन से आता हूं। खांडवा से इन्दौर तक दोनों तरफ तार लगा हुआ है जिसको कि रेलवे मंत्रालय ने निकाल दिया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों किया तो पीछे यह जवाब मिला कि इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब एक्सीडेंट्स कम होते हैं। इस वास्ते हमको आदेश आया कि खांडवा से रतलाम तक दोनों ओर जो कम्पाउंड तार लगे हुये हैं उनको निकाल दिया जाए।

इसी तरह ले लेबिल क्रासिंग पर होने वाले एक्सीडेंट्स के बारे में जब पूछा गया तो यह जवाब दे दिया जाता है कि हमें मध्य प्रदेश के मंत्रालय से सफिशिएंट कोटा नहीं मिलता इस वास्ते वहां

[श्री बड़े]

दरवाजे नहीं लगाय जा सकते। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी आधारित है और इतना डरती है कि यहां से जो भी आदेश जाये वह उसकी अवहेलना नहीं कर सकती है। अगर यहां से कोई आदेश दिया जाय तो मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर कदापि यह नहीं कह सकते कि हम कोटा नहीं देंगे। लेकिन हकीकत तो यह है कि यहां से उसके लिये प्रैस नहीं किया जाता है। दूसरी बातों के बारे में तो प्रैस किया जाता है लेकिन इस कोटे के बारे में प्रैस नहीं किया जाता है कि हमको इतने वहां ओवर ब्रिज तैयार करने हैं। इसके बारे में यहां से ऐसा प्रैस नहीं किया जाता और यह पता नहीं दिया जाता कि इतना रुपया उनको मिलना ही चाहिये। । आज जनता के प्राण माननीय स्वर्ण सिंह के हाथ में हैं। रेल दुर्घटनायें इधर काफी होने लगी हैं और उनके परिणामस्वरूप ७०–७० और ८०–८० लोग मर जाते हैं। किसी के माथे का सिंदूर पुंछ जाता है तो किसी की गोद खाली हो जाती है। ऐसी हालत में माननीय स्वर्ण सिंह को रातें में नींद कैसे आती है? उनको तो बेचैन होना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण क्या है? जहां तक मेरा खयाल है एक मुख्य कारण तो यह भी है कि रेलवे का स्टाफ काफी टेम्पोरेरी है। नीमच और इन्दौर के बारे में मैं जानता हूं कि रेल कर्मचारी ३, ३ और ४, ४ साल से अस्थाई चले आ रहे हैं उनको अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। अब यह स्वाभाविक बात है कि चंकि उनको परमानेंट नहीं किया गया है इसलिए वे सोचते हैं कि हम क्यों मेहनत करें हम तो टेम्पोरेरी ही चल रहे हैं? हमको काम करके क्या करना है? अपनी बजट स्पीच में भी मैंने मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया था कि इन लोगों को आप परमानेंट क्यों नहीं करते हैं और अभी तक इनको टेम्पोरेरी क्यों चला रहे हैं लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कारण कर्मचारी वर्ग में काफी असन्तोष है और उनमें एक आलस अथवा निष्क्रियता की भावना रहती है।

ऐक्सीडेंट्स होने पर यह देखा जाता है कि नीचे वर्ग के कर्मचारियों को ही इसके लिए जिम्मेदार अथवा दोषी ठहराया जाता है और उनको सजा मिलती है। मेरा कहना है कि ऊपर के अफसरान को इनके लिए क्यों नहीं जिम्मेदार अथवा दोषी ठहराया जाता है। उन से क्यों नहीं जवाब तलब किया जाता है? सदा देखने में यह आता है कि जो नीचे के कर्मचारी हैं छोटी छोटी पगार लेने वाले कर्मचारी हैं, ऐक्सीडेंट्स होने पर उनकी ही गर्दन दाबी जाती है। ऊपर के अफसरों की गर्दन क्यों नहीं दाबी जाती है?

मुझे एक रेलवे कर्मचारी ने बतलाया है कि इंजन और पटरियां काफी खराब हो गयी हैं और जब हम उसको बदलने के लिये डिपार्टमेंट से कहते हैं तो पूछने पर यह कह दिया जाता है कि आपकी रिपोर्ट आई है और उस पर विचार किया जा रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि वही पुराने, घिसे पिटे और खराब इंजन इस्तेमाल में लाये जाते हैं और वही घिसी पिटी और पुरानी रेल पटरियां काम में लाई जा रही हैं और हम देखते हैं कि अक्सर दुर्घटनायें होती रहती हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने लोकोमोटिव्स और बहुत सा रोलिंग स्टाक जो खराब हो गया है उस को हम बदलने की कोशिश करें। अभी अमरीका में एक ऐक्सीडेंट हुआ। अमरीका के एक पत्रकार ने सुझाव दिया कि मोटर ऐक्सीडेंट्स चूंकि उसी ड्राइवर ने दो दो दफे किये हैं तो ड्राइवर को सजा न देते हुए उस मोटर को ही सजा दी जाये और उसको ताले में बन्द किया जाये। ऐसा करने से ऐक्सीडेंट कम हो जायेंगे। मेरा भी सुझाव यह है कि ड्राइवर को सजा देने के बजाय जो लोकोमोटिव और रोलिंग स्टाक है उसको ही सजा दी जाये और इस तरह का जो खराब और घिसा पिटा सामान है उसको इस्तेमाल में न लाया जाये और बन्द करके रख दिया जाये। बजाय यह नामवरी लेने के श्री सरदार स्वर्णसिंह के काल में यहां यहां दूसरी लाइन निकाली गई, दो, दो नई ऐक्सप्रेस गाड़ी शुरू

हो गई या डिलैक्स चला दी गई, कोशिश यह की जाय कि हमारे रेलवे इंजन ठीक ठाक हों, वे डिफैक्टिव न हों, हमारी रेल की पटरियां घिसी पिटी न हों। ज्यादा रेलगाड़ियां चलाने की कोशिश न करते हुए हमें यह देखना चाहिये कि हमारे इंजन, पटरियां व अन्य पुर्जे आदि ठीक ठाक हों,उनमें कोई डिफैक्ट न हो। जो इंजन खराब है और अक्सर बिगड़ जाते हैं उनको हम उपयोग में न लायें तो ज्यादा उचित होगा ।

मैंने यह भी देखा है कि जो नीचे के कर्मचारी हैं और जो ऊपर का कंट्रोलिंग स्टाफ है उनमें कोओपरेशन नहीं होता है। आपस में एक डिमौरेलाइजेशन हो गया है। पालिटिक्स बाजी उनमें चलती है। ट्रेड यूनियंस की पालिसी चलती है, लोअर कर्मचारी और हायर कर्मचारी की पालिटिक्स चलती है। जो ट्रेड यूनियंस् राज्य के पक्ष की होती हैं उनकी तो बात बराबर सुनी जाती है लेकिन उनके अलावा जो ट्रैड यूनियंस् के कर्मचारी होते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मंत्री महोदय को ऐक्सीडेंट्स की तह में जाकर देखना चाहिये कि आखिर यह ऐक्सीडेंट्स होते क्यों हैं। माननीय मंत्री डुमराव गये थे क्या। उनको इसका पता लगना चाहिये था कि आखिर यह दुर्घटनायें एक के बाद एक क्यों हो रही हैं? केवल एक रिपोर्ट तैयार कर देने या कमेटी बना देने से इसका निदान होने वाला नहीं है। आज इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप रेलयात्रा निरापद नहीं रही है और जिस प्रकार पहले जब लोग काशी यात्रा को जाते थे तो उनके सगे सम्बन्धी आदि रोते थे कि वे अब लौट कर वापिस आयेंगे भी या नहीं वही हालत आज रेल पर सफर करने की हो गयी है। आज रेल से जब हम दिल्ली जाते हैं तो हमारे गांव वालों को यह आशंका बनी रहती है कि कहीं हमारे एम० पी० जो रेल से दिल्ली जा रहे हैं किसी दुर्घटना का शिकार न हो जायें .....

अध्यक्ष महोदय : अगर गांव और घर वालों को इतनी ही आशंका और फिक्र है तो उनको घर पर ही बैठे रहना चाहिये ।

श्री बड़े : तीन महीने में १५ ऐक्सीडेंट्स होते हैं तो पता नहीं साल में कितने होंगे? अब यह ऐक्सीडेंट्स बजाय कम होने के बढ़ते ही जा रहे हैं और इसलिए चिन्ता स्वाभाविक है ।

जब से माननीय मंत्री जी इस गद्दी पर बैठे हैं, तब से और ज्यादा एक्सिडेंट्स हो रहे हैं। जहां तक साधारण जनता का प्रश्न है, वह जानना चाहती है कि आख़िर इन ऐक्सिडेंट्स का कारण क्या है। किन्तु सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में उन्हीं घिसी-पिटी बातों की रट लगाई जा रही है, जो कि उस ने पिछले सेशन में ऐक्सिडेंट्स के विषय में हुई डिस्कशन में कही थीं। मैं चाहूंगा कि जब कोई ऐक्सिडेंट हो, तो माननीयि मंत्री स्वयं दुर्घटनास्थल पर जाकर देखें कि उसका क्या कारण है, रेल-कर्मचारी असन्तुष्ट क्यों हैं और उनमें डीमारलाइजेशन क्यों है, आदि ।

प्राय: यह देखा जाता है कि अगर कोई इंजिन डिफेक्टिव भी हो, तो भी ड्राइवर को कहा जाता है कि उसे उस इंजिन को ले जाना पड़ेगा। अगर वह नहीं ले जाता है, तो उसको या वर्कशाप के रेस्पांसीबल आदमियों को सज़ा दी जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के रद्दी इंजिनों को प्रयोग में न लाया जाये। इसके साथ ही, जैसा कि मैंने अभी कहा है, माननीय मंत्री जी ऐक्सिडेंट के स्थान पर खुद जाकर देखें कि उसका कारण क्या है ।

श्री सोनावाने (पंढरपुर) : दुर्घटनाओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि ट्रेनों में यात्रा करते समय हमेशा यही अंदेशा बना रहता है कि दुर्घटना न हो जाये। यात्रा के दौरान रात को सोते समय बड़ा अन्देशा रहता है और सुबह तक यदि दुर्घटना नहीं होती तो बड़ी राहत मिलती है ।

[श्री सोनावने]

इस सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं, जिन पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में मुझे रेलवे के कई प्रशिक्षण स्कूल देखने का अवसर मिला है।

प्लेटफार्म पर खड़ी हुई ट्रेन से आने वाली दूसरी ट्रेन की टक्कर कर्मचारियों की चूक के कारण ही होती है। यदि काफी दूरी पर प्वाइंट्स लगाये जायें, तो ड्राइवरों को ट्रैन रोकने का समय मिल जायगा। इस सुझाव पर विचार किया जाना चाहिये।

जिन रेलवे फाटकों पर कोई कर्मचारी नहीं रखा जाता, वहां दुर्घटनाओं की संभावना काफ़ी रहती है। देश में ऐसे १९,००० रेलवे फाटक हैं। खर्च कितना भी पड़े रेलवे को उन पर चौकीद रखने चाहिये। इस सम्बन्ध में डा० क० ल० राव का सुझाव भी विचारणीय है। जिन लेविल क्रासिंगों पर गेट नहीं हैं, वहां गेट लगाये जाने चाहिये। उसका खर्चा वहन करने में राज्य सरकारों को भी हाथ बटाना चाहिये।

मेरा तीसरा सुझाव यह है कि मानसून के दिनों में पुलों के संधारण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिय। पुलों की जरा भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, रेलवे की जो दुर्घटनायें होती हैं, इनको चार श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहली श्रेणी तो अनमैंड गेट्स की हैं जहां पर कोई आदमी नहीं रहता है, दूसरी जहां पर आदमी रहता है लेकिन ऐसी गलती हो जाती हैं, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है तीसरे स्टेशन यार्ड और सिगनल के बीच का क्षेत्र और चौथ दो स्टेशनों के बीच का ट्रैक।

जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है, अनमैंड गेट्स का सम्बन्ध है, मैं एक ख़ास बात की तरफ़ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यदि वह पिछले पन्द्रह बीस बरस के आंकड़ देखें तो वह इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पिछले तीन चार बरस में बाकई में यहां होने वाली दुर्घटनायें बढ़ गई हैं। जब ऐसी बात है तो निश्चित रूप से इसका कोई विशेष ही कारण हो सकता है। मैं समझता हूं कि इसका सब से बड़ा कारण यह है कि उन जगहों पर जहां पर कच्चे रास्ते पहले हुआ करते थे, जहां पर पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थीं वहां पर कच्चे रास्तों के स्थान पर सड़कें पक्की बन गई हैं और आवागमन बहुत हो गया है और इस कारण से इस तरह की दुर्घटनायें विशेष तौर से होती हैं। यह निश्चित है कि इस तरह की दुर्घटनाओं को काबू में लाने के लिये जो उपाय समय-समय पर सुझाये गये हैं, उनकी तरफ रेलवे मंत्रालय को जितना ध्यान देना चाहिये था नहीं दिया है। इन अनमैंड गेट्स के ऊपर न केवल ट्रैफिक का ही प्रश्न है बल्कि जो उनके एक आध मील के अन्दर अन्दर रहते हैं, जो लोग वहां पर बारहमासी काम करते हैं, पहले उन लोगों को वहां पर एक प्रकार से यह ध्यान रखना होता था कि वे देखें कि इधर उधर से कैटल वगैरह या कोई और परिवहन तो नहीं आ रही है। लेकिन अब लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं रहता है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है। इस प्रकार की जो जवाबदारी पहले उन लोगों पर थी, उनके मेट्स वगैरह पर थी, वह क्यों नहीं रखी जाती है।

दूसरा कारण रफ्तार का है। पहले से रेलों की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन यह भी सही भी है कि ड्राइवर्ज का यह काम होता है कि वे देखें दूर से ही कि क्या कुछ हो रहा है। जो अनमैंड गेट्स होते हैं, उनका उनको पता होता है। लेकिन पता होते हुए भी वे लोग लापरवाही करते हैं और इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। और दुर्घटनायें होने का यह भी एक विशेष कारण होता है। वे एक मील दूर से ही देख सकते हैं दिन के समय और रात के समय भी लाइट की सहायता से, कि क्या कुछ

हो रहा है और जहां पर उनको मालूम होता है कि यहां पर अनमैंड गेट्स हैं, वहां पर भी सीटी तक नहीं देते हैं। बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जहां पर उनको स्पीड लो करनी होती हैं, लेकिन वे वैसा नहीं करते हैं। दुर्घटनायें अगर मेल ट्रेंस की ही होती हों तो भी बात समझ में आ सकती है क्योंकि स्पीड रोकने में कुछ विशेष दिक्कत होती है, लेकिन जो साधारण पैसेंजर ट्रेंज होती हैं या जो गुड्ज़ ट्रेंज होती हैं, जब उन के साथ दुर्घटनायें होती हैं, तो यह निश्चित रूप से लापरवाही के नतीजे के तौर पर ही होती हैं। जहां तक अनमैंड गेट्स का सम्बन्ध है, निश्चित रूप से आपको फेज्ड प्रोग्राम के मुताबिक उनकी तादाद कम करनी होगी। बताया गया है कि इनकी तादद १६ हज़ार के करीब है। यह तादाद अवश्य कम होनी चाहिये। एक दम तो यह कम नहीं हो सकती लेकिन इस को हमें धीरे धीरे कम करना ही होगा। बढ़ते हुए ट्रेफिक को देखते हुए और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए यह जरूरी मालूम देता है कि उनको बहुत ज्यादा दिन तक अनमैंड न रखा जाए और उसके लिए आपको अपनी योजना में रुपया रखना होगा।

अब मैं मैंड गेट्स पर आता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो स्टाफ आजकल वहां है उसकी लापरवाही बढ़ने का एक विशेष कारण यह है कि उनको अपने अफसरों के साथ सम्बन्ध वैसा उचित नहीं रहा जैसा रहना चाहिये था। हर अफसर यह शिकायत करता है कि हमें कोई अधिकार नहीं है उन से काम लेने का और बहुत कर के हम उनकी रिपोर्ट ही कर सकते हैं! इसमें कितना दोष किस का है, मैं यह नहीं कह सकता हूं। वैसे तो आर्गेनाइज्ड लेबर होनी ही चाहिये। लेकिन आर्गेनाइज्ड लेबर का यह मतलब नहीं होता कि आदमी काम से जी चुराये और जो यूनियंज़ हैं, वे उन को आश्रय दें, उनको तरजीह दें! इसलिए इस तरह की बातों की तरफ खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है।

अब मैं विशेष रूप से स्टेशन यार्ड और सिगनल के भीतर जो दुर्घटनायें होती हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन में एक खास बात यह है कि जो नाते क्लास ३ और क्लास ४ की सर्विसों के बने हैं, नए नाते कायम हुए हैं, उन में वे एक दूसरे की इज्जत नहीं कर पाते हैं। पहले जो ए० एस० एम० या एस० एम० आन ड्यटी, इत्यादि हुआ करते थे उनका एक तरह से डर, दबाव और धमकावा वगैरह रहता था, जो कि हो सकता है कि गलत चीज़ हो। उसको हटा कर जो बराबरी का दर्जा उनका लाया गया है, उस के नाते से और साथ ही जो विकेन्द्रित रूप से उन के ऊपर अनुशासन नहीं है, उसके कारण से वे लोग विशेष तौर पर लापरवाह हो जाते हैं। यह ठीक है कि क्लास ४ सर्विसिज को दबाने की कोशिश की जाती है, धौंस देने की कोशिश की जाती है और जब वे दवाब और धौंस में नहीं आते हैं, तो उन पर इल्ज़ाम भी लगाने की कोशिश की जाती है और उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। जब कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जो इन-क्वायरी होती है, जो जांच होती है, उस वक्त देखने में आता है कि इस बात की पूरी कोशिश की जाती है और पूरा दवाव डाला जाता है कि अमुक आदमी को इस में से बचाना है या अमुक आदमी को इसमें फंसाना है।

इस तरह की बातों से अफसर भी बचे नहीं रहते हैं। इसे भी देखने की जरूरत है।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, उसका भी मैं ज़िक्र करना चाहूंगा। रेलवे में करप्शन अजीब तरह का है। न केवल यहां पर बाहर वालों से या दूसरे डिपार्टमेंट वालों से ही रिश्वत ली जाती है, लेकिन अपने ही डिपार्टमेंट में स्टाफ को आपस में रिश्वत देनी लेनी पड़ती है। बहुत अर्सा नहीं हुआ कि एक स्टेशन मास्टर ने मुझे कहा कि आप एम० पी० हैं, लोक सभा के मेम्बर हैं, और जिस तरह का पास आप के पास है, हमें भी उसी तरह का मिल जाना चाहिये। मैं ने कहा कि यह जो आपका रेलवे का तरीका है वह ठीक है, उस में क्या खराबी है उसने कहा कि जब हम दफ्तर में जाते हैं इस

[श्री काशीराम गुप्त]

के वास्ते तो बगैर चाय पिलाये हुए रेल का पास भी नहीं बनता है। रेलवे का पास भी चाय पिलाये बगैर नहीं बनता है। जहां पर ऐसी स्थिति हो, आपस में पैसा लेने का सवाल हो, इतनी ज्यादा करप्शन जहां पर हो, वहां आप यह उम्मीद करें कि जो इन्क्वायरी होगी उस में सही सही फैक्ट्स सामने आयेंगे, यह कैसे सम्भव हो सकता है ।

मेरे साथी बता रहे थे कि बहुत दिनों की बात है कि महु स्टेशन के पास एक दुर्घटना हुई थी। उसका कारण यह था कि स्टेशन स्टाफ एक गाड़ी जो आ चुकी थी, उसको रवाना किए बगैर ही नाच-गाने देखने के लिए चला गया और इस बीच में पीछे से दूसरी गाड़ी आ गई। इस तरह की चीजें देहाती स्टेशनों पर बहुत सी हो जाती हैं। रात को बाबू आराम से सोता है और प्वाइंट्समैन को कह देता है कि प्वाइंट लगा देना। अब वह ठीक लगाता है या नहीं लगाता है, इसका उसको कुछ पता नहीं । ऐसी हालतों में एक्सीडेंट होने की सभावनायें सम्भावनायें बढ़ जाती हैं। मेरा निवेदन है कि आज के युग में तथा आज की परिस्थितियों में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन तथा रेलवे बोर्ड को यही केवल नहीं देखना है चूंकि एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस वास्ते टैक्नीकल नालेज स्टाफ में बढ़ाने की जरूरत है, इस के बारे में उसको एजूकेट करने की जरूरत है बल्कि यह भी देखना है कि यह टैक्नीकल साइड जो है यह बड़े बड़े स्टेशंज पर चलती है, जंकशन स्टेशंज पर चलती है और जहां तक ओवर-क्राउडिंग का सम्बन्ध है, रेलों के छतों पर चढ़ कर सफर करने का सम्बन्ध है, पाएदानों तथा खिड़कियों के साथ लटक कर सफर करने का सम्बन्ध है, जिन के फलस्वरूप भी कई दुर्घटनायें हो जाती हैं, वहां टेक्नीकल नो हऊ क्या करेगा। ये ऐसी चीजें हैं जिन में टैक्नीकल नो हऊ या टैक्नीकल नालेज नहीं आता है और आप खुद ही कर सकते हैं। इस चीज की दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश न की जाये और कहा जाए कि टैक्नीकल नो हऊ या टैक्नीकल नालेज बढ़ाने की जरूरत है तो यह बात समझ में नहीं आती है। जो बातें एडमिनिस्ट्रेटिव एकशंज से सम्बन्ध रखती हैं, वह तो आप कर ही सकते हैं। जितना भी डोल पोल चल रहा है, उसकी तरफ मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है खास तौर पर कमर्शियल डिपार्टमेंट के लिहाज से जैसा रेलवे विभाग है, जहां पर रेलवे विभाग से ज्यादा करप्शन हो। इस तरफ आपका विशेष ध्यान जाना चाहिये ।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो चार्ट आपने ऐक्सीडेंट्स का दिया है, उसको देखने से एक अजीब बात मालूम होती है । वह यह है कि कहीं पर बहुत बड़ा ऐक्सिडेंट हुआ, लेकिन उस में जो सजा दी गई है वह सिर्फ रिमूवल की दी गई है। क्यों नहीं उन को प्रोजिक्यूट किया जाता जब वे लोग इस प्रकार की बातों के लिये जिम्मेदार होते हैं ? कहीं पर छोटी छोटी सजायें दे दी गई हैं और कहीं पर इस प्रकार के लोगों के मामले अन्डर कंसिडरेशन हैं। कहीं पर इस तरह के मामलों में लोगों को अच्छी अच्छी सजायें दी जा चुकी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐक्सिडेंट्स की रिपोर्ट्स पर फैसले ठीक न होना, उन में तारतम्य न होना, यह एन्क्वायरी का कोई अच्छा तरीका नहीं है। जितने दबाव वगैरह होते हैं उन से इस में काम लिया जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये डिसिप्लिन को कायम करने के लिये। मैं अपने उन साथियों से सहमत हूं क्योंकि जब तक विकेन्द्रीकरण नहीं होगा, जब तक हम ट्रेड यूनियन्स को अच्छे ढंग से नहीं चलायेंगे और उन के साथ विभाग के अच्छे सम्बन्ध नहीं होंगे, तब तक यह लापरवाही चलती रहेगी ।

अन्त में मैं कुछ अल्फाज यह भी कहूंगा कि यहां पर जो इस प्रकार की बातें कही जाती कि इस्तीफा दे दो, यह करो, वह करो, तो इस्तीफे भारत में जिस रूप से दिये जाते हैं वह एक डिबेटेबल प्वाइंट है, जिस को फिर लिया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस सरकार में इस्तीफे तभी दिये जाते हैं जब उन आदमियों की और जगह जरूरत होती है। और चूंकि और जगह आज जरूरत नहीं है इसलिये इस्तीफे नहीं दिये जायेंगे। हमें यह मान कर चलना चाहिये।

श्री तुलसीदास जाधव (नादेड़) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर पिछले सेशन में डिबेट हुआ था, तो भी अभी जो एक्सिडेंट्स हुए हैं और जिन की लिस्ट मिनिस्टर साहब ने हमारे सामने रक्खी है, उस से पता चलता है कि उन की संख्या १५ है। अगर उन १५ ऐक्सिडेंट्स को देखा जाय तो १३ ऐक्सिडेंट्स ऐसे हैं जो कर्मचारियों की गलती से हुए हैं। अगर उन्होंने गलती न की होती तो यह ऐक्सिडेंट्स न होते। इस तरह की गलती के कारण जो नं० ११ का ऐक्सिडेंट हुआ है डुमरांव का उस के अन्दर बहुत से आदमी मर गये हैं। मैं नहीं समझ पाता कि क्या बात है कि जब एक गाड़ी एक लाइन पर खड़ी हो और वह लाइन दूसरी गाड़ियों के लिये बन्द कर दी गई हैं तो केबिन में काम करने वाले जो आदमी हैं उन्होंने क्यों यह इन्तजाम नहीं किया कि वह लाइन दूसरी गाड़ी के लिये न खोली जाय ? जिस प्रकार से अगर किसी स्टेशन मास्टर ने किसी गेट पर लाइन को बन्द कर दिया तो कोई और आदमी उस को खोल नहीं सकता, उसी तरह से जब तक किसी लाइन पर गाड़ी खड़ी हो और वह चली न जाय तब तक पीछे की गाड़ी उस लाइन पर न आ सके, ऐसा बन्दोबस्त क्यों नहीं किया जाता, यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैं टेक्निकल बातें तो नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है तो किया जा सकता था। आखिर वह क्यों नहीं किया गया ?

जो चार्ट है, उस को देखने से पता चलता है कि जो १३ ऐक्सिडेंट्स कर्मचारियों के कारण हुए हैं वे इस कारण हुए हैं कि उन में उतनी अलर्टनेस नहीं है जितनी चाहिये।

अभी कई भाइयों ने जो मिनिस्टर इनचार्ज हैं उन से गुस्सा हो कर स्तीफा देने को कहा। मैं नहीं मानता कि उन के स्तीफा देने के बाद जो एक्सिडेंट्स हैं वे बन्द हो जायेंगे या कम हो जायगे। कोई भी आदमी मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं है जिस के वहां रहने से नक्सान होता हो या एक्सिडेंट्स होते रहें।

यह जो रिपोट हैं उस में पृष्ठ १० पर इंडिया, यू० के० और यू० एस० ए० के कोलिजन पर मिलियन ट्रेन माइल्स के कम्पेरिटव फिगर्स दिये हुए हैं, उन से मालम पड़ता है कि सन् १९५१–५२ में इंडिया में जो ऐक्सिडेंट्स हुए उन की संख्या ०.१५ है। उसी साल यू० के० में ०.२१ ऐक्सिडेंट्स हुए और यू० एस० ए० में ३.१२ एक्सिडेंट्स हुए।

श्री बड़े : यू० एस० ए० और यू० के० में कैजुअल्टीज कितनी थीं ?

श्री तुलसीदास जाधव : यह मुझे मालूम नहीं है। आप स्टडी कर के इस में से देख सकते हैं। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मर्दुमशुमारी सिर्फ जीवतों की की गई है।

श्री तुलसी दास जाधव : उस के बाद सन् १९५२–५३ में इंडिया मे ०.१५, य० के० में ०.२० और यू० एस० ए० के आंकड़े देने की जरुरत नहीं समझी गई। लेकिन मैं कहता

[मूल अंग्रेजी में

[श्री तुलसीदास जाधव]

हूं कि सन् १९५५-५६ में इंडिया में ०.११, यू० के० में ०.१८ और यू० एस० ए० में २.८९। यह आंकड़े इन देशों के हैं जो टैकनिकल ज्ञान में बहुत आगे गये हैं। उन देशों में भी इस तरह के ऐक्सिडेंट् होते हैं। लेकिन इसके यह माने नहीं हैं कि यहां पर भी ये होते रहें। मैं इस के खिलाफ हूं। मैं ने यह चीज पहले भी कही थी, लेकिन एक बात है। पिछले डिबेट के समय डिप्टी मिनिस्टर साहब कहते थे कि कुछ ऐसा इन्तजाम होगा जिससे कि किसी नये तरीके से एक्सिडेंट्स कम से कम होंगे। मैं एक अनुभव की बात कहता हूं। जब मैं लन्दन में ट्यूब रेलवे में प्रवास करता था। तो मैं ने देखा कि उस में आटोमैटिकली गाड़ी रुकने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। एक बार उस में बैठने के समय मेरा पांव दरवाजे में अटक गया। जब तक पांव उस में अटका रहा, रेल आगे नहीं जा सकती थी। जब मैं ने अपना पांव निकाल लिया तो आटोमैटिकली दरवाजा बन्द हो गया और गाड़ी चल पड़ी। यह ठीक है कि इतना आटोमैटिक होना हिन्दुस्तान में अभी मुश्किल है। इसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन फिर भी यह बात अवश्य है कि जो १३ एक्सिडेंट्स कर्मचारियों के अलर्ट न होने के कारण हुए उन की ओर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में भी जो एक्सिडेंट्स हुए हैं अगर उनको देखा जाय तो यहां पर कम से कम एक्सिडेंट्स होते हैं। सन् १९५६-५७ में १३८ करोड़ प्रवास करने वाले थे जिन में २७६ आदमी मर गये हैं। इसका परिमाण ० २० होता है। सन् १९५६-५७ और उस के बाद आंकड़े ब्यौरेवार देने की जरूरत नहीं है। सन् १९६०-६१ में हम देखते हैं कि प्रवास काफी बढ़ गया था। जब सन् १९५६-५७ में १३८ करोड़ आदमी प्रवास करते थे तब सन् १९६१-६२ में १६१ करोड़ आदमी प्रवास करते थे। लोगों की प्रवास करने की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो गई है।

एक बात और है। अगर रिपोर्ट को पढ़ा जाये तो पता चलेगा कि बहुत से आदमी जगह न मिलने के कारण डब्बों की छतों पर बैठ कर चलते थे। वारसी लाइट रेलवे में मैंने खुद देखा है कि लातूर से मिराज तक जो रेलवे चलती है, जिस के लिये मैं ने कहा था कि उस के एंजिन बहुत खराब हैं, उसमें डब्बों की छतों पर अक्सर पच्चीस पच्चीस आदमी बैठ कर चलते हैं। हम को यह देखना चाहिय कि लोगों की प्रवास करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इसीलिय मेरा कहना है कि हम को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा फिक्र करनी चाहिये।

मैं एक दो सुझाव देना चाहता हूं। जहां पर अनमैंड रेलवे क्रासिंग्स हैं वहां पर बोर्ड लगाय जाने चाहियें। और वे बोर्ड ऐसे हों जो कि लोकल लैंग्वेजन में हों। मैं ने देखा कि अक्सर कि कहीं-कहीं पर वे बोर्ड हैं ही नहीं। साथ ही जब रेल आध मील पर रह जाय किसी क्रासिंग के गेट से तो उस को व्हिसल देना चाहिये। एक दफा या दो दफे व्हिसल देने से क्रासिंग पर से कोई आदमी नहीं जायगा।

दूसरी बात यह है कि जो आसपास के दस पन्द्रह गांव हों उनके लोगों को बतलाया जाय कि इस वक्त गाड़ी आती है। रेलवे क्रासिंग पर जो बोर्ड लगा रहता है उस पर यह नहीं लिखा होता कि गाड़ी किस वक्त आती है। तो ऐसा बोर्ड रहना चाहिए ये कि इस गेट पर अमुक वक्त पर गाड़ी आती है। जो आदमी उस बोर्ड को पढ़ेगा वह उस समय गेट पर नहीं जाएगा।

मैं ने ये बातें पहले भी कहीं थीं और अब भी कही हैं। मैं चाहता हूं कि इन दुर्घटनाओं को कम करने का प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य है कि बार-बार हमको इस प्रकार की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हम अगर इन दुर्घटनाओं को एनालाइज करें तो तीन चार किस्म की दुर्घटनाएं मालूम होती हैं।

कुछ दुर्घटनाएं तो डिरेलमेंट की होती हैं। इसका खास तौर पर कारण यह मालूम होता है कि पहले जमाने में जो फिश प्लेट होते थे और जो अब बनाए जाते हैं उनमें फर्क है। पहले जमाने में वे अखंड होते थे। अब ऐसे नहीं होते। मेरी रेलवे कर्मचारियों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि डिरेलमेंट की खास वजह यह है कि फिश प्लेट बदल दिए गए हैं। आज कल अलग-अलग फिश प्लेट होते हैं और उनको एक कीले से जोड़ा जाता है जोकि चन्द साल के बाद ढीला हो जाता है। जो फिश प्लेट पहले जमाने में होते थे वे अखंड होते थे। अब दो टुकड़े जोड़े जाते हैं जो चन्द दिनों में ढीले हो जाते हैं।

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : फिश प्लेट तो वही हैं जो पहले हुआ करते थे।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : पहले तो अखंड होते थे। अब जो हैं उनको एक पटरी से मिलाया जाता है।

श्री शाहनवाज खां : आपको गलत खबर दी गयी है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : नहीं ऐसी बात नहीं है, आप देखें। जो लकड़ी के फिश प्लेट हैं वह बेतहर समझे जाते हैं।

रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मेरा खयाल है कि आपका इशारा स्लीपर्स की तरफ है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : आई एम सॉरी। मेरा मतलब स्लीपर्स से ही था। आप खास तौर से गौर कीजिए कि स्लीपर अखंड होने चाहिएं। कर्मचारियों का अनुभव है कि पहले जमाने में जो स्लीपर होते थे वैसे ही होने चाहिएं। ऐसा किया जाए तो डिरेलमेंट की दुर्घटनाएं काफी कम हो सकती हैं।

दुर्घटनाओं का दूसरा कारण अनमेंन्ड गैट्स हैं जो कि हमारे देश में १६,००० हैं। कहा जाता है कि उनको मैन करने से अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे। अगर एक गेट को मैन करने का १०० रुपया महीना खर्च आवे तो कुल गेट्स के लिए १६ लाख रुपया चाहिए। मैं समझता हूं कि इस काम को इस तरह किया जाए एक साल एक या दो हजार गेट्स को मैन किया जाए तो तीसरे या चौथे प्लान के अन्दर सारे गेट मैन किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बतलाया, कि इन गेट्स के पहले "स्टाप एंड प्रोसीड" के बोर्ड लगाए जायें जैसे कि विदेशों में लगाये जाते हैं तो ये दुर्घटनाएं काफी कम हो सकती हैं।

इसके बाद दुर्घटनाओं का जो तीसरा कारण है वह कर्मचारियों की नैगलीजेंस का है। चन्द एक्सीडेंट्स को आप सेबटाज की वजह से भी मानते हैं जिनको अनसोशल एलीमेंट करते हैं। ऐसा हुबली में हुआ है। मैं समझता हूं कि सेबटाज के मामलों में कर्मचारी अनशोशल एलीमेंट्स से मिल कर काम करते हैं। अभी रिपोर्ट तो हमारे हाथ में नहीं आयी है लेकिन ऐसी अफवाह है कि माल-

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

गाड़ी जो आने वाली थी उसके डिब्बों को नीचे गिराकर लूटने का इरादा था। अक्सर ऐसा किया जाता है। इस पर सख्त ऐक्शन लेना चाहिये। इस मामले में जो हुबली में भी ऐसी ही हुआ मालूम होता है कि कर्मचारियों ने एंटी सोशल ऐलीमेंट्स से मिल कर मालगाड़ी को डिरेल करना चाहा था। मगर मालगाड़ी तो आ नहीं पायी, पैसेंजर गाड़ी आ गयी और इतना नुकसान हो गया। इस पर सख्त ऐक्शन लेना चाहिये और क्रिमिनल प्रासीड्योर कोड के मुताबिक ऐसे लोगों पर अन-इंटेंशनल मर्डर का केस चला कर सजा दी जानी चाहिये। और ऐसा करने के लिये अमेंडमेंट लाना चाहिये।

इसके बाद मैं जो रेलवे में कर्मचारी काम करते हैं उनके बारे में चन्द बातें कहना चाहता हूं। यह सही है कि जो गाड़ियाँ चलती हैं उनको मिनिस्टर या जनरल मैनेजर नहीं चलाते। ज्यादातर काम छोटे कर्मचारी करते हैं। और दुर्घटनायें जो होती हैं वे इनकी गलती से ही होती हैं, जैसे ड्राइवर से, स्टेशन मास्टर से और इसी तरीके के लोगों से जो नीचे काम करते हैं। मेरा सुझाव है कि जब कोई दुर्घटना हो तो इन लोगों के प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जाय, और उनसे सलाह की जाए कि कैसे इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और उनकी सलाह पर अमल किया जाए, तो दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भाई या बहिनें इन दुर्घटनाओं में मर जाते हैं उनको आप ५०० या १००० कम्पेंसेशन दे कर छोड़ देते हैं। यह काफी नहीं है। अगर किसी खानदान का अर्निंग मेम्बर मारा जाता है तो उसके लिये १००० रुपया बहुत कम है। ऐसे केसेज में इतना मुआवजा देना चाहिये ताकि उस खानदान की परवरिश हो सके। उस खानदान को कम से कम बीस साल तक ५०० रुपया साल के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिये यानी १०,००० रुपया। यह ५०० या १००० रुपया देना काफी नहीं है। उनकी जान गई और इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन उनको उचित मुआवजा तो जरूर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री विद्यालंकार।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के मेम्बरान के खयालात की तर्जुमानी तो मिनिस्टर साहब करेंगे ही, इसलिये दूसरों को मौका दिया जाये। जो लोग आठ आठ घंटे पढ़-कर आते हैं और सुबह से शाम तक बराबर यहां ड्युटी देते हैं उनको मौका दिया जाए। मैं सबसे पहले आता हूं और सब से बाद में जाता हूं और एक-एक अक्षर पढ़ कर आता हूं, आपके राज में सब धान बाईस पंसेरी तो नहीं होने चाहिय। इसके अलावा अपोजीशन मेम्बर्स में कोई बोलने को ऐक्शश भी नहीं है। जहां तक कांग्रेस के खयालात का ताल्लुक है उस की तर्जुमानी हमारे आनरेबुल मिनि-स्टर कर रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : अपोजीशन के जो भी मेम्बर्स मुझे लिख रहे हैं कि उन्हें वक्त दिया जाय उन को मैं बुला रहा हूं। इसलिये मेम्बर साहब का यह कहना कि अपोजीशन को मैं इग्नोर कर रहा हूं वाकयात के खिलाफ है। मैं बराबर अपोजीशन के मेम्बर्स को समय दे रहा हूं। माननीय सदस्य को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये।

श्री यशपाल सिंह : स्वतंत्र पार्टी को केवल पांच मिनट ही मिले हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या किसी ने घंटी बजा दी थी जिससे कि वह पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोल पाये ?

श्री यशपाल सिंह : वह ज्यादा नहीं बोल सकते थे ।

अध्यक्ष महोदय : अब यह किस का कसूर है ? बहरहाल यह तो माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि स्वतंत्र पार्टी के वक्ता केवल ४ मिनट ही बोल सके हैं । मैं उन्हें दस मिनट और दूंगा ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस सवाल पर आज हम बहस कर रहे हैं उस के लिये हाउस का प्रत्येक सदस्य यह महसूस करता है कि यह सवाल बहुत महत्व-पूर्ण है और इसीलिये सदन ने यह समय निकाल कर इस सवाल पर बहस करना शुरू किया है । दरअसल आज जो मंत्री महोदय जवाब देंगे और जो हमारे सदन् में बहस होती है उस बहस को सुनने के लिये वे लोग बहुत उत्सुक होंगे जो कि दूर बैठे हुये हैं और जिनके कि रिश्तेदार इन रेल दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मर गये अथवा घायल हुये हैं । इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि जब हम इस पर बहस करें तो इस चीज को ध्यान में रखते हुये करें कि उससे उनको कितनी तसल्ली होती है । हमें इस दृष्टि से इस पर विचार करना है कि हमारी बात से और हमारे जवाब से उन को कहाँ तक तसल्ली होती है । जनता में उससे कहाँ तक सन्तोष पैदा होता है, भविष्य के लिये उन में कहाँ तक विश्वास पैदा होता है ।

मैं जानता हूं कि हमारे मंत्री महोदय बहुत परेशान हैं । जहाँ उन के दिल में यह ख्वाहिश थी कि यह दुर्घटनाएं बंद हों और रेलवेज के महकमे में तरक्की हो इन दुर्घटनाओं ने मेरा खयाल है कि सब से ज्यादा उन के दिल को धक्का पहुंचाया है और उन्हें परेशान किया है । यह दुर्घटनाएं उनके समय में हुई तो जरूर हैं लेकिन रेलवेज के मुहकमें में यह जो बातें हैं जिन वजूहात से यह दुर्घटनाएं होती हैं वह एक पुरानी विरासत हैं जो कि उन्हें मिली हैं । मुझे इस बात का पूरा भरोसा है और मूझे कोई शक नहीं है कि वर्तमान मंत्री महोदय अपनी योग्यता से अपनी मेहनत से और अपनी लगन से इस डिफिकल्टी पर और इन मुश्किलात पर काबू पा सकेंगे और ऐसा प्रबन्ध कर सकेंगे जिस से कि यह दुर्घटनाएं होना सम्भव न हो । मैं जानता हूं कि इस बात के लिये वह काफी प्रयत्न भी कर रहे हैं लेकिन जहां तक जवाब का ताल्लूक है मूझे यह भय है कि जवाब देते हुए वह कुछ डिफेंस में पड़ गये, कुछ डिपार्टमेंट की सफाई देने में पड़ गये । उन्होंने फरमाया कि ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है । ऐसी दुर्घटनाएं दूसरे मूल्कों में भी होती रहती हैं, यहाँ हुई हैं और यह कि इन को बिलकुल बचाया नहीं जा सकता । अब इस में तो कोई शक नहीं है और हर एक आदमी समझता है कि मिकैनिकल डिवाइसेज यह जो मशीन के काम हैं इन के लिये दुनियां के अन्दर कोई आदमी यह दावा नहीं कर सकता कि इन में कहीं गलती नहीं होगी । लेकिन जब हम यह जवाब देते हैं तो उस जवाब से जनता में संतोष नहीं होता है । बल्कि घबराहट पैदा होती है ।

मैं समझता हूं कि पार्टीशन के बाद आजादी मिलने के बाद रेलवे के मुहकमे को हमने हाथ में लिया था तो इस में काफी तरक्की हुई थी । उस समय इस में काफी इम्प्रुवमेंट हुआ था लेकिन यह खेद का विषय है कि कुछ समय से रेलवेज के मुहकमे में कुछ इनएफिशिएंसी बढ़ती जाती है । आये दिन कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं लेकिन इन घटनाओं को लोग महज घटना की दृष्टि से नहीं देखते बल्कि इस दृष्टि से देखते हैं कि हर रोंज के काम में एफिशिएंसी कितनी है अगर हर रोज के काम में एफिशिएंसी है हर काम बिलकुल ठीक और टाईडी है तो उससे लोगों के दिलों में एक संतोष और विश्वास का भाव पैदा होता है और वह ऐसा सोचते हैं कि काम बिलकुल ठीक चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है । लेकिन इसके वरअक्स कहीं मामूली वजह से ही गलती हो गई या किसी की गलती से ही अगर कोई चीज हो जाय तो इतनी शिकायत पैदा नहीं होती लेकिन किसी मुहकमे के हर रोज का काम कुछ कमजोर दिखाई दे हर रोज कुछ इनएफिशिएंसी

[श्री अ० ना० विद्यालंकार]

दिखाई दे और कुछ बातों में काफी खामियाँ दिखाई दें तो फिर शिकायत हो जाती है और लोग फिर उन घटनाओं के कारण को भी उस चीज में तलाश करते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि रेलवे के महकमे में आज थोड़ी बहुत इनएफिशिएंसी जो कुछ वर्षों से नजर आ रही है उस को दूर करने की आवश्यकता है। अब रोज के कामों का जहाँ तक सम्बन्ध है जिस तरह का व्यवहार रेलवेज के अन्दर आम मुसाफिर महसूस करते हैं, जब रेलवे के डिब्बों में जाते हैं और देखते हैं कि सफाई का क्या इंतजाम है तो उनको एक मायूसी सी होती है। रेलवे में सामान कैसा है। गाड़ी में लाइट कैसी है, फैंस कैसे हैं और रेलों का टाइमिंग कैसा है इन के बारे में आप स्वयं सोच सकते हैं कि यह चीजें लोगों के दिलों में भरोसा पैदा करती हैं या निराशा पैदा करती हैं? अब अगर इन चीजों के रहते और घटनाओं के होते हम कहें कि उन घटनाओं के पीछे हमारा कोई जिम्मा नहीं है या सारा हमारा काम बिलकुल ठीकठाक है और इस तरह की घटनाओं का होना स्वाभाविक है तो मैं समझता हूं कि जनता में इससे मायूसी पैदा होगी।

मैं समझता हूं कि इस सदन् में और मंत्री महोदय में एक बिलकुल समझौता होगा इस बात पर एग्रीमेंट हो गया होगा अगर वह यह कहें कि यह सब चीजें ऐसी ही हैं जिन के कि ऊपर हम अबूर पा सकते हैं और हमें अबूर पाना चाहिये। यह गलतियाँ मैनमेड हैं और इन गलतियों को हम दूर कर सकते हैं। और हम इनको दूर करेंगे। उस हालत में कोई बहस की बात नहीं रह जाती है। आज जो चीज़ हम देखना चाहते हैं वह है एक दृढ़ निश्चय, इरादा, एक डिटरमिनेशन इन घटनाओं और गलतियों पर अबुर पाने का। यह चीज हम देखना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंट की तरफ से मिनिस्टरी की तरफ से इस चीज का खयाल किया जायेगा।

जहां तक रेलवेज में होने वाली दुर्घटनाओं का सवाल है इस बात की काफी चर्चा यहां पर हुई है कि रेलवेज में रिपेयर्स और मेनटेनेन्स का काम ठीक से नहीं होता है। डुमरांव की रेल दुर्घटना के बारे में कल यह पूछा गया था कि वहां पर इंटरलौकिंग सिस्टम था या नहीं। उसका जवाब यह दिया गया कि इंटरलौकिंग सिस्टम था। अब इंटरलौकिंग सिस्टम अगर वहां पर था लेकिन उस ने काम नहीं किया तो यह जाहिर करता है कि मेनटेनेन्स ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि वह काम उस मिकैनिकल डिवाइस ने नहीं किया और रेलों की टक्कर हो गई, एक ही लाइन पर दोनों गाड़ियां आ गई . . .

श्री शाहनवाज खां : वह डिवाइस तो ठीक थी आदमियों से गलती हो गई।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : अब आदमियों से गलती हुई तो हमें इस बात को मानना चाहिए कि हमारे इंतजाम में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं पर कोई खामी है। अब ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मुझे यह कहना है कि आमतौर से जो छोटे आदमी होते हैं क्लास ४ के आदमी होते हैं उन पर इन दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी डाल दी जाती है। बदकिस्मती की बात यह है कि बड़े अफसरान से इन के बारे में जवाब तलब नहीं किया जाता है और उन पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डाली जाती है और बेचारे छोटे कर्मचारियों को ही इस के लिए कसूरवार ठहराया जाता है। अब यह रोजमर्रा के काम जैसे कांटा ठीक करना आदि यह और इसी तरह के काम नीचे वाले करते हैं और ऊपर वाले सुपर-वाइजरी स्टाफ उन के ऊपर उतनी तवज्जह नहीं देते हैं। अब होता यह है कि इंजीनियर्स वगैरह जिनका कि काम इंस्पैक्ट करने का होता है वह उधर ध्यान नहीं देते हैं और पिकनिक वगैरह पर बाहर आते जाते रहते हैं और छोटे छोटे आदमी और नीचे के आदमियों पर यह कांटा ठीक करने और मेन लाइन ठीक करने का काम छोड़ देते हैं। जब ऊपर वालों की तरफ से इस तरह से लापर्वाही

बरती जाती है और वह इंस्पैक्शन आदि नहीं करते हैं तो नीचे के मुलाजिम भी लापरवाही कर देते हैं और जिस के कि परिणामस्वरूप यह दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मैं इस मामले में ऊंचे अफसरान को बनिस्बत उन छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों से ज्यादा जिम्मेदार समझता हूं क्योंकि उन्होंने उन के काम को ठीक से सुपरवाइज नहीं किया और उनकी लापरवाही के कारण नीचे वाले भी गाफिल हो गये और लापरवाही के फलस्वरूप यह दुर्घटनाएं हो जाती है।

श्री शाहनवाज खां : क्या आपका सुझाव यह है कि कांटा बदलने के लिये जनरल मैनेजर खुद जाय ?

श्री अ० ना० विद्यालंकार : अब ऐडमिनिस्ट्रेटर के मानी क्या है? उन में ठीक से काम लेने और उसको सही तौर पर सुपरवाइज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर कांटे वाला नहीं गया तो आप कांटे वाले को पकड़िये लेकिन कांटे वाले की इस गलती के लिये कौन जिम्मेदार है ? आप महज उस कांटे वाले का नाम लेकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं।

जहां तक ट्रेड यूनियंस और ऐडमिनिस्ट्रेशन के बीच सहयोग पैदा करने का सम्बन्ध है मैं इस से सहमत हूं कि उनका कोआपरेशन आप लीजिये और उन से सलाह मशविरा भी कीजिये ताकि ठीक से काम चले और कोई गड़बड़ न हो। हमारी ट्रेड यूनियंस पर भी काफी जिम्मेदारी आती है और उनको लाजिम हो जाता है कि वह कर्मचारियों में अनुशासन की भावना पैदा करें। कर्मचारी जिम्मेदारी और लगन के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें। वह यह न समझें कि सिर्फ अफसरान की ही जिम्मेदारी है और उनकी जिम्मेदारी नहीं है। यह ठीक है कि लीगल जिम्मेदारी ऐडमिनिस्ट्रेशन की है लेकिन मौरल जिम्मेदारी रेलवेज में जितने भी काम करने वाले हैं एक मामूली से चपड़ासी से लेकर मिनिस्टर तक, सब की जिम्मेदारी हो जाती है। मैं ट्रेड यूनियन्स में काम करने के नाते लेबरर्स से भी कहूंगा कि उनका भी फर्ज है कि वह जिम्मेदारी समझकर काम करें और यह जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें और लेवर लीडर्स अपने साथी काम करने वाले मजदूरों को कहें कि हमारे देश के लिए यह एक बेइज्जती की बात है कि इस तरह की दुर्घटनाएं हों और रेलवेज का काम ठीक से न चले। जनता की सेवा करने की भावना से उन्हें अपने आप अपनी अपनी जगहों पर काम करना चाहिए।

आखिर में मैं अनमैन्ड गेट्स के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। आज-कल स्थिति यह है कि इंजन अचानक वहां पर आ जाते हैं और व्हिसल नहीं देते हैं, जिस की वजह से एक्सिडेंट्स होते हैं। मेरा सुझाव है कि जहां तक अनमैन्ड गेट्स का सवाल है, कम से कम ऐसा रूल बना दिया जाये कि वहां पर इंजन जरूर थोड़ी देर पहले व्हिसल करते हुए गुजरें। अगर ऐसा इन्तजाम कर दिया जाये, तो चूंकि इतने जोर से सीटी बजती है, इसलिए वहां आने-जाने वालों को गाड़ी के आने का पता चल जायगा और इस तरह एक्सिडेंट्स रुक सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और बातें भी कहना चाहता था, लेकिन चूंकि समय नहीं है, इसलिए मैं ख़त्म करता हूं।

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, जो स्टेटमेंट रेलवे मिनिस्टर साहब ने सदन-पटल पर रखा है, वह २३ जून से ले कर ३ अगस्त तक की ४२ दिन की अवधि से सम्बन्ध रखता है। जो हिसाब उन्होंने दिया है, उस के मुताबिक इन ४२ दिनों में करीब २३६ आदमियों पर इन रेल-दुर्घटनाओं का असर पड़ा है। इस दृष्टि से हिसाब लगा कर देखने से मालूम होता है कि हर तीन दिन के बाद एक दुर्घटना हुआ करती है, जिस में करीब करीब पंद्रह आदमियों से बेशी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। इसी प्रकार प्रति-दिन के हिसाब से पांच आदमियों से बेशी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति बहुत भयावह है।

[श्री मू० ना० मण्डल]

यदि हम इस बात पर विचार करें कि इस स्थिति के पैदा होने के क्या कारण हैं, तो हम देखते हैं कि जो स्टेटमेंट रेलवे मिनिस्टर साहब ने रखा है, उस में बहुत से ऐसे केसिज़ हैं, जिन से मालूम पड़ता है कि रेलवे के कर्मचारियों पर जो जवाबदेही थी, उस जवाबदेही को उन्होंने अच्छी तरह से नहीं निबाहा है। इस के लिये जो एक्शन लिया गया है, उस को देखने से मालूम पड़ता है कि जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, जिनका इम्मीडिएट काम है, उन्हीं लोगों को सज़ा दी गई है, लेकिन इन कामों के करने वाले आदमियों की सुपरविज़न के लिये डिपार्टमेंट में जो दूसरे आदमी रखे जाते हैं, वे उस सज़ा की चपेट में नहीं आते हैं, जो कि रेल दुर्घटना की वजह से दी जाती हैं। मैं समझता हूं कि यह छोटे कर्मचारियों के प्रति अन्याय होता है।

असल में होना यह चाहिए कि अगर कोई दुर्घटना होती है और छोटे कर्मचारी उनके लिए सज़ावार होते हैं, तो निश्चित रूप से उन बड़े कर्मचारियों को भी सज़ा का भागी होना चाहिए, जिन का काम है छोटे कर्मचारियों से काम लेना और जो सुपरविज़न के लिए रखे जाते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था की जाये, तो सब रेल-कर्मचारियों में एक सामूहिक ज़िम्मेदारी की भावना जागृत होगी और इसका परिणाम यह होगा कि आये दिन जो दुर्घटनायें हो रही हैं, वे रुक जायेंगी।

मैं सहरसा जिले से आता हूं, जहां रेलवे की ब्रांच-लाइन है। उस ब्रांच-लाइन में काम करने वाले मज़दूरों से मेरा सम्पर्क रहा है। उस सम्पर्क के सिलसिले में मैं ने जाना है कि उन लोगों में कितना असंतोष रहा करता है और रेलवे के बड़े और छोटे कर्मचारियों में अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं। उन्होंने एक फ़ेहरिस्त मेरे पास भेजी है, जिस में उन्होंने बाज़ाब्ता नाम दिये हैं कि कुछ आदमियों के ट्रांस्फर का आर्डर हो गया था, लेकिन फिर भी उनका ट्रांस्फर नहीं हुआ और दूसरे आदमी ट्रांस्फर हो गए। इस तरह की जो गड़बड़ियां दिन-रात हुआ करती हैं, उन का असर उन लोगों पर पड़ा करता है और मैं समझता हूं कि रेल-दुर्घटनाओं के पीछे जो असावधानी रहती है, उस का एक कारण उनमें पाई जाने वाली अनिश्चितता की भावना भी है।

मैं रेलवे मिनिस्टर साहब को उन कागज़ात को भेजने की कोशिश करूंगा कि और मैं चाहूंगा कि इस तरह की व्यवस्था की जाये कि कानून और न्याय के मुताबिक सारा इन्तज़ाम हो। चाहे बड़े कर्मचारी हों और चाहे छोटे कर्मचारी हों, सभी कानून और न्याय के अन्दर रह कर अपना-अपना काम करें। ऐसी परिस्थिति कायम की जाये कि सब कोई यह समझें कि जिस काम में हम पड़े हुये हैं, उस में हम किसी आफिसर के नौकर नहीं हैं, बल्कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के नौकर हैं। अगर इस तरह की भावना लोगों के दिमाग़ में पैदा हो तो उनके दिमाग़ में एक निश्चितता की भावना पैदा होगी और काम अच्छी तरह से चल सकेगा।

डुमरांव में जो एक्सिडेंट हुआ था, उस की जांच हो रही है। लेकिन एक बात साफ़ है और वह यह है कि वहां पर सिर्फ दो ही लाइनें हैं, एक अप लाइन और दूसरी डाउन लाइन अप लाइन की गाड़ी का डाउन मेन लाइन पर पड़े रहना और स्टेशन पर सारे कर्मचारियों का यह तमाशा देखते रहना यह बताता है यह घटना शायद जान-बूझकर हुई है। यह घटना क्यों की गई ? उस का क्या कारण हो सकता है ? शायद किन्हीं सैबोर्टज की वजह से ऐसा हुआ हो, जो कि शायद रेलवे कर्मचारियों से मिले हुये हैं और जो देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं या रेलवे मंत्रालय में जो नयी चेंज हुई है, मिनिस्ट्री वगैरह की जो चेंज हुई है, वह इसका कारण हो सकती है। जो भी कारण हो—वह क्या है, यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वह तो जांच की बात है—लेकिन मैं समझता हूं कि जिस ढंग की घटना हुई है, उससे मालूम पड़ता है कि जान-बूझ कर वहां पर घटना करवाई गई। इसलिये इस तरफ भी मैं रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो जांच हो रही है, वह जांच इस दृष्टिकोण से भी हो।

जहां तक रेलवे के अनमैन्ड गैट्स का सम्बन्ध है, उन के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी संख्या इतने हज़ार है और उन के बारे में कोई व्यवस्था करने से एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ख़र्चा पड़ेगा। लेकिन अगर रेल-दुर्घटनाओं को रोकना है और लोगों की जानों की रक्षा करनी है, तो उन सब जगहों का इन्तजाम होना चाहिये, चाहे उस पर कितना ही ख़र्चा पड़े। ख़र्चे की परवाह न करते हुये उस का कुछ न कुछ इन्तज़ाम होना चाहिये। अगर वहां पर आदमी रखे जा सकते हैं, तो अच्छी बात है, नहीं तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी स्कीम तैयार करे कि नीचे हो कर रास्ता हो, जिससे दुर्घटनाओं की सम्भावना न रहे।

आज देश का एडमिनिस्ट्रेशन जिस ढंग से चल रहा है और उस में जो दोष आ गए, हैं, रेलवे का महकमा भी उन से बरी नहीं है। हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी लापरवाह हो गये हैं—लापरवाह इस मायने में कि कानून की अवहेलना होती है और कानून की अवहेलना छोटे लोग तो करते ही हैं, लेकिन बड़े लोगों में भी अवहेलना की भावना बहुत बढ़ गई है और वही बीमारी समूचे एडमिनिस्ट्रेशन को आक्रान्त कर गई है। रेलवे विभाग के प्रशासन में भी वही दोष पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि रेल-दुर्घटनाओं में जानें जाती हैं, इसलिये रेलवे विभाग के दोष साफ तौर पर सब के सामने आ जाते हैं, वर्ना यह अवस्था सारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन की है।

इसलिये अगर रेलवे के काम में सुधार करना है तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने की जरूरत है और उसके लिये यह आवश्यक है कि हायर-अप्स भी, ऊंची जगहों पर काम करने वाले भी कानून के मुताविक काम करें। इस लिये कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि अगर बड़े ओहदे पर काम करने वाले किसी मायने में कानून का उल्लंघन करते हैं, तो वे सज़ा के भागी हों।

जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, उस का काम बहुत टेक्निकल है और उसके नियम बने हुये हैं। अगर उन नियमों का अक्षरशः पालन किया जाये, तो मैं नहीं समझता कि कोई दुर्घटना हो सकती है। इस ढंग से रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा जाये और उस के सब साइड्ज़ की, ख़ास कर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की एक सर्वांगीण जांच हो, जिस की रिपोर्ट आनी चाहिये। जैसा कि एक आनरेबल मेम्बर ने सजेस्सन दिया है, रेलवेज़ में होने वाली दुर्घटनाओं की जांच करने के लिये एक रिसर्च ब्यूरो होना चाहिये। मैं उस सजेस्सन की ताईद करता हूं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार कार्यवाही करने से रेल-दुर्घटनायें रुक सकती हैं।

श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : हमें रेलवे की खामियों और त्रुटियों को उसके उत्तरदायित्व की विशालता की पृष्ठभूमि में देखना चाहिये। यह हमें याद रखना चाहिये।

जैसा कि माननीय मंत्री ने बतलाया है रोज़ाना ७,५०० ट्रेनें चलती हैं। इससे रेलवे के उत्तरदायित्व का पता चलाया जा सकता है। रेलवे की मांग उसके संभरण से कहीं अधिक है।

हम से हमेशा यही कह दिया जाता है कि संसाधनों की कमी है। माननीय मंत्री को योजना आयोग को बताना चाहिये कि भारतीय रेलवेज़ का निरन्तर प्रसार हो रहा है, इसलिये उसके लिये अधिक राशियां आवंटित की जानी चाहियें।

माननीय मंत्री ने अन्य देशों से तुलना करते हुये बतलाया है कि हमारे यहां दुर्घटनाओं की संख्या अधिक नहीं है। इससे हममें आत्मतुष्टि की भावना नहीं आनी चाहिये।

कभी-कभी दुर्घटनायें इसलिय भी होती हैं कि ट्रेनें निर्धारित गति-सीमा से अधिक तेज चलती हैं। सामान्यतः सभी ट्रनों पर नजर रखी जानी चाहिये कि वे निर्धारित गति-सीमा से आगे न बढ़ें। दुर्घटना हो चुकने पर ही ड्राइवरों को दण्डित करने से काम नहीं चलेगा।

[श्रीमती रेणुका राय]

सबसे अधिक आवश्यक तो यह है कि नित्य-प्रति के काम में अनुशासन बनाये रखा जाये। आवश्यकता इस बात की है कि सभी कर्मचारी अपना-अपना दायित्व महसूस करें। कर्मचारियों के बीच अनुशासन की कमी है, यह बात तो स्पष्ट है।

असल कारण यह है कि पर्यवेक्षण करने वाले कर्मचारी ढ़िलाई करते हैं।

रेलवे मंत्री को सुरक्षा के लिये आवश्यक आय करने के लिये पर्याप्त निधियां दी जानी चाहियें।

सभी लेबिलक्रासिंगों पर चौकीदार तैनात किये जाने चाहियें। इसमें यदि राज्य सरकारें सहायता करने को सहमत हो जायें, तो बड़ा अच्छा हो।

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव सजैशंज़ आपके सामने रखना चाहता हूं। यह जो "विरोधी" लफ्ज़ है यह वैस्ट का दिया हुआ है। हम लोग अपोजीशन को नहीं मानते हैं। हम आपके हितैषी हैं, आपके शुभ-चिन्तक हैं। यह शब्द "अपोज़ीशन" जो है, इंग्लैंड का है और इसको हम नहीं मानते हैं। आपको मैं साफ साफ बातें कहूंगा। शेख सादी ने लिखा है :—

दोस्त आं वाशद कि मुआयबे दोस्त
हम चो आईना खू बरू गोयद।

सच्चा मित्र वह होता है जो शीशे की तरह से अपने दोस्त के ऐबों को निकाल करके सामने रख दे।

अध्यक्ष महोदय, जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ी है, जिस तेज़ी से हमारा वर्क बढ़ा है, जिस तेज़ी से हमारी जरूरियात बढ़ी हैं, रेलवे डिपार्टमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन उनको मीट करने के मामले में फेल हो गया है और उसके मुताबिक उसका इंतज़ाम आगे नहीं बढ़ सका है।

हमने दूसरे प्लान में १६ करोड़ टन माल ढोने का टारगेट अपने सामने रखा था। लेकिन थर्ड प्लैन में हमारा टार्गेट २५ करोड़ टन हो गया। इस तेजी के साथ हमारा इन्तजाम नहीं बढ़ सका है। जो रेलें घिस गई थीं जो पटरियां बेकार हो गई थीं उनको रिप्लेस करने के लिये न भिलाई ने हमारी जरूरत का सामान दिया, न दुर्गापुर ने हमारी जरूरत का सामान दिया और न ही रूरकेला ने हमारी जरूरत का सामान दिया। नामुमकिन था कि अंग्रेज़ों के जमाने में जो पटरियां सादी गाड़ियां ढोने के लिये बनी हुई थीं वह स्मूथली रन कर सकतीं, नामुमकिन था कि न्यू डिजाइन की गाड़ियां, हमारी इन्वेंट की हुई, उन्हीं लाइनों पर चल सकतीं। जरूरत इस बात की थी कि उन लाइनों को हम रिप्लेस करते लेकिन आज हमारे पास उस के लिये फौलाद नहीं है। जब हम कहते हैं कि बाहर से मंगाइये, क्योंकि आखिर आप सड़ा गला आटा भी मंगाते हैं, गेहूं भी मंगाते हैं, तब कहा जाता है कि हमारे पास फारेन एक्सचेंज की कमी है, विदेशी मुद्रा की कमी है।

आज जरूरत इस बात की है कि ४५ लाख मुसाफिर जो रोजाना सफर करते हैं, या तो उनके लिये रेलवे का इन्तजाम बढ़ाया जाये या फिर कानन बना दिया जाय कि २० लाख से ज्यादा टिकट रोजाना इश्यू नहीं किये जायेंगे। आप, लोगों को मकतल खाने में भेजते हैं, टिकट आप इश्यू करते हैं और उन की जिन्दगी का जिम्मेदार कोई और है? अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो वह इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था।

आप मेरा हल मान नहीं सकते हैं और मैं उधर जाना भी नहीं चाहता लेकिन यहां की बढ़ती हुई आबादी का एक ही इलाज है। और वह है धर्म युद्ध। आबादी का इलाज जिहाद है। इस का एक सी इलाज है कि चीनी दरिन्दों के साथ लड़ने के लिये हमारे लोग आगे बढ़ें और करोड़ों की तादाद में अपना बलिदान करके हिन्दुस्तान की आबादी को कम करें। मुल्क की हिफाजत होगी लेकिन यह बात आप के गले नहीं उतर सकती।

मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप इसके लिये कानून बना दीजिये कि जब तक रेलवे की एफिशिएन्सी नहीं बढ़ती है और हमारे पास अच्छे सामान नहीं आ सकते तब तक ४५ लाख के बजाय सिर्फ २० लाख टिकट रोजाना इश्यू किये जायें।

श्री काशीराम गुप्त : आप और ब्लैक मार्केटिंग करवायेंगे।

श्री यशपाल सिंह : मैंने देखा था कि जब एफिशिएन्ट आफिसर थे तो हर एक रेलवे लाइन के पास सुपरसानिक क्रैक डिटैक्टर लगा कर देखते थे। वह हर एक लाइन को टैस्ट करता था। जिस तरह से आइना में आदमी की सूरत दिखलाई देती है, जिस तरह से अपोजीशन में सरकार की सूरत झलकती है, उसी तरह से सुपरसाकि क्रैक डिट्रैक्टर में हर एक फौलाद की खामी या कमजोरी नजर आती थी। अगर बीच में कोई कमी है तो वह हर तरह से नजर आ जाती थी ? लेकिन आज हम देखते हैं कि सुपरसानिक क्रैक डिटेक्टर का उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है जितना आज से दस साल पहले होता था। आज जरूरत इस बात की है कि जो एंजिन खराब हो गाये हैं उन को रिप्लेस किया जाये, जरूरत इस बात की है कि जो हमारी लाइनें खराब हो गई हैं, घिस गई हैं, उनको हम रिप्लेस करें।

आज तक जो फोर्थ क्लास के लोग हैं रेलवे में उनकी ट्रेनिंग के लिये कोई सेन्टर नहीं है। जिसके हाथ में लोगों की जिन्दगी है उसकी ट्रेनिंग का कोई सेन्टर नहीं है। मुझे सुन कर ताज्जुब हुआ जब हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो हमारी अनमैन्ड चौकियां हैं उन पर लिख कर लगा दिया जाये। मैं पूछता हूं कि आज हमरे देश में पढ़े लिखे लोग कितने हैं ? ५ प्रतिशत। वह ५ प्रतिशत पढ़े लिखे लोग तो देख लेते हैं कि गाड़ी इधर से आ रही है या उधर से आ रही है। उन्हें आप के इंस्ट्रक्शन्स की कोई जरूरत नहीं है। और जो अनपढ़ हैं वे पढ़ेंगे नहीं। वे न हिन्दी जानते हैं, न उर्दू जानते हैं और न अंग्रेजी जानते हैं। ९५ प्रतिशत आबादी हमारे यहां की अनपढ़ है। अगर उसके सामने लिख कर लगा भी दिया जाय तो बेकार होगा। पढ़ा लिखा आदमी अपने चारों तरफ देखकर आगे बढ़ेगा। बहरहाल मैं कह रहा था कि फोर्थ क्लास के जो आदमी हैं उनकी ट्रेनिंग के लिये सेन्टर होना चाहिये। हम जो प्वाइंट्समैन रखते हैं, केबिनमैन रखते हैं, उनके रिक्रूट या एनलिस्ट करने के लिये न कोई बोर्ड होता है और न कोई ट्रेनिंग सेन्टर है। होता इस तरह से है कि जो भी स्टेशन मास्टर के लिये दूध की बाल्टी भर कर ले आया, उसी को प्वाइंट्समैन बना दिया गया। नतीजा यह होता है कि स्टेशन मास्टर की दूध की बाल्टी के एवज में जिस प्वाइंट्समैन को लगाया गया है उसे तमीज नहीं है कि कांटा इधर लगाया जाये या कांटा उधर लगाया जाये। इसलिये आज जिस के हाथ में जिन्दगी है उसकी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिये। जो प्वाइंट्समैन आप लगाते हैं, जो केबिनमैन आप लगाते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम कीजिये। आज फोर्थ क्लास के साथी मेरे साथ रह रहे हैं, मैं जानता हूं कि उनको कुल ८० रु० माहवार मिलते हैं। जिसमें से वह ३० रु० माहवार बस के लिये दे देता है और २० रुपया माहवार वह कुटिया ले जाती है जिस में वह शख्स मुश्किल से अपने पैर फैला सकते हैं। आगे वह अपने बच्चों का क्या करेगा ? सरकार ने आज तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि उसको मकान मुहैया करे। कहती है कि हमारे दस लाख कर्मचारी बगैर क्वार्टर के रहते हैं। एक गांव का किसान, एक मजदूर इस बात को जानता है कि

[श्री यशपाल सिंह]

उस का बेटा पढ़ कर, बी० ए० पास कर के आयेगा तो उसकी शादी होगी और उसके लिये दो कोठरियां वह बना लेता है। लेकिन यह सरकार इतनी इनशफिशिएन्ट है कि इतना स्टाफ तो रखती है। लेकिन उन को मकान सप्लाई नहीं कर सकती । मेरी दख्वास्त है कि इस क्लास ४ के लिये सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी तन्ख्वाह बढ़ाई जाय। जिस समय उनको एनलिस्ट किया जाता है, उन को सर्विस दी जाती है , बाकायदा बोर्ड बैठे और उनको ट्रेनिंग दी जाये ताकि कोई भी कैबिनमैन गलती न कर सके। मैंने खुद देखा है कि एक ट्रेन आ रही थी और केबिनमैन हुक्का पीने गया था। अनर्थ हो जाता अगर मैं स्टेशन मास्टर को फोन न करता और केबिन मैन को वापिस नहीं बुलाता। वह हुक्का पी रहा था। बैठा हुआ। आप इसका खुद खयाल कीजिये कि हुक्के से कितने लोगों को कैन्सर हो गया , कितनी बीमारी पैदा हुई। तम्बाकू के इस्तेमाल के खिलाफ कोई कड़ा कानून होना चाहिये । जो आदमी शराब पीकर ड्यूटी देता है उसके दिल व दिमाग सही नहीं हो सकते। इसलिये इस तरह का कानून होना चाहिये कि जो आदमी शराब पीता हुआ देखा जाता है उस को सर्विस से एक दम कान पकड़ कर अलग कर दिया जायेगा। देश के साथ खिलवाड़ किया जाता है जब कहा जाता है कि अनमैन्ड चौकियां हैं। क्या १९ हजार आदमियों को हमारी सरकार सर्विस नहीं दे सकती ? कभी कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, कभी कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी राशि नहीं आई है। यह जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है हमारे, गरीब आदमी के साथ । मैंने नहीं देखा कि कोई मिनिस्टर सफर कर रहा हो और उसकी गाड़ी का ऐक्सिडेंट हो जाय, मैंने नहीं देखा कि रेलवे बोर्ड का चेअरमैन सफर कर रहा हो और उसकी गाड़ी का ऐक्सिडेंट हो जाये, मैंने नहीं देखा कि कोई जनरल मैनेजर सफर कर रहा हो और उसकी गाड़ी का ऐक्सिडेंट हो जाये ।

श्री शाहनवाज खां : मेरी गाड़ी में आग लग गई थी ।

श्री यशपाल सिंह : गरीब आदमी की जिन्दगी बेकार समझी जाती है, मजदूर की जिन्दगी बेकार समझी जाती है, किसान की जिन्दगी बेकार समझी जाती है। चाहे यू० पी० में ऐक्सिडेंट हो चाहे डुमरांव में हो, या चाहे बंगाल में एक्सिडेंट हो, उसमें कौन मरता है ? गरीब आदमी ।

यहां बिजली गिरे या उस चमन में आंधियां आवें ,
बहर सूरत गरीबों का ही घर बरबाद होता है

यहां अक्सर अमरीका की मिसाल दी जाती है। उस मुल्क में अगर कोई ऐक्सिडेंट में मर जाये तो उसकी फैमिली को भत्ता दिया जाता है, पैन्शन दी जाती है, उसके बच्चों को नौकरियों और एजुकेशन का इन्तजाम किया जाता है, लेकिन हमारे यहां यह सब कुछ नहीं हो रहा है ।

श्री शाहनवाज खां : यहां भी होता है, जरूर होता है ।

श्री यशपाल सिंह : इसलिये जरूरत इस बात की है कि सख्त कदम उठाये जायें और सख्त कदम उठा कर हम यह बतला दें अपने आफिसर्स को कि जिनके नीचे ऐक्सिडेंट्स होंगे वह कभी माफ नहीं किये जायेंगे । सावधानी से हर एक चीज रोकी जा सकती है ।

मुझे एक मिनट में यह जरूर कहना है कि हमारे रेलवे मंत्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं। हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हमने देश के अन्दर वह वायुमंडल पैदा नहीं किया जिससे फर्जशनासी हो सके। देश दो बातों से आगे बढ़ता है, या तो खौफे-खुदा हो या हुब्बे-वतन पैदा हो। या तो भगवान का डर हो या देश के प्रति प्रेम हो। जहां यह दो चीजें पैदा नहीं होंतीं वहां पर एक मिनिस्टर

को, जनरल मैनेजर को, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को क्लेम करना नामुमकिन बात होगी। बल्कि मैं तो इस मामले में मश्कूर हूं कि पाप हम सब का है और जिम्मेदारी माननीय स्वर्ण सिंह जी ने अपने ऊपर ले ली है। पाप सबने किया था लेकिन कुफ्फारा किया था अकेले हजरत ईशु मसीह ने। इस लिये रेलवे मंत्री जी हमारे लिये मसीहा की शक्ल में हैं। हमारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। साथ ही साथ रेलवे की भी दिक्कतें हैं, जिनको मैं समझता हूं । हमारे सरदार करनैल सिंह तीन दफे एक्स्टेंशन लेने के बाद रिटायर हो रहे हैं। हमारे नये चेयरमैन आये हैं श्री बैजल। मैं उनकी शख्सियत , . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** आर्डर, आर्डर ।

श्री यशपाल सिंह : उनकी काबिलियत से वाकिफ हूं। मुझे उम्मीद है कि वह रेलवे को ठीक से चलवा सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : क्या गाड़ी इस तरह से चलनी चाहिये कि कोई **आर्डर आर्डर** कहता रहे उसकी परवाह न की जाये ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मिनिस्टर साहब अपना वक्तव्य आरम्भ करें, मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं कि जब इस सदन में कोई इस प्रकार की चर्चायें होती हैं और कोई सदस्य उस में भाग लेना चाहे, तो क्या उसके लिये यह अपेक्षित है कि वह बीच में खड़े हो कर कुछ इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करे, जिससे आप का ध्यान उस सदस्य की ओर आकर्षित हो अथवा कुछ और व्यवस्था है उसको चर्चाओं में भाग लेने देने के लिये ? इस विषय में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप इस पर व्यवस्था चाहते है तो मैं आप से कहता कि बगैर इत्तला वाक्यात के आपने खड़े हो कर दखल दे दिया । आप का मतलब यह है कि चूंकि श्री यशपाल सिंह ने दखल दे दिया, इस वास्ते उनको मौका मिल गया और आप को नहीं मिला । जो अपोजीशन की पार्टीज़ हैं उनके लिये वक्त मुकर्रर है। कम्यूनिस्टों ने भी लिखा था। लेकिन चूंकि वे २१ मिनट ले चुके थे इसलिये मैंने उन को समय नहीं दिया । जो स्वतंत्र पार्टी का सदस्य खड़ा हुआ था उस ने सिर्फ चार मिनट लिये, इसलिये उन का समय बाकी था। मैंने दस मिनट श्री यशपाल सिंह को दिये। इस तरह से चौदह मिनट हुए। उन का हक अभी पूरा नहीं हुआ था इसलिये वे अभी एक आध मिनट और ले सकते थे ।

मैंने जो पांच घंटे मुकर्रर किये थे वह बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने किये थे और हाउस ने उस को तस्दीक की थी। इन पांच घंटों में मैंने ज्यादा से ज्यादा जितने सदस्यों को बुला सकता था, बुलाया । अगर माननीय सदस्य को नहीं बुलाया जा सका तो उसका मतलब यह नहीं है कि जो ज्यादा वक्त है वह मैं ले रहा हूं। वह तो मेम्बरों में तकसीम किया गया है। डा० अणे ने लिखा था, मैंने उन को कह दिया कि मैं वक्त नहीं दे सकता। मैं और ज्यादा वक्त कैसे बढ़ा सकता हूं । स्पीकर को डिस्क्रीशन है कि किसी एक बहस में कितने बुलाये जा सकते है और कौन कौन बुलाये जा सकते है। अब मुझे अपोजीशन के जो मेम्बर ग्रुप हैं उनको एकोमोडेट करना ज्यादा जरूरी है। मैं एक एक अनअटैच्ड मेम्बर को वक्त नहीं दे सकता। माननीय सदस्य यह भी खयाल रखें कि वह अकेले एक है, और हर एक बहस में उनको हिस्सा नहीं दिया जा सकता । इसलिये उनको बाज वक्त मायूसी भी होगी तो उनको उसे सब्र से बरदाश्त करना होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स्वर्ण सिंह** : रेलवे दुर्घटनाओं के प्रश्न में काफी अधिक माननीय सदस्यों ने दिलचस्पी दिखाई है । १८ माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न पर विचार किया है । अधिकांश माननीय सदस्यों ने कुछ ठोस सुझाव रखे है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

दुर्घटनाओं के समय रेलवे की कमजोरियों की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक था । लेकिन उनके सम्बन्ध में दिये गये ऐसे सुझावों का लेखा-जोखा करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि उनका दुर्घटनाओं से क्या और कहां तक सम्बन्ध है ।

वाद-विवाद में सबसे अधिक जोर इसी बात पर दिया गया है कि प्रशासन को और अधिक कार्यक्षम बनाना चाहिये । लेकिन उस के लिये कुछ ठोस सुझाव दिये जाने चाहिय ।

इतने पेचीदा से संगठन का संचालन एक कार्यक्षम प्रशासन ही कर सकता है । महत्वपूर्ण यह है कि इसे किया कैसे जाये ।

मुझे माननीय सदस्यों के भाषणों में केवल दो-तीन सुझाव ही ठोस मालूम पड़े । प्रशासकीय व्यवस्था के बारे में यह तो कहा गया है कि उस पर काम का अत्यधिक भार है । माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है कि ज़ोनीय स्तर, डिवीजनल स्तर और स्टेशनों के स्तर पर रेलवे प्रशासन पर कार्य-भार अधिक है । इसलिये हमें उनसे पूछना चाहिये कि किसी परिवर्तन की अपेक्षा है या नहीं । परिवर्तन का यही वैज्ञानिक आधार हो सकता है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की बात कही है । मुझे तो यह सुन कर आश्चर्य हुआ । सभी जानते हैं कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने से प्रशासकीय कार्य-क्षमता नहीं बढ़ती, किसी स्तर पर नहीं बढ़ती । कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये आवश्यक होता है कार्य का नये सिरे से संगठन करना । इसलिये यह सुझाव व्यावहारिक नहीं है ।

वाणिज्यिक अथवा जनोपयोगी संगठन, जैसे रेलवे आदि में प्रशासन को व्यापक विचारधारा अपनाना चाहिये, उनका दृष्टिकोण उदार होना चाहिये तथा व्यवस्था को संतोषजनक और उसमें कुशलता की वृद्धि करने के लिये सत्ता के विकेन्द्रीकरण एवं किसी भी नवीन प्रक्रिया अथवा पुनर्गठन से लाभ उठाये । मैं सभा को यह आश्वासन दे दूं कि यह अनवरत प्रक्रिया है और इस बात पर निरंतर ध्यान दिया जाता है कि प्रक्रिया को पुनर्व्यवस्थित रूप दे कर प्रशासन को सशक्त बनाया जाये । मेरा विचार है कि रेलवे प्रशासन ने जो काम किया है वह प्रशंसनीय है ।

मुझे राज्य और केन्द्रीय सरकार के प्रशासन का अनुभव है और इस अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि विभिन्न स्थितियों पर प्रतिनिधान का आकार पर्याप्त है । जनरल मैनेजर को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं और वह इस उत्तरदायित्व का पूर्णरूपेण वहन कर रहे हैं । मैं यह कह सकता हूं कि डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट भी 'छोटा मैनेजर' की भांति है । रेलों में विभागीय प्रणाली लागू करने का यही उद्देश्य है । स्वतंत्रता के पहले यह व्यवस्था नहीं थी । एक जनरल मैनेजर के लिये काम अधिक था अतः रेलवे को विभिन्न विभागों में विभक्त करने की प्रणाली जारी की । ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि विभागीय प्रणाली कुछ रेलों में पहले प्रचलित थी । रेलवे में अब यह प्रणाली इसलिये प्रारम्भ की गई है कि प्रशासनिक और टेक्नीकल अनुभव से समृद्ध अधिकारियों को स्थानीय रूप से अधिकार सौंपे जायें और रोजमर्रा की समस्याओं का ढूंढने में वे सफल हों तथा भौगोलिक एकक के रूप में वे इन पर ार कर सकें । यह प्रणाली अन्य रेलों में भी शनैः शनैः लागू की जा रह है और ही अन्य रेलों में इस का विस्तार कर दिया जायेगा । यह बात केवल पूर्वोत्तर रेलवे और उ त्तर-

पूर्व सीमान्त रेलवे पर लागू नहीं होती । किन्तु उसमें भी एक ज़ोन का निर्माण कर स्वायत्त प्रशासन पैदा किया गया है । यह उक्त डिवीजन में सुधार किया गया है । मूल बात यह है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाये और एक पर्याप्त उच्च शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति को उत्तरदायित्व सुपुर्द किया जाये ताकि वह अविच्छिन्न रूप में कार्य की देखभाल कर सके । प्रशासनिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई विशेष बात नहीं कही गई है ताकि उस पर ठोस कार्यवाही की जा सके । इस विषय का उल्लेख भी किया गया है कि प्रत्येक ज़ोन के अन्दर काम के भार का निरन्तर अध्ययन किया जाये अर्थात क्या वहां कार्य इतना अधिक बढ़ गया है कि वर्तमान व्यवस्था उसकी देखभाल नहीं कर सकती । इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि हमारा विचार जड़वत नहीं है । तत्कालीन स्थिति ; काम की मात्रा और यातायात के परिमाण को देखते हुए ही ज़ोन बनाये गये थे । इस दृष्टि से ज़ोन बनाये गये थे कि यह व्यावहारिक सिद्ध हुई । चूंकि काम बढ़ रहा है और यातायात भी बढ़ गया है—अनेक ज़ोन ऐसे हैं जिन पर काफी भार हो गया है—हम उन का पुनर्गठन करने में नहीं हिचकेंगे । यदि रेलवे प्रशासन यह अनुभव करता है कि वर्तमान ज़ोनों का सामूहीकरण नये सिरे से किया जाये और ऐसा करने से कुशलता में वृद्धि हो तो हम निश्चय ही ऐसा करेंगे ।

इन सब बातों पर मैं निरन्तर ध्यान दे रहा हूं और माननीय सदस्यों को इस संबंध में कोई भ्रम नहीं करना चाहिये । हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि किसी भी ज़ोन का या किसी भी विशेष क्षेत्र का पुनर्वर्गीकरण अथवा उनकी विभक्ति या उनमें वृद्धि की आवश्यकता हुई तो हम तदनुसार कार्यवाह करेंगे । अलग-अलग कर्मचारियों पर विभिन्न स्तरों पर काम के भार के प्रश्न की मैं चर्चा कर रहा हूं । रेलवे प्रशासन के लिये यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के लिये भी यह समान रूप से महत्वपूर्ण है । इस विषय पर चर्चायें हुई हैं, परामर्श और वार्ता की गई है और मध्यस्थ निर्णय भी किया गया है । समय-समय पर इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है कि विभिन्न श्रमिकों द्वारा यथार्थ काम की कितनी युक्ति संगत अवधि होनी चाहिये । इस सम्बन्ध में न्यायनिर्णयन भी हुआ है । हम इस बात का अनुरोध कर रहे हैं कि जब किसी कर्मचारी को किसी काम के संचालन का उत्तरदायित्व सौंपा जायें तब यह बात सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि इस कार्य से उसे थकावट तो अनुभव नहीं होगी । यह इसलिये आवश्यक है कि उसके काम के स्तर में गिरावट न आ जाये । काम पर आने के पहले यह आवश्यक है कि उसे पूरा विश्राम मिले । और निर्धारित अवधि पूरी होते ही वह काम छोड़ कर चला जायें । हाल ही में इस विषय के महत्व को दुहराते हुए आदेश जारी किये गये हैं कि ड्राइवर आदि को कर्मचारी संचालन सम्बन्धी भाग से सम्बद्ध है उनको लम्बे घंटे की ड्यूटी न दी जाये ।

अतिरिक्त भार से वह थकान अनुभव करने लगेंगे जबकि विश्राम उनके लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

ड्राइवर की अनेक स्थानों पर बदली की जाती है और हम इस प्रकार के आदेश जारी कर रहे हैं कि जो स्थान उनकी बदली के लिये निर्धारित नहीं हैं वहां बीच के स्थानों पर भी ड्राइवर बदले जा सकते हैं । यह सच है कि यदि कोई आदमी अधिक देर तक काम करेगा तो उसे अधिक पारिश्रमिक मिलना चाहिये, किन्तु हमें इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि गाड़ी को देर से लाने पर वह अधिक पारिश्रमिक प्राप्त न कर सके । इस समस्या का हल दो प्रकार से किया जा सकता है । पहला, अपना काम पूरा करते ही कर्मचारी को मुक्त कर दिया जाये अथवा बदल दिया जाये और जो कुछ भी भत्ता अथवा अतिरिक्त रकम का भुगतान उसे दिया जाना है वह फासले से सम्बन्धित कर दी जाय और काम के घंटों से उसका सम्बन्ध न जोड़ा जाये । इस प्रकार उन्हें गाड़ियों को जल्दी और नियमित रूप से चलाने में प्रेरणा मिलेगी ।

]श्री स्वर्ण सिंह]

ये बातें विस्तृत ब्यौरे से सम्बन्धित हैं । माननीय सदस्यों के भाषणों की पृष्ठभूमि में निहित इस भावना से मैं अवगत हूं कि उन लोगों पर कार्यभार अधिक नहीं होना चाहिये । इसलिये मैं उन कर्मचारियों के बारे में निवेदन कर रहा हूं जिन पर कार्य संचालन का उत्तरदायित्व है जैसे ड्राइवर आदि । इस प्रकार प्रक्रिया होनी चाहिये कि गाड़ियों में देर होने की संभावना न रहने पाये । वे नियमित रूप में काम करें ; वे थकावट अनुभव न करें । इस दृष्टि से हम वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे और आवश्यकता होने पर उन्हें इस तरह बनायेंगे कि अनियमितता अथवा विलम्बकारी कार्य न होने पाये ।

इस बाद-विवाद के दौरान और पिछली बार भी इस विषय पर चर्चा की गई थी । वैसे यह विषय महत्वपूर्ण प्रतीत होता है किन्तु किसी माननीय सदस्य ने यह विश्लेषण करने का प्रयत्न नहीं किया है कि ये दुर्घटनाएं किन कारणों से हुई हैं । अतः मेरा अभिप्राय इन दुर्घटनाओं का विश्लेषण इस दृष्टि से करना है कि इस अवधि में इन दुर्घटनाओं का कारण थकान आदि तो नहीं है । मैं इस पक्ष में हूं कि काम की अच्छी स्थितियां पैदा की जायें । यह पृथक् रूप में भी महत्वपूर्ण प्रश्न है । किन्तु दुर्घटनाओं का जो सम्बन्ध इस समय स्थापित किया जा रहा है वह दुर्घटनाओं की परिस्थितियों का सूक्ष्म विश्लेषण न हो कर केवल भावना पर अवस्थित है । मेरा इरादा एक विशिष्ट प्रश्नावली जारी करना है ताकि हमारे समक्ष विश्लेषणात्मक स्थिति प्रस्तुत की जा सके । उससे माननीय सदस्यों को यह जानने में सहायता मिलेगी कि इन दुर्घटनाओं का कारण कौनसा तथ्य है । सामान्य विचारधारा अन्य दृष्टियों से महत्वपूर्ण हो सकता है किन्तु दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है । यह सुझाव केवल वाद-विवाद के लिये तथ्य मात्र नहीं है ।

लेवल क्रासिंग की बात लीजिये । मैं यह नहीं समझता कि अधिक कार्य भार वाला ड्राइवर अथवा अन्य यह कैसे कर सकता है । गेटमैन और प्वाइंट्समैन निर्धारित घंटों के आधार पर काम करते हैं । घंटा बीतने पर ड्यूटी पूरी होते ही दूसरा व्यक्ति आ जाता है । ड्यूटी निर्धारित समय पर पूरी होने पर प्वाइंट्समैन से गलती किस प्रकार हो सकती है । कार्य-संचालन सम्बन्धी कर्मचारियों का दुर्घटनाओं से क्या सम्बन्ध हो सकता है ? रेलवे दुर्घटनाएं तो पटरी से उतरना या गाड़ियों में परस्पर टक्कर या लेवल क्रासिंग अथवा ऐसे ही किन्ही स्थानों पर टकराना है । कार्य संचालन कर्मचारी विलम्ब कर सकते हैं---कभी अधिक और कभी कम; यह अनेक तथ्यों पर निर्भर है जो कभी कभी उनके नियंत्रण के बाहर है । किन्तु निर्धारित घंटों के आधार पर काम करने वाले अनेक कर्मचारी हैं । अतः उनकी थकावट अथवा अधिक कार्य-भार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । जहां खतरे का अस्तित्व नहीं है वहां उसकी कल्पना करने से क्या लाभ है ?

रेलमार्गों और इंजनों आदि के निर्वहन के प्रश्न की चर्चा की गई है । मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य अभी भी पुराने शासन की बात सोचते हैं । उनका अनुमान है कि स्वतंत्रता के पश्चात् रेलवे व्यवस्था अत्यन्त उत्कृष्ट थी और अब उसमें भारी गिरावट आ गई है । इस प्रकार की धारणा सर्वथा निराधार है । स्वतंत्रता के समय विभाजन के कारण रेलवे व्यवस्था अत्यन्त गई बीती हो गई थी । देश के एक भाग---असम, में तो रेल सम्पर्क ही नहीं रह गया था । कलकत्ता, सिलीगुरी से हमें पाकिस्तान होकर जाना पड़ता था । उस अवधि में रेलों की अवनति नहीं हो सकी । द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अनेक स्थानों में रेल की पटरियां उखाड़ कर अन्यत्र बिछा दी गईं । कुछ ऐसे स्थान थे जहां स्लीपर अथवा रेल लाइनों का नवीकरण नहीं किया जा सका । इस प्रकार पूर्ण-स्वातन्त्र्य युग की इस पृष्ठ-भूमि को लेकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नये मार्गों के निर्माण और उनके तथा इंजनों के निर्वहन में रेलों ने आश्चर्यजनक प्रगति की है । किन्तु विकासोन्मुख यातायात की दृष्टि से रेलों का प्रसार नगण्य है । कटु होते हुए भी यह सत्य है कि रेलों का आयोजन,

विस्तार और क्षमता हमारी समूची योजना से सम्बद्ध है। एकाध स्थान पर रेल मार्ग बनाने का प्रश्न नहीं है ; यह वृहद् योजना का प्रश्न है।

यदि पिछड़े क्षेत्रों में रेलमार्ग बनाये जा सकें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। किन्तु यह तैयारी का समय है ; यह कठिनाई का समय है। हमने प्राथमिकताएं निर्धारित कर रखी हैं और उन्हीं के अनुसार काम करना है।

किसी रेल लाइनों को हमने पर्याप्त अंश में दूर कर दिया है। प्रायः कहा जाता है कि पुराने इंजनों को हटा कर नये इंजनों का आयात क्यों नहीं किया जाता है। एक माननीय सदस्य ने अत्यन्त ओजमय भाषण में कहा कि नये इंजन क्यों नहीं खरीदे जाते हैं। यदि देश में संसाधन उपलब्ध हों तब यह हो सकता है। यह उल्लेखनीय है कि रेल के डिब्बे और कौच, स्टीम इंजन आजकल देश में ही निर्मित किये जा रहे हैं ; भविष्य में डीजल और बिजली के इंजन बनाने का कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। मीटर गॉज और ब्राड गॉज के स्टीम इंजन विदेशों से नहीं मंगाये जाते हैं। रेल पटरियों के निर्माण का कार्यक्रम भी चल रहा है। यदि निर्माण क्षमता की वृद्धि नहीं की गई तो हमारे देश का, रेलवे का और औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता के समय हम साधारण गेजेट, बाथरूम के फिटिंग की वस्तुएं इत्यादि भी बाहर से मंगाते थे। अतः हम निराशात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिय। आजकल हम द्रुतगति से विकास कर रहे हैं यह हम सब के लिये प्रसन्नता और अभिमान की बात है। इनमें भूल चूक हो सकती है ; उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये किन्तु इस विषय में कोई चिन्ताजनक स्थिति नहीं है।

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा (बिल्हौर) : यह इल्जाम भी आप पर लगाया है कि रेलवेज पुरानी हैं, उनको भी बदलना चाहिये।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : ट्रैक बदलने का एक निश्चित कार्यक्रम है। १९६२–६३ के आय-व्ययक में १८०० मील की पटरियों तथा स्लीपरों को बदलने की व्यवस्था है और इसके लिये ४३ करोड़ रुपयों की व्यवस्था है। यह एक बड़ा काम है और इस पर बड़ी राशि व्यय होगी।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : श्री बनर्जी ने प्रश्न उठाया था कि हमें पक्के कंक्रीट के स्लीपरों से काम लेना चाहिये। रेलवे बोर्ड ने इस सुझाव को नोट कर लिया है और एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये एक विशषाधिकारी नियुक्त किया है, ताकि हम इनका निर्माण शुरू कर सकें। यह स्लीपर अच्छे होते हैं, यद्यपि इतने अच्छे नहीं जितने लकड़ी के स्लीपर। लकड़ी के स्लीपरों के लिए वन चाहिए और वनों के बनने के लिये सौ साल तक लग जाते हैं। इसलिय हमें इस्पात या पक्के कांकीट के स्लीपरों का ही उपयोग करना पड़ेगा।

फाटकों पर चौकीदारों को नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इस समय स्थिति यह है कि १२००० फाटकों पर चौकीदार हैं और १९,००० पर नहीं हैं। उन पर जहां नहीं, चौकीदार रखने की एक क्रमबद्ध योजना है यदि किसी फाटक पर अधिक यातायात हो, तो उसपर चौकीदार रखने के प्रश्न पर विचार किया जाता है। अन्दाजा लगाया गया है कि ११७८ और फाटकों पर चौकीदार नियुक्त होने चाहियें। इस प्रयोजन के लिये वित्तीय पहलू की समस्या के हल के लिए राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है। किन्तु यह देखा जायेगा कि ग्रामों में दूर दूर के स्थानों पर जहां यातायात अधिक नहीं है, हर फाटक पर चौकीदार नियुक्त करना आवश्यक नहीं है। चौकीदार वाले फाटकों पर प्रादेशिक भाषाओं में उचित निशान देने की आवश्यकता को भी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स्वर्ण सिंह]

समझना चाहिय और राज्य सरकारों को इस मामले पर ध्यान देना चाहिये। राष्ट्रीय राजपथों पर आने वाले फाटकों के बारे में परिवहन मंत्रालय से बातचीत की जायेगी।

यह नहीं समझना चाहिये कि एक फाटक पर केवल एक आदमी चाहिये। यदि यातायात काफी है, तो कम से कम तीन व्यक्ति चाहियें। एक फाटक लगाने का व्यय लगभग १० हजार या १२ हजार रुपय है और आवर्तक व्यय प्रति वर्ष लगभग ४००० रुपये है। मैं यह बता कर केवल व्यय का अनुमान दे रहा हूं किन्तु उन स्थानों पर जहां इनकी आवश्यकता है, ये राज्य सरकारों के साथ वित्तीय प्रबन्ध करने के बाद अवश्य बनाये जायेंगे।

जहां तक उन स्थानों पर जहां फाटक नहीं हैं, ऊंचाई या बम्प बनाने का प्रश्न है, हम इन पर भी विचार कर रहे हैं।

†**श्री यशपाल सिंह** : बैलास्ट के बारे में भी कुछ कहा जाना चाहिये।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : हम उस दिशा में भी पग उठा रहे हैं।

मैं यह बताना चाहूंगा कि शाहनवाज समिति और बसु समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

एक माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि कुछ बाढ़ हटा दी गई है। मेरे विचार में इसे रेलवे ने नहीं किसी और ने हटाया होगा।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी** : इसे रेलव ने ही हटाया था, युद्ध के दिनों में।

†**श्री बड़े** : युद्ध के बाद भी।

†**श्री स्वर्ण सिंह** : युद्ध में हमें संकट का सामना था।

यह खेद की बात है कि कुछ स्थानों पर जहां बाड़ लगाई गई थी, तार काट कर हटा दी गई है और स्तम्भ भी गिरा दिये गये हैं। जहां दीवारें बनाई गई थीं, वे भी गिरा दी गई हैं और अनधिकृत रास्ते बना दिये गये हैं। उन क्षेत्रों में जहां आबादी बहुत घनी है, यातायात बहुत है और बिजली भी है, यदि औचित्य हुआ तो बाड़ अवश्य लगाई जायेगी।

माननीय सदस्यों ने ये प्रश्न उठाये थे और मैं उनका उत्तर दुहराना नहीं चाहता। जिन माननीय सदस्यों ने मेरे साथ सहानुभूति प्रकट की है और मैं उनका आभारी हूं। यह ऐसा मामला है जो केवल भावना से नहीं सुलझाया जा सकता। अपना उत्तरदायित्व न निभाना बहुत आसान है। किन्तु अपना काम दृढ़ता से करते रहने और अपने कर्तव्य को निभाते रहने के लिए साहस की आवश्यकता है।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : अपने उत्तरदायित्वों को न उठाना वैसे आसान है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि मुझे त्यागपत्र दे देना चाहिये, यह बहुत आसान है .

उपाध्यक्ष महोदय चर्चा समाप्त हो गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं . . .

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (बिजनौर) : श्रीमान्, आन ए प्वायंट आफ़ आर्डर मैं प्राइवेट मेम्बर्स बिल्स एंड रेज़ोल्यूशन्ज सम्बन्धी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में. . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले प्रस्ताव प्रस्तुत होने दीजिये ।

†**श्री हेम राज** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से जो १६ अगस्त, १९६२ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट मेम्बर्ज़ बिल्ज़ एंड रेज़ोल्यूशन्ज़ सम्बन्धी कमेटी की रिपोर्ट इस सदन के सामने प्रस्तुत की जाती है और उस को अन्तिम स्वीकृति यह सदन देता है । मेरा विधेयक, दि कांस्टीट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६२, इस कमेटी के सामने गया था । इस विधेयक का उद्देश्य केवल मात्र इतना है कि चूंकि राज्यों में पृथकतावादी मनोवृत्ति बढ़ रही है और देश के खंडित होने की भावना को धीरे धीरे प्रोत्साहन मिल रहा है, इस लिए ऐसी व्यवस्था की जाये कि यह देश एक बना रह सके और इस की इकता को किसी भी समय किसी प्रकार का संकट उत्पन्न न हो । लेकिन जब इस कमेटी के सामने यह बिल गया, तो इस ने इस को इन्ट्रोड्यूस करने की अनुमति नहीं दी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की परम्परा यह रही है कि इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर किसी बिल का विरोध नहीं किया जाता है । यह बात और है कि गवर्नमेंट उस बिल को स्वीकार न करे और उस से सहमत न हो । इस समय मैं इस सदन से अनुमति चाहता हूं कि मुझ को यह विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या श्री हेम राज कुछ कहना चाहेंगे ।

†**श्री हेम राज** : श्री प्रकाश वीर शास्त्री अपने विधेयक के द्वारा एकात्मक ढंग को सरकार चाहते हैं । यदि ऐसा विधेयक सदन के सामने रख दिया गया, तो इस का अर्थ सारे संविधान के आधार को बदलना होगा । इस लिए मैं उन के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : समिति ने उन के विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया है । उस का प्रतिवेदन सदन के सामने है । यदि सदन अनुमति देना चाहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इस का निर्णय करना सदन का काम है । आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ।

इसलिए मैं यह संशोधन मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं :

प्रश्न यह है : कि अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायें—

"परन्तु इस संशोधन के साथ कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री को अपना संविधान (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : हम मत विभाजन चाहते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस की आवश्यकता नहीं र । मैं देख रहा हूं कि २१ प्रस्ताव के पक्ष में है और ४१ विपक्ष में ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं मूल प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन से जो १६ अगस्त, १९६२ को सभा में प्रस्तुत किया गया था । सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृप हुआ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

अनुच्छेद १०० और १८९ का संशोधन)

†**श्री म० ला० द्विवेदी** (महीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले बिल को पेश करने की अनुमति दी जाये :

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले बिल को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : मैं बिल को इंट्रोडयूस करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेक

(अनुच्छेद १२४ और २१७ का संशोधन)

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये "

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कृ० चं० शर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक

(धारा ३ और ४ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सदन २२ जून, १९६२ को श्री सिद्धय्या द्वारा प्रस्तावित निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा :

"कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ में संशोधन करने वाले विधेयक को उस पर राय जानने के लिए ३१ दिसम्बर, १९६२ तक परिचालित किया जाये"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल छूतछात को खत्म करने के लिए लाया गया है। इसमें कहा गया है कि जो आज भी हरिजनों पर या कुछ अन्य जातियों पर मंदिरों में जाने पर या किसी दरिया में नहाने पर कैद लगी हुई है उसको दूर किया जाए। मैं समझता हूं कि आज के जमाने में जब कि हम सिक्यूलरिज्म को मानते हैं और चाहते हैं कि जाति पांत न हो तो ऐसे बिल की जरूरत है ।

मैं यह मानता हूं कि सिर्फ किसी बिल के पास करने से छूतछात दूर नहीं हो सकती। मैं ने छोटा नागपुर में खुद देखा है कि जो ट्राइबल लोग हैं उनसे छूतछात बरती जाती है और कोई उनके हाथ का खाना नहीं खाता और ऐसा ही मैं ने उत्तर प्रदेश के गांवों में भी देखा है । यह जरूर कह दिया गया है कि कानून से छूतछात दूर कर दी गयी है लेकिन आज भी वहां हरिजनों के मंदिरों में जाने पर पाबन्दी है। जहां तक मेरा ख्याल है हमारे मुसलमान भाई किसी के मस्जिद में जाने पर रुकावट नहीं लगाते और न गुरुद्वारों में ही कोई रुकावट है । लेकिन मन्दिरों में हरिजनों के जाने पर रोक है गो कि कह दिया गया है उनमें हरिजन जा सकते हैं । अन्नपूर्णा जी और विश्वनाथ जी के मंदिरों को मैं ने खुद देखा है । पहले बनारस के अन्नपूर्णा जी के मन्दिरों के अन्दर हम लोग जा सकते थे और मूर्ति के पास तक जा सकते थे लेकिन जब से कहा गया कि हरिजन भी मंदिर में जा सकते हैं वहां एक दीवार बना दी गयी है और अब दूर से ही दर्शन किया जा सकता है। तो मेरे दिमाग में यह बात नहीं आती कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हरिजन भाइयों को ऊपर उठाया जाए और दूसरी तरफ हम इस तरह का भेदभाव रखते हैं। हमारे माननीय मित्र जिन्होंने इस बिल को लाने की हिम्मत की है उन्होंने इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में कहा है :

"धारा ३ और ४ के अनुसार अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को किसी दूसरे धार्मिक स्थान में जाने और पूजा आदि करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। उसे भी किसी अन्य व्यक्ति की तरह समान सामाजिक और धार्मिक अधिकार होने चाहियें।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

हमारे संविधान में साफ शब्दों में कहा गया है कि नौकरी के मामले में या धर्म के मामले में सब के साथ इन्साफ किया जाएगा और हर एक को अख्तियार है कि अपने धर्म को माने और मन्दिरों में जा सके। मेरे ख्याल में यह सही नहीं है कि समाज के इतने बड़े अंग को, जिनका आज समाज में शायद बहुमत है, इस तरह अलग रखें। मैं समझता हूं कि ऐसा करना गलत होगा। मैं इस सिलसिले में सदन का ध्यान इकबाल के एक शेर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो कि उन्होंने उस वक्त लिखा था जबकि वह नेशनलिस्ट थे, उनसे पूछा गया कि आप खुदा को मानते हैं या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया था :

खुदा के बन्दे तो हैं हजारों वनों में फिरते हैं मारे मारे
मैं उसका बन्दा बनूंगा, जिसको खुदा के बन्दों से प्यार होगा।

तो मैं समझता हूं कि हम लोगों में इसी तरह की भावना होनी चाहिये कि जो लोग समाज के कल्याण के लिये काम करते हैं और समाज के स्तर को ऊंचा उठाते हैं उनसे हम प्यार का बरताव कर। आज भावना यह है कि अगर वह दरिया में नहा लेंगे तो दरिया अशुद्ध हो जाएगा। मैं समझता हूं कि यह सही परम्परा नहीं है। एक जमाना था कि जब शूद्र के कान में वेद का मन्त्र पड़ जाता था तो उसके कान में शीशा गरम करके डाल दिया जाता था और उसके कान को जिन्दगी भर के लिए खराब कर दिया जाता था। लेकिन आज जब हम राष्ट्रीय एकता लाना चाहते हैं तो हमको भेदभाव को दूर कर देना चाहिए। देश में जिन लोगों का स्तर नीचा है उसको ऊपर लाने की हमको कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बिल को पास करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन माननीय सदस्य ने इस बिल को प्रस्तुत करने की हिम्मत की है वह आज किसी वजह से सदन में मौजूद नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : मौजूद हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : जो लोग कि हरिजन या शिड्यूल्ड कास्ट कहलाते हैं उनको हमें अपने बराबर लाना चाहिए और जो अपने को ब्राह्मण या ठाकुर कहते हैं उनको इस बिल का स्वागत करना चाहिए। उनको इसका समर्थन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे समाज का कल्याण होगा। अगर हम देश में एकता की भावना लाना चाहते हैं तो हमको छुतछात दूर करनी चाहिए।

जिन नदियों की धारा हर चीज को पवित्र करती है उनमें आज हरिजनों को नहाने नहीं दिया जाता। अगर हम देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमको इन भावनाओं को दूर करना चाहिये और अपने हरिजन भाइयों को ऊपर उठाने में मदद देना चाहिये। इसके लिये हमको अपनी भावना बदलनी होगी। सिर्फ कानून से या संविधान में संशोधन करने से यह काम नहीं हो सकता। हमको समाज के इस अंग को जो समाज के कल्याण का काम करता है बराबरी का दरजा देना चाहिए। हो सकता है कि हमारी समाज की इमारत के मन्त्रिमण्डल के सदस्य चमकती हुई ईंटें हों लेकिन हमारे हरिजन भाई इस इमारत की बुनियाद की ईंटें हैं, ये हमारे काम करने वाले भाई हैं, जो कि समाज के नीचे स्तर पर हैं और जिनके बूते पर समाज खड़ा हुआ है। ये जाहिर नहीं होते और हम इनकी शक्ल नहीं देखते।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि मन्त्रिणी महोदया कम से कम इस की भावना को देखते हुए इसको मंजूर करें।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** (महासमन्द) : मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी स्थिति हमारे देश में उचित रूप से क्रियान्वित नहीं

†मूल अंग्रेजी में

की जाती। मुझे शक है कि इस अधिनियम के उल्लंघन के अपराध में पुलिस द्वारा पेश किय गये चालानों में से ९० प्रतिशत चालान असफल हो जाते हैं।

केन्द्र और राज्य सरकारों और विधान बनाने वालों का यह कर्तव्य है कि वे इस बुराई को खत्म कराने में योग दें। स्वयं हरिजनों में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो निहित स्वार्थों के कारण इस प्रथा को दूर होता नहीं देखना चाहते। किन्तु यह बहुत ही कम हैं।

†**खान और ईंधन मंत्री सभा के सचिव (श्री तिम्मय्या)** : ऐसे कोई व्यक्ति नहीं हैं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : ग्रामों में दशा शोचनीय है। इस अधिनियम का प्रभाव वहां तक पहुंचा ही नहीं और न ही सरकार ने इसे उनको बताने का प्रयत्न किया है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू और काश्मीर): अस्पृश्यता का कलंक देश के किसी भाग में भी नहीं रहना चाहिये। यह एक सामाजिक प्रश्न है और मानुषिक प्रश्न है। इसके दूर करने के बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता। फिर भी इस विधेयक में नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है तथा जिस प्रयोजन के लियें इसे लाया गया है, इससे उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। यह दृष्टिकोण कि कानून को पास करने से हम कुछ लोगों का मन्दिरों में प्रवेश सम्भव कर सकेंगे, ठीक नहीं है। यह नकारात्मक दृष्टिकोण है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक को वापस ले लेना ही अच्छा होगा।

†**श्री यलमंदा रेड्डी** : (मारकापुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। अस्पृश्यता का सभी विरोध करते हैं। हालांकि यह अधिनियम १९५५ में पारित हुआ था लेकिन इसके क्रियान्वित करने के बारे में कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ता। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन से तो और भी निराशा हुई है। आयुक्त ने भी यह बताया है इस अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई भी राज्य सरकार इस अधिनियम के बारे में गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है। इसके प्रति लोगों की केवल मौखिक सहानुभूति है। स्वतन्त्रता मिले हुए १५ वर्ष हो गये हैं किन्तु हरिजनों को सार्वजनिक कुएं से कोई भी पानी नहीं भरने देता। हरिजनों के जलूसों पर सवर्ण जाति के लोग अब भी आक्रमण आदि करते हैं। सरकार का ध्यान इन बातों की ओर कई बार आकर्षित किया गया है किन्तु सरकार ने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया।

मेरा सुझाव है कि मल अधिनियम में बड़ी तेजी से संशोधन किया जाये। ताकि हरिजनों को कुछ राहत मिल सके। हरिजनों के साथ जो ज्यादती आजकल हो रही है उसका कारण यह है कि राज्य सरकारें इस अधिनियम में कोई रुचि नहीं ले रही हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस संशोधन में इस प्रकार संशोधन किया जाय ताकि अपराध करने वाले व्यक्ति दोष से बच न सकें। साथ ही सरकार उन बातों की ओर भी ध्यान दे जो अस्पृश्यता को दूर करने में सहायता पहुंचायें।

†**श्री सोनावने** (पंढरपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं यह विधेयक बहुत ही सरल है। इस विधेयक के द्वारा यह कमी दूर की जा रही है कि हरिजनों को मन्दिरों में इसलिये नहीं घुसने दिया जाता कि वे अस्पृश्य हैं बल्कि इसलिये उन्हें अनुमति नहीं दी जाती कि वे उस वर्ग के व्यक्ति नहीं हैं जिस वर्ग का वह मन्दिर है। इसी प्रकार की पीने के पानी वाले कुओं, होटलों, सैलून आदि में हरिजनों के जाने के लिये अनुमति दिलाने के बारे में है। इसलिये यह संशोधन अत्यावश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सोनावने]

कुछ राज्यों ने इस अधिनियम [redacted] बड़ी तीव्रता के साथ लागू अवश्य किया है किन्तु इतनी कठोरता के साथ नहीं जितना कि करना चाहिये था। महाराष्ट्र, पंजाब और मद्रास को छोड़ कर अन्य राज्यों ने इस अधिनियम के बारे में गम्भीरता प्रकट नहीं की है। अतः मैं सभी राज्यों से निवेदन करूंगा कि वे हरिजनों को कुछ सुविधा दें। साथ ही हिन्दू भी अपनी विचारधारा में कुछ परिवर्तन करें ताकि इन हरिजनों को कुछ राहत मिल सके। यह मैं मानता हूं कि शहरों में अस्पृश्यता मिट रही है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में भी लोगों की धारणा बदले।

श्री प० ला० बारूपाल : (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, अस्पृश्यता अपराध एक्ट के अन्दर संशोधन करने के लिये जो विधेयक आया है मैं उसका हृदय से स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं इस कानून में संशोधन करने के सम्बन्ध में कहा गया है कि मन्दिरों में प्रवेश करने के लिये कड़े नियम बनाये जायें। मैं इस से सहमत हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं राजस्थान के जिस एरिया से आता हूं उसमें मन्दिरों की जो बात है वह तो है ही, जो सरकारी और गैर-सरकारी जलाशय हैं, कुएं, कुण्ड और तालाब हैं उनके अन्दर प्रवेश करने के सम्बन्ध में अगर कानून को कड़ा बनाया जाय तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। यह मैं समझता हूं कि केवल कानून के बल पर ही किसी आदमी को ऊंचा उठाया जाय तो यह कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। आप कानून से हमको कुर्सी पर बिठा सकते हैं, लेकिन कानून के जरिये आप हम को किसी के हृदर में बिठा दें, तो वह नहीं हो सकता कानून से आप हम को मन्दिरों में प्रवेश करा सकते हैं, लेकिन किसी के दिल में प्रवेश नहीं करा सकते। कानून से आप कुओं से पानी दिला सकते हैं लेकिन किसी की सहानुभूति नहीं दिला सकते। जब यह बात आती है तो फिर कैसे किया जाय तो कहते हैं कि हृदय परिवर्तन किया जाय। जहां तक हृदय परिवर्तन की बात है, उससे मैं कोई विशेष सहमत नहीं हूं। हृदय परिवर्तन तो उनमें होता है जिनके पास हृदय होता है। आज मैं देखता हूं कि हिन्दू समाज के हृदय पत्थर के हो चुके हैं। हमारे देश को आजाद हुए करीब १५ वर्ष हो चुके। लेकिन आज भी जब हम गांवों में जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि हरिजनों को स्वेच्छा से और स्वतन्त्रता से कुओं से पानी नहीं पीने दिया जाता, कुण्डों से उनको पानी नहीं लेने दिया जाता। बल्कि कोई कोई तालाब तो ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से बने हैं, वहां से भी उनको पानी नहीं लेने दिया जाता। यह बिल्कुल सही बात है। जरा भी गलती इसमें नहीं है। मैं चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में कोई ५० कुएं भी ऐसे बतला दे जो कि सरकार के पैसे से बनवाये गये हों और उनमें हरिजनों को पानी पीने का अधिकार हो। आज वहां पर उनको पानी लेने का अधिकार नहीं है। आज भी हिन्दू समाज में हरिजनों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष है। उदाहरण के तौर पर मैं बतलाऊं कि ४ जुलाई का वाकया है, चुरू डिस्ट्रिक्ट के झंझेऊ गांव में छः महीनों तक हरिजनों का पानी बन्द किया गया। पानी ही बन्द नहीं किया गया बल्कि उनके साथ मारपीट की गई। पेड़ों से बांध कर उनको पीटा गया, उनका धन और जेवर छीन लिया गया और खानाबदोश करके गांव से निकाल दिया गया। जब हमने सरकार के सामने अपील की तो वहां पुलिस गई और पुलिस के फोर्स से उनको पानी दिलाया गया। लेकिन गांव वालों की इतनी हिम्मत हो गई कि पुलिस के सामने भी लाठियां और डंडे लेकर आये और पत्थरों की वर्षा की। लाठियां और पत्थर उनके सामने चलाईं तो। दुर्भाग्य से हुआ क्या कि दो निरपराध आदमी उसमें मारे गये। और जो पीछे से तार हिलाने वाले और आपस में लड़ाने वाले आदमी थे उनको कुछ नहीं हुआ। आज भी गांवों के अन्दर जब यह साहस है कि वह पुलिस का सामना कर सकते हैं, पुलिस के सामने छुआछूत के न हटाने का मुकाबला कर सकते हैं, तो जब तक कोई कड़ा कानून नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता।

मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर, कम से कम, मन्दिर भले ही आप हम लोगों के लिये न खोलें, लेकिन जलाशय खुलवा दें और हमको पानी दिला दें तो हम पानी को भी परमेश्वर

करके मान लेंगे क्योंकि पानी तो मनुष्य के जीवन के लिये अनिवार्य होता है। जब मनुष्य को स्वतन्त्रता से पानी जैसी बस्तु भी नहीं मिलती तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़ कर दुर्भाग्य की बात हमारे लिये कोई नहीं हो सकती। मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों की सामाजिक अवस्था या उसके स्टैण्डर्ड को सुधारने के लिये पहले उनकी आर्थिक अवस्था को सुधारा जाये, तो मैं समझता हूं कि छूआछूत मिटाने में काफी सहायता मिल सकती है।

मेरे बहुत से साथी अभी बोलना चाहते हैं इसलिये अधिक न कह कर मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और आशा करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर सरकार ध्यान से गौर करेगी।

श्री गौरी शंकर (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन सदन के सामने आया है मैं उसका स्वागत करता हूं। इसके पहले जो एक्ट था उसमें छुतछात को कागनिजेबिल आफेंस करार दिया गया था, मगर कागनिजेबिल आफेंस होते हुए भी उस कानून के वह क्लाजेज बिल्कुल रिडंडेंट रहे और उनका जो प्रयोग ऐसे आफेंसेज के लिए होना चाहिए था वह कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं समझता हूं कि किसी कानून के बनाने मात्र से यह छूतछात का मसला हल नहीं हो सकता। मैंने देखा है कि जो इस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं उन पर अमल नहीं होता। देहातों में यह चीज ज्यादा है और वहां पर अछूतों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इसकी वजह यह है कि देहातों में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हरिजनों पर हावी हैं, ये बुली क्लास के लोग हैं और उनके मुकाबले में अछूतों को साहस नहीं होता कि वे अपनी रिपोर्ट लिखाएं और मुकदमा दायर करके शाहदत और सबूत ला पावें।

इसमें तो कोई शुबहा नहीं कि यह संशोधन लाकर इस बात की कोशिश की जा रही है कि कोई कानून बनाया जाए, लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि यह छूतछात का मसला कानून बना कर हल नहीं किया जा सकता है। हम सब लोगों का यह अनुभव है कि शहरों में तो हम इस चीज को समाप्त करने में कामयाब हुए हैं मगर देहात में यह चीज बाकी है। वहां तो जब तक हम लोगों की भावनाओं को नहीं बदलेंगे, जब तक हम उनको यह न समझाएंगे कि यह हमारे भाई हैं और हमको इन के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, तब तक कानून बना कर यह मसला हल नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी यह संकेत किया था कि इस मुल्क में दूसरे जुर्मों को भी कागनिजेबिल बनाया गया है, लेकिन अगर आप आंकड़े इकट्ठा करें तो आपको मालूम होगा कि जहां तक अनटचेबिलिटी का सवाल है, इसके बहुत कम केसेज आ पाए हैं, और इसकी वजह वही है जो कि मैं ने आपको पहले बतलायी है।

तो इसमें शुबहा नहीं कि अगर यह कहा जाए कि हमने आजादी पाने के २५ साल बाद इस चीज को समाप्त कर दिया है तो यह कहना गलत होगा और यह केवल कहने की ही चीज होगी। मुझे उत्तर प्रदेश का अनुभव है। अभी भी उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां हरिजनों को कुंवों से पानी भरने की आज्ञा नहीं है। वे मजबूरन तालाब का गन्दा पानी पीकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो सही बात तो यह है कि हमाले मुल्क के इतने बड़े तबके के साथ जो कि इतने बहुमत में है यह सलूक किया जा रहा है। उसका नतीजा यह होता है कि एक विद्रोह सा हो रहा है।

अभी मंदिर प्रवेश का कानून बनाया गया। मैंने खुद जाकर देखा कि तीर्थों में पहले जिन मंदिरों में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जा सकते थे और मूर्त्तियों का स्पर्श कर सकते थे और पूजन कर सकते थे, उनको भी अब वेसा नहीं करने दिया जाता। होता यह है कि कानून बनने के बाद तुरन्त उससे बचने का तरीका निकल आता है और इसलिए कानन से यह चीज दूर नहीं होती

[श्री गौरी शंकर]

है । तो मैं यह संकेत करूंगा कि यह संशोधन मंजूर भी कर लिया जाए और इसको कानून में भी रख दिया जाए । लेकिन अगर हम लोगों की भावनाओं को नहीं बदलेंगे तो इस प्रकार के कानूनों से यह मसला हल नहीं हो सकता ।

मैंने एक बार सदन के सामने प्रेसीडेंशियल एड्रेस पर संशोधन रखते हुए संकेत किया था कि समाज में रद्दोबदल तभी हो सकती है जब सचाई और ईमानदारी से देहात में प्रचार करके वहां के लोगों की भावनाओं को बदला जाए और उनको यह समझाया जाए कि हरिजनों के साथ उनको बराबरी की जिन्दगी बसर करनी है और हरिजनों को यह नहीं अनुभव होने देना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है । तभी इस दिशा में कुछ सफलता मिल सकती है ।

जो यह संशोधन सदन के सामन आया है कि इस बिल के बारे में जनता की राय जानी जाए मैं उसका स्वागत करता हूं । इसमें कोई शक नहीं कि जो पुराना कानून था वह रिडंडेंट रहा । आप कोई और कानून बना दें तो ठीक है मगर जैसा कि मैंने निवेदन किया, जिन चीजों का मैंने ऊपर जिक्र किया है अगर उनको नहीं किया गया तब तक केवल कानून से कोई फायदा नहीं होगा ।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : जनता के दिल परिवर्तन करने की बात और उसके प्रयत्न तो हजारों वर्षों से किया जा रहा है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका । महात्मा गांधी तथा कांग्रेस ने इस दिशा में अथक परिश्रम किया है । राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार भी इस दिशा में बहुत काम कर रही हैं । इसलिये फिर भी यह अच्छा है कि इस सम्बन्ध में कुछ विधि बनाई जाये ताकि अस्पृश्यता का काम शीघ्रता से हो सके । यह हमारा परम कर्त्तव्य है कि यह अस्पृश्यता जल्दी से जल्दी खत्म हो जाये ।

मंदिर सभी जाति के लिये खुले रहने चाहिये भगवान की निगाह में तो सभी समान हैं । मेरा निवेदन तो यही है कि सामाजिक भेदभाव बिल्कुल ही समाप्त हो जाये ।

प्रस्तावक महोदय को इस विधेयक को वापस नहीं लेना चाहिय । अब वह समय आ गया है जब हमें इस प्रकार के सामाजिक भेदभाव को भी बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिये ।

†**श्री बसुमतारी** (गोलपाड़ा) : अस्पृश्यता निवारण के लिये हम पिछले १५ वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन अभी तक उस ढंग से काम नहीं हुआ है जिस ढंग से कि होना चाहिये । देश के नेताओं से मेरा निवेदन है कि वे जनता के दिलों को परिवर्तित करने का प्रयत्न करें ताकि अस्पृश्यता निवारण का कार्य जल्दी से हो सके । देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह संशोधन बहुत ही उपयुक्त हैं । अस्पृश्यता निवारण के लिये मेरा एक सुझाव है कि जो लोग इस प्रकार की भावना—भेदभाव की भावना रखते हैं उनके सेवा रिकार्ड में रिमार्क दे देना चाहि । राजनैतिक नेताओं को निर्वाचन के लिये टिकट देते समय इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये ।

श्रीमती सरोजिनी महिषी (धारवाड़ उत्तर) : अस्पृश्यता जड़ से ही समाप्त कर देनी चाहिये । लेकिन किस प्रकार दूर की जाये, दूर करने के साधन क्या क्या हों इनमें अंतर हो सकता है । लेकिन अब तो देश की स्थिति बदल गई है अतः यह अस्पृश्यता एकदम मिट जानी चाहिये । महात्मा गांधी ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न किया था । हालांकि कुछ पुरातन परिपाटी के मानने वालों ने उनका विरोध किया । यही बात राजा राम मोहन राय तथा तिलक के साथ

†मूल अंग्रेजी में

भी हुई उनका भी घोर विरोध किया गया था। संविधान के अनुच्छेद १७ में अस्पृश्यता निवारण के लिये व्यवस्था की गई है और अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले तथा उसको दूर करने के लिये रास्ते में रुकावट डालने वाले को अपराधी घोषित किया गया है।

गीता में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि चार वर्णों का विभाजन लोगों के कार्य की दृष्टि से किया गया था। उन दिनों सभी जातियों के लोगों के अधिकार समान थे। इन वर्णों के बनाने का आधार अस्पृश्यता बिल्कुल भी नहीं था।

जनता में मानवीय दृष्टिकोण के बदलने की आवश्यकता है। हम यदि इसे दूर करना चाहते हैं तो यह एक दिन में दूर नहीं हो सकती। इसके लिये मानवीय दृष्टिकोण में अन्तर करना अत्यावश्यक है। हरिजनों को भी समान अधिकार दिये जाने चाहियें तथा उन्हें भी समान दायित्व मिलना चाहिये। देश के दक्षिण भाग में कुछ भ्रान्ति एंव कुप्रवृत्तियां फैली हुई हैं उनको दूर करने में भी कुछ समय लगेगा। यह संशोधन विधेयक ठीक समय पर प्रस्तुत किया गया है अतः मैं इसका स्वागत करती हूं। और आशा करती हूं कि अस्पृश्यता निवारण के लिये पूरा पूरा प्रयत्न किया जायेगा तथा देश का पूरा पूरा सहयोग भी मिलेगा।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जाति के लोगों को समान धार्मिक अधिकार मिलें तथा सभी हिन्दुओं जैसे उन्हें समान सामाजिक अधिकार मिलें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उन्होंने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम १९५५ में संशोधन प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगी कि यदि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया गया तो इस अधिनियम का क्षेत्र सीमित हो जायेगा। और फिर यह संविधान के अनुच्छेद १७ के अनुरूप नहीं रहेगा। और हो सकता है कि भेदभाव की नीति के आधार पर अदालतें इस रद्द भी कर दें।

प्रस्तावक महोदय का यह भी कहना है कि हमारे देश में समस्त हिन्दुओं के द्वारा उपयोग किये जाने वाले मन्दिरों की संख्या बहुत ही कम है। वैसे तो सभी मन्दिर या तो किसी वर्ग विशेष के हैं या कुछ सीमित लोगों के लिये। जिसका अभिप्राय यह है कि हिरजन उन मन्दिरों में नहीं जा सकते।

यह भी कहा गया है कि इस प्रश्न पर अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के आयुक्त ने भी विचार किया है। और उनका कहना है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम १९५५ को बम्बई के हिन्दुओं के पूजा स्थान अधिनियम १९५६ और उत्तर प्रदेश मन्दिर प्रवेश अधिनियम १९५६ के आधार पर संशोधित किया जाये। जब इस बात की जांच की गई तो यह स्पष्ट हुआ कि हमारा मूल अधिनियम संविधान के अनुच्छेद १७ के अनुरूप और दोनों राज्यों के ये अधिनियम संविधान के अनुच्छेद–२५(२)(ख) के अनुरूप हैं।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

प्रस्तावक महोदय ने प्राक्कलन समिति के ४८वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का उल्लेख किया है। पहले उन सिफारिशों की भी जाँच की गई थी। और उन पर पूरी रह विचार भी किया गया था। और राज्य सरकारों के विचार भी मूल अधिनियम पर विचार करने से पूर्व प्राप्त किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती चन्द्र शेखर]

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में यह स्पष्ट कहा है कि अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पूजा के स्थान से नहीं रोका जा सुकता है। इस धारा के अधीन अस्पृश्यता सम्बंधी सारे अपराधों को सजा दी जा सकती है। तथापि इस से ऐसे पूजा के स्थान जो कि किसी एक वर्ग विशेष के हिन्दुओं के लिये खूले हों, सभी हिन्दुओं के लिये नहीं खोले जा सकते हैं। तथापि इस प्रकार का विभेद अस्पृश्यता के आधार पर नहीं किया जाता है। तथापि अनूच्छेद २५(२)(ख) के अधीन कार्यवाही की अनूमति है तथा बम्बई और उत्तर प्रदेश ने उस का उपयोग किया है। यह स्मरण रखना चाहिये कि १९५५ के अधिनियम में कोई विशेष बात नहीं है। केवल इस अधिनियम से अनूच्छेद १७ को व्यावहारिक रूप दे दिया गया है। अतः कोई ऐसा मामला जो अनूच्छेद के अधीन नहीं आता हो इस अधिनियम के लिये संगत नहीं कहा जा सकता है।

इस प्रकार यद्यपि भेदभाव किया जाता है तथापि अधिनियम की धारा ३ के अधीन यह विभेद अस्पृश्यता के आधार पर नहीं किया गया है।

इस प्रकार १९५५ के अधिनियम के अधीन यद्यपि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर किसी मंदिर में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है कि वह अस्पृश्य है, ऐसा प्रतिबन्ध तभी वैध हो सकता है जबकि वह अस्पृश्यता के आधार पर न हो। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि संसद् ऐसा अधिनियम बना सकती है कि समस्त सार्वजनिक मंदिर सामान्यतः सभी वर्गों के हिन्दुओं के लिये खोल दिये जाय। तथापि ऐसा विधान अधिनियमित हो सकता है या नहीं यह दूसरा प्रश्न है। तथापि उस का अस्पृश्यता अपराध अधिनियम से कोई सम्पर्क नहीं होगा। उसे हम सामान्य सामाजिक सुधार का साधन कह सकते हैं यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा हमें एक अन्य अधिनियम बना कर करना होगा। हम केवल अधिनियम में संशोधन कर ऐसा नहीं कर सकते हैं। संभव है इस प्रकार के अधिनियम का बनाना राज्यों के हाथों छोड़ देना ही अधिक अच्छा होगा।

बम्बई के अधिनियम में उन के लिये दंड की व्यवस्था की गई है हिन्दुओं के किसी वर्ग को किसी मंदिर में प्रवेश पर रोकते हैं। तथापि उस में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस धारा की किसी बात अस्पृश्यता के अरपराधों से संबंध नहीं माना जायगा। मद्रास में भी मंदिर प्रवेश प्राधिकार अधिनियम १९४७ लागू है। ऐसा ही एक अधिनियम मद्रास और आँध्र प्रदेश में भी लागू है।

श्री सिदय्या ने अधिनियम की धारा ४ के बारे में जो आपत्ति की है वह निराधार है वस्तुतः यह धारा भी अस्पृश्यता पर आधारित है। यदि किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान का उपयोग इस आधार पर करने से रोका जाये कि वह अस्पृश्य है तो उसे १९५५ के अधिनियम के आधार पर दंड दिया जा सकता है।

इस अधिनियम की क्रियान्विति के सम्बन्ध में लोगों में काफी आलोचना हुई है। अधिनियम की सीमा और व्यापक बनाने से मामला और जटिल हो जायेगा। मेरे विचार से अभी इस अधिनियम की सीमा और व्यापक बनाना उचित नहीं होगा।

श्री बसुमतारी ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी अस्पृश्यता का पालन करते हैं उन का नाम कृष्ण सूची में शामिल किया जाये। हमने इस सम्बन्ध में अनूदेश जारी किये हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिये छआछत का पालन करना कदाचार समझा जायेगा।

जहाँ तक छआछत के लिये मूकदमा चलाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अनूसूचित जातियों तथा अनूसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन में आँकड़े दिये गये हैं। १९५५ से १९५९ तक पुलिस

के पास २,३९६ मामले दर्ज किये गये। २,०७२ व्यक्तियों का चालान किया गया। ५४८ व्यक्तियों को सजा दी गई। प्रतिवेदन को देखने से इन संख्याओं का ज्ञान हो सकता है।

जहाँ तक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के लागु न करने का सम्बन्ध है उस का इस संशोधन से कोई संबंध नहीं है। जहां तक अन्य विधियों के अधीन धार्मिक स्थानों में न घुसने देने का संबंध है हम पहिले इस बारे में दिल्ली में जाँच करेंगे तत्पश्चात अन्य स्थानों में इस की जाँच करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक को वापस ले लें और इसे जनता की राय जानने के लिये परिचालित न किया जाये।

†**श्री सिदय्या** (शामराजनगर) : मुझे प्रसन्नता है कि अधिकाँश सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है।

संविधान के अनुच्छेद १७ के अनुसार अस्पृश्यता अपराध है। उपमंत्री ने यह बात स्वीकार की है कि अभी भी सवर्ण हिन्दुओं द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों को ऐसे मंदिरों में जाने से रोक दिया जाता है जो किसी विशेष सम्प्रदाय के ही हिन्दुओं के लिये खुले हैं। इस प्रकार सवर्ण हिन्दुओं द्वारा अनुसूचत जाति के हिन्दुओं को रोकने के लिये एक और बहाना ढूंढ निकाला गया है। वस्तुतः ऐसे मंदिरों की संख्या बहुत कम है जोकि सभी हिन्दुओं के लिये खुले हों।

जातिप्रथा की चरम सीमा को ही छुआछात कहा जाता है। अत : जब तक हम जातिभेद का समूल नाश नही करेंगे हम इस बुराई को नष्ट नहीं कर सकते हैं।

उपमंत्री ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि वे दिल्ली तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इस बात की जाँच करेंगे और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार यदि अ-हरिजन तथा अन्य पिछड़ी जातियों को इन मंदिरों में प्रवेश मिल गया तो हरिजनों को भी इन मंदिरों में प्रवेश मिल जायेंगा।

अत: मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि या तो इस संबंध में नया अधिनियम बनाया जाये और या संविधान के अनुच्छेद २५(२) (ख) के अधीन कुछ अन्य अधिनियमों को दिल्ली क्षेत्र में विस्तृत कर दिया जाये।

यह ज्ञात हुआ कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के अधीन कार्यवाही इस सकारण नहीं की जा रही है कि पुलिस इस के अधीन मामलों को दर्ज नहीं करती है और दूसरे अपनी आर्थिक अवस्था खराब होने के कारण हरिजन लोग सवर्ण हिन्दुओं के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते हैं। चूंकि माननीय उपमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इन मामलों में कार्यवाही की जा रही है इसलिये मैं अपने विधेयकों को वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक

(धारा ३० का संशोधन)

†**श्री हेम राज** (काँगड़ा) : म प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेमराज]

इस संशोधन की आवश्यकता इस कारण हुई कि उत्तराधिकार के सम्बन्ध में पंजाब की स्थिति भारत से भिन्न है। पंजाब में विशेषत: गाँव वालों पर रीति रिवाज लागू होते हैं। पंजाब रीति रिवाज अधिनियम १८७२ के धारा ५ में कहा गया है कि उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, वसीयत इत्यादि कई मामलों में केवल रीति रिवाजों के आधार पर ही निर्णय किया जायेगा।

पंजाब का सारा रीति विधान चार सिद्धान्तों पर आधारित है। उस संबंध में पंजाब उच्च न्यायालय यह घोषित कर चुका है कि पंजाब के निवासी चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान और सिख हों वह रीति रिवाजों से प्रशासित होंगे अत: पंजाब में संयुक्त परिवार का कोई प्रश्न नहीं है वहाँ रीति रिवाज और उत्तराधिकार लागू होता है।

पंजाब में रीति विधान के अधीन पुरुष स्वामी पूर्वजों की जायदाद का पूरा स्वामी नहीं है। उसके अधिकार पाँच पीढियों के वंशजों द्वारा प्रतिबन्धित हैं। अत: किसी भी व्यक्ति के अधिकार रिवाजों द्वारा प्रतिबंधित हैं। १९५६ के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन हम उत्तराधिकार की एकरूप संहिता बनाना चाहते थे। हम पुरुष तथा नारियों को एक ही दर्जा देना चाहते थे। तथा हिन्दू नारी को पूरा अधिकार देना चाहते थे। तथापि इस से पंजाब के रीति रिवाज विधान पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसका यह फल हुआ कि पुरुष के अधिकार सीमित हो गये तथा नारी के अधिकार असीमित हो गये। तथापि हमारा अभिप्राय यह था कि पुरुष और नारी के बराबर अधिकारहों।

मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि पंजाब में पुरुषों को भी वही अधिकार प्राप्त हों जोकि नारी को सम्पत्ति पर प्राप्त हैं। पंजाब में अभी भी कृषकों तथा गाँव में रहने वालों के अपनी सम्पत्ति पर सीमित अधिकार हैं।

मैं इस बात को थोड़ा और अधिक स्पष्ट कर देता हूं कि विधेयक का उद्देश्य यह है कि बदली हुई परिस्थितियों में पुरुष मालिक को वही पूर्ण अधिकार होने चाहियें जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत स्त्री अथवा विधवा को प्राप्त हैं। इसके द्वारा तो स्त्री की स्थिति तो पुरुष से अधिक मजबूत हो गई है। यदि इस अनियमितता को, जिसका पंजाब उच्च न्यायालय ने भी संकेत किया है, जारी रखा जायेगा। विधेयक के कानून बन जाने पर परम्परागत कानून के अन्तर्गत पुरुष मालिक स्त्री अथवा विधवा की बराबरी पर आ जायेगा। अभी हाल ही पंजाब उच्च न्यायालय में भी इसी प्रकार के एक मामले का निर्णय हुआ कि पंजाब का परम्परागत कानून चलेगा और हिन्दू उत्तराधिकार विधयक उसके स्पर्श नहीं करता इसी उद्देश्य को सामने रख कर मैंने अपना यह संशोधन विधयक प्रस्तुत किया है।

इन शब्दों से मैं अपना विधयक सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : मैं निवदन करता हूं कि इस विधयक पर विचार स्थगित कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि श्री हेमराज विषमतायें दूर करना चाहते हैं जिस पर कि पंजाब उच्च न्यायालय ने इशारा किया है। यह धारा ३० के निर्वाचन के सम्बन्ध में

---

†मूल अंग्रजी में

है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य कुछ और भी चाहते हैं। वह धारा १३ और जोड़ देना चाहते हैं।

पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय की ओर सरकार का ध्यान है और पंजाब सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त की थी जो समस्त प्रश्न पर विचार कर रही है। प्रश्न यह है कि पंजाब के परम्परागत कानून में किस प्रकार संशोधन किया जाय। विचार है कि संशोधन इस प्रकार किया जाय कि उसमें न केवल सम्पत्ति का इच्छा पत्रीय निपटारा सम्मिलित हो जाय प्रत्युत जीवितों में हस्तान्तरण के मामले भी सम्मिलित हो जाये। इस पर सरकार विचार कर रही है और यह अधिक अच्छा होगा कि एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाय जिसमें इच्छा पत्रीय उत्तराधिकार और जीवितों में हस्तान्तरण के मामले भी आ जाये।

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री का निवदन है कि इस विधयक पर विचार स्थगित कर दिया है। आशा है कि सदन इससे सहमत है।

†**बहुत से माननीय सदस्य** : हां।

†**श्री हेमराज** : मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करवाना चाहता था। अब जब कि पंजाब सरकार ने जांच समिति नियुक्त की है और उसके प्रतिवेदन के बाद सरकार इस संशोधन पर विचार करेगी, अतः मुझे इस विधयक के विचार को स्थगित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं।

†**सभापति महोदय** : मेरे विचार में इस विधयक पर विचार स्थगित किया जाना सदन को स्वीकार है।

†**बहुत से माननीय सदस्य** : हां।

†**सभापति महोदय** : अतः सदन को यह स्वीकार है कि इस विधेयक पर विचार स्थगित किया जाय।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ८७-ख का लोप)

†**श्री म० ला० द्विवेदी** (हमीरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता १९०८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

सभापति महोदय, मैंने जो विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, उसका उद्देश्य स्पष्ट है, न्यायोचित है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारे देश में कुछ समय पूर्व बहुत से देशी राज्य थे। ये देशी राज्य हमारे वर्तमान राज्यों में विलीन हो चुके हैं। इन देशी रियासतों के राजा महाराजाओं अथवा भूतपूर्व शासकों को भारत की नागरिकता के वे सब अधिकार प्राप्त हैं, जो हम सब को प्राप्त हैं, भारत के साधारण नागरिक को प्राप्त हैं। सरकार ने कुछ समय पूर्व एक ऐसा अधिनियम बनाया था जिसके अनुसार हमारे देश के इन शासकों को वे अधिकार दे दिये गये थे जो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री म० ल० द्विवेदी]

इस देश से दूर रहने वाले राजा महाराजाओं या शासकों को प्राप्त हैं, अर्थात् यदि इंग्लैंड की रानी यहां भारत में आये तो उसके विरुद्ध दीवानी का मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है, दीवानी का अभियोग नहीं चलाया जा सकता है । यह सही भी है कि विदेशी शासकों पर हमारे देश में दीवानी के मुकदमे न चलाय जायें । लेकिन जो राजे महाराजे हमारे देश में रहते हैं और जो पहले से रहते चले आ रहे हैं और जिनके शासनाधिकार अब विलीन हो चुके हैं, उनको भी वैसे ही अधिकार प्राप्त हों जैसे विदेशी शासकों को प्राप्त हैं, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है और मेरा खयाल है इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की समझ में भी नहीं आती होगी ।

इसलिए इस माननीय सदन के सम्मुख जो विधेयक मैंने प्रस्तुत किया है उसमें मैंने यह बताया है कि संविधान में हमने जो मूलभूत सिद्धान्त निर्धारित किय हैं, उनके अनुसार इस देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिये । भूतपूर्व शासकों के विरुद्ध दीवानी का अभियोग न चलाने की जो बात सरकार ने स्वीकृत कर रखी थी, मेरे खयाल में इसलिए कर रखी थी कि कदाचित सरकार को यह डर था कि इन शासकों के विरुद्ध कुछ लोगों में ईर्ष्या थी और एक प्रकार की विरोधी भावनायें विद्यमान थीं और ऐसा सम्भव था कि इनके विरुद्ध झूठमूठ के मामले चलाये जा सकते थे । लेकिन अब हमारे देश को स्वतंत्र हुए लगभग पंद्रह वर्ष हो चुके हैं और इस बीच में इन रियासतों को विलीन हुए भी तेरह चौदह वर्ष बीत चुके हैं और वह बात जिसका सरकार को डर था अब नहीं रही है ।

हमारे देश में भूतपूर्व शासकों को नागरिकता के सभी अधिकार प्राप्त हैं । वे अच्छा जेब खर्च पाते हैं, उनके जो अधिकार थे वे सुरक्षित हैं और साथ ही साथ उनको यह अधिकार भी प्राप्त है जो हमको प्राप्त है और अन्य नागरिकों को भी प्राप्त है कि वे निर्वाचनों में हमारे समकक्ष चुनाव लड़ सकते हैं, और भी जो अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, वे उनको भी मिले हुए हैं । इन अधिकारों के अतिरिक्त उनको कुछ विशेष सुविधायें भी मिली हुई हैं और हमारी सरकार ने उनसे समझौता करते समय उनको कुछ आश्वासन भी दिये थे । मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं । यह अधिकार वास्तव में भारतीय जनता को प्राप्त था कि दीवानी मुकदमा उनके खिलाफ चलाया जा सकता था । लेकिन एक शर्त लगा दी गई . . . . .

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : जब आप उनके विरुद्ध हैं, तो इसके क्यों विरुद्ध नहीं हैं ?

श्री म० ला० द्विवेदी : जो बात मेरे सामने है, उसको मैं आगे बतलाऊंगा और जब आप इस पर अपने विचार रखेंगे, तो मैं उसका समर्थन भी करूंगा । मैं इससे बाहर की बातों का उल्लेख करना नहीं चाहता और उनका उल्लेख करना नहीं चाहता जो आवश्यक नहीं हैं ।

इस समय जिस वस्तु की आवश्यकता है वह यह है कि इनके विरुद्ध हम दीवानी अभियोग भी चला सकते हैं, ऐसा अधिकार जनता को मिलना चाहिये । इसका कारण यह है कि राजे महाराजे अब व्यापार भी करते हैं, साधारण नागरिकों से लेन देन भी करते हैं । ऐसी स्थिति में साधारण व्यक्ति का रुपया या धन या जायदाद या सम्पत्ति यदि भूतपूर्व शासकों के पास है और वे उसे देना नहीं चाहते तो साधारण नागरिक वंचित है इस अधिकार से उसको प्राप्त करने के लिए वह न्याय प्राप्त कर सके और न्यायालय में जा सके । सरकार ने यह सुविधा अवश्य दी है कि कोई भी नागरिक यदि किसी शासक के विरुद्ध अभियोग चलाना चाहता है तो वह गृह मंत्रालय के पास अपना प्रार्थनापत्र भेजे और जब गृह मंत्रालय अपनी स्वीकृति दे दे कि हां तुम चला सकते हो, तो ही ऐसा अभियोग चलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं । देखा यह गया है कि गृह मंत्रालय का जो

सचिवालय है वह ऐसे विषयों पर अति विलम्ब से विचार करता है और इसमें वर्षों लगा देता है और उसकी स्वीकृति नागरिकों को जल्दी नहीं मिल पाती । बहुत से ऐसे केसिस भी हैं कि जहां पर स्वीकृति प्राप्त ही नहीं हुई है । ऐसा भी सम्भव होता है कि वे लोग जिन पर अभियोग चलाये जाने की बात चलाई जाती है और स्वीकृति प्राप्त करने का आवेदन किया जाता है,वे गृह मंत्रालय के सचिवालय को प्रभावित कर लेते हैं, गृह मंत्रालय में प्रभाव डाल लेते हैं और इस कारण भी, कुछ तो नासमझी के कारण और कुछ गलतफहमी के कारण या कुछ विशेष सुविधायें प्राप्त होने के कारण गृह मंत्रालय लोगों को स्वीकृति नहीं देता और स्वीकृति न मिलने के कारण जो कठिनाई उन नागरिकों को होती है जिनकी सम्पत्ति अथवा धन अथवा रुपया फंसा होता है, उसका अनुमान आप लगा सकते हैं । वे किसी प्रकार से भी अपना धन प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते हैं । ऐसी कठिनाई जो लोगों के सामने है वह इतनी विशाल है कि उसका अनुमान वह नहीं लगा सकता जो कि सम्पन्न हो । जिस दरिद्र के पास, गरीब के पास छोटी सी जायदाद हो, थोड़े से रुपयों से काम चलाता हो, उस का रुपया फंस जाता है और न उसका ब्याज उसको प्राप्त होता है न उससे कोई काम उस का चल सकता है, न ही वह अपनी जीविका उपार्जन कर सकता है । अन्धेर खाते में उसकी अपील पड़ी रहती है । न गृह मंत्रालय से स्वीकृति मिलती है न अपील चल सकती है । कोई ठिकाना नहीं है जहां से वह अपने धन को प्राप्त करने के लिये न्याय मांग सके या न्यायालय के पास जा सके ।

ऐसी स्थिति में जो यह विधेयक है वह इस बड़ी गड़बड़ी को, इस अन्याय को जो कि समाज पर किया जा रहा है, मिटाने की चेष्टा कर रहा है । मेरे विधेयक का उद्देश्य यह है कि जो आप के जाब्ता दीवानी की ८७(ब) धारा है, जिसमें कि शासन को यह अधिकार दिया गया है कि उसके विरुद्ध दीवानी की अपील नहीं चलाई जा सकती, उसको निकाल दिया जाय हमारी संहिता से, जिससे कि सभी नागरिक एक ऐसे स्तर पर पहुंच जायें कि वे अपने अधिकार को मांग सकें और न्याय प्राप्त कर सकें । यह ऐसी बातें हैं जिन पर सदन को ध्यान देना चाहिये ।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा की बैठक शनिवार, अगस्त, १८, १९६२/श्रावण २७, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२६ श्रावण, १८८४ (शक)

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

३५४ बिजली घर तथा कोयला धोने के कारखाने का स्थापना स्थान १०५१—५३

३५५ मद्य निषेध १०५३—५५

३५६ उर्वरकों का उत्पादन . . . १०५५—५७

३५७ गोआ में छोटे खान मालिकों की सहकारी समिति ३०५७–५८

३५८ जैसलमेर में तेल की खोज . १०५८–५९

३५९ लक्ष्मी बैंक तथा पलाई बैंक के खातेदारों को भुगतान १०५९–६०

३६० भारतीय प्रशासन सेवा के लिये सीमित परीक्षा १०६०–७१

३६१ स्कूलों में दोपहर का भोजन १०६१—६४

३६४ निर्वाचन याचिकायें . १०६४—६६

३६७ तेल क्षेत्रों और आसाम रिफाइनरी के बीच पाइप लाइन . १०६६—६८

३६९ त्रिपुरा की सीमा पर पाकिस्तानी सेनायें १०६८—७०

३७० अन्तर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर अभियान . १०७०–७१

३७१ मध्य प्रदेश में खनिज स्वामिस्व (रायल्टी) . १०७२–७३

३७२ भारतीय जेट लड़ाकू विमानों के लिये रूसी इंजन . १०७३–७४

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

४ पाउडर दूध के पीने से उड़ीसा में मत्यु . . १०७४—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर १०७७—११५२

तारांकित
प्रश्न संख्या

३६२ समाज कल्याण निधि १०७७

३६३ भारतीय सीमा का पाकिस्तान विमानों द्वारा अतिक्रमण . १०७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३६५	अन्दमान में स्टाफ कारों का दुरुपयोग	१०७८
३६६	अखिल भारतीय खेलकूद परिषद्	१०७८
३६८	सम्बद्धकारी विश्वविद्यालयों में अध्यापन	१०७८–७९
३७३	सस्ते ट्रैक्टरों का उत्पादन . .	१०७९
३७४	मनीपुर को आसाम वित्तीय निगम द्वारा ऋण	१०७९
३७५	पंजाब में तीसरा मशीनी औजार कारखाना	१०७९–८०
३७६	रोहतांग दर्रे के ऊपर रज्जुपथ . .	१०८०
३७७	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण . .	१०८०–८१
३७८	चिकित्सा स्नातकों के लिये ग्रामीण सेवा	१०८१
३७९	"नुफील्ड फाउण्डेशन" द्वारा आवंटन	१०८१
३८०	स्नेहन-तेल सन्यन्त्र . . .	१०८१–८२
३८१	अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिये परीक्षा-पूर्व अध्यापन केन्द्र	१०८२
३८२	उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम	१०८२–८३
३८३	कोयले की ढुलाई	१०८३–८४
३८४	इण्डिया आफिस लायब्रेरी . .	१०८४
३८५	दिल्ली में ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमण्डल खेलकूद	१०८४–८५
३८६	अन्दमान में "शार्क लिवर आयल" फैक्टरी	१०८५
३८७	नये पद बनाने पर प्रतिबन्ध	१०८६
३८८	प्रादेशिक भाषाओं का माध्यम	१०८६–८७
३८९	इस्पात सन्यन्त्र	१०८७
३९०	तीन अखिल भारतीय सेवाओं का गठन	१०८७–८८
३९१	स्क्रैप समिति का प्रतिवेदन	१०८८
२९२	गोहाटी के निकट विमान दुर्घटना	१०८८
३९३	राष्ट्रीय एकीकरण . .	१०८९
३९४	कोयले के लिये अग्रिम संयन्त्र	१०८९
३९५	तिब्बती भाषा	१०८९–१०९०
३९६	पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को रियायत	१०९०
३९७	गैस पाइप लाइन .	१०९०–९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

	विषय	पृष्ठ
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
३९८	औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारी . . .	१०९१
३९९	कोलार सोने की खानें	१०९१
४००	नई इनामी बौण्ड योजना	१०९२
४०१	दिल्ली में पूर्ण मद्य निषेध	१०९२
४०२	राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें . .	१०९३
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
८४०	लोहे और इस्पात के आयात के लिये लाइसेंस . . .	१०९३
८४१	सैनिक छावनियों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों का प्रशासन .	१०९३–९४
८४२	अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये पुस्तक अनुदान	१०९४
८४३	आग बीमा की किश्तें .	१०९४
८४४	शरियत विधि को लागू करना	१०९४
८४५	आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	१०९५
८४६	त्रिपुरा में विस्थापित लोगों से बकाया ऋण .	१०९५
८४७	संथाल भाषा . . .	१०९५
८४८	खनिज अधिकार . .	१०९५–९६
८४९	राजस्थान में सीमावर्ती सड़कें .	१०९६
८५०	शुल्क वापसी और निर्यात . .	१०९६–९७
८५१	आय-कर और उत्पादन शुल्क के मामले .	१०९७
८५२	तीसरी योजना के अन्तर्गत इस्पात का उत्पादन. . . .	१०९७–९८
८५३	ढलाई नदी में बाढ़ . .	१०९८
८५४	त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारी .	१०९८
८५५	विवरणिकाओं का पुनरीक्षण .	१०९९
८५६	लौह अयस्क का उत्पादन	१०९९–११००
८५७	कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये विदेशी सहायता . .	११००
८५८	औद्योगिक निर्माण कार्यों के लिये प्रविधिक सेवा .	११००
८५९	केरल में भंगियों के लिये मकान	११००
८६०	हिन्दुस्तान स्टील लि॰ की खानों द्वारा लौह अयस्क का उत्पादन .	११०१
८६१	औद्योगिक मजदूरों को पेंशन की सुविधा . . .	११०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतरांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८६२	मोटर गाड़ियों की ठेकेदारों द्वारा मरम्मत	११०२
८६३	दिल्ली में पटाखा विस्फोट	११०२
८६४	आत्महत्यायें	११०२–०३
८६५	राज्यों को ऋण . .	११०३
८६६	मद्रास में खनिज संसाधनों का उपयोग	११०३
८६७	रूरकेला इस्पात कारखाने में आत्महत्या	११०४
८६८	आई० सी० एस० अधिकारियों का वेतन निर्धारण	११०४
८६९	डाकघरों की मार्फत जीवन बीमा निगम का प्रीमियम .	११०४
८७०	आयकर विभाग में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों को सुविधायें	११०५
८७१	अन्दमान में लोक निर्माण विभाग के मजदूर	११०५–०६
८७२	मैट्रिक के आगे अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	११०६
८७३	केन्द्रीय सचिवालय की इमारत की छत से कद कर आत्महत्या	११०६–०७
८७४	जम्मू तथा काश्मीर में तेल की खोज .	११०७
८७५	पुनर्वास वित्त प्रशासन के ऋण के मामले	११०७
८७६	शैक्षणिक और व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन	११०७–०८
८७७	मन्त्रियों के भत्ते	११०९
८७८	क्रेन बनाने के कारखाने . .	११०९
८७९	केरल में "पावर ट्रांसफार्मर" कारखाना	११०९–१०
८८०	"रौलिंग स्टील स्लीपर" .	१११०
८८१	गोआ . .	१११०
८८२	गृह-निर्माण समितियों को भूमि	१११०–११
८८३	कार्य अध्ययन संस्था	१११९
८८४	मद्य निषेध क्षेत्र	१११९–१२
८८५	केरल में भारी उद्योग . .	१११२
८८६	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का विकेन्द्रीकरण	१११२
८८७	हट्टी की सोने की खान .	१११२–१३
८८८	विदेशियों द्वारा चाय बागानों का विक्रय	१११३
८८९	भारी मशीनें बनाने का संयन्त्र	१११३–१४
८९०	उष्मसह ईंटों आदि का आयात	१११४

प्रश्नों के लिखित उत्तर---जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८९१	इस्पात सन्यन्त्रों का क्षमता से कम उत्पादन	१११४
८९२	इस्पात सन्यन्त्रों में स्टाक इकट्ठा होना	१११५
८९३	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को ऋण	१११५
८९४	सोने की जब्ती . .	१११५
८९५	पश्चिम बंगाल की अनुसूचित आदिम जातियां .	१११६
८९६	विशेष पुलिस प्रतिष्ठान .	१११६–१७
८९७	बुद्ध जयन्ती पार्क, नई दिल्ली	१११७
८९८	दिल्ली में आग की रोकथाम	१११७
८९९	जनसाधारण के लिये न्याय	१११७–१८
९००	कोलार की सोने की खानें	१११८
९०१	हैजा-निरोध आन्दोलन	१११८
९०२	दक्षिण में तेल की खोज . .	१११८
९०३	निवेली लिग्नाइट	१११८–१९
९०४	हिन्दी का अध्ययन . . .	१११९
९०५	जीवन बीमा निगम के व्यवसाय का व्ययगत होना	१११९–२०
९०६	मसूरी की पहाड़ियों से चूने का पत्थर	११२०
९०७	सैनिक, नाविक और वैमानिक बोर्ड .	११२०
९०८	लन्दन में "री-यूनियन मीट" .	११२१
९०९	आदिम जातियों की ऋण-ग्रस्तता	११२१
९१०	उड़ीसा में इंजीनियरिंग कालेज	११२१
९११	लोक सहायक सेना . .	११२१–२२
९१२	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को कानूनी सहायता . . .	११२२
९१३	पैट्रोलियम उत्पाद का आयात .	११२२
९१४	मनीपुर में निकल के निक्षेप . . .	११२२–२३
९१५	आन्ध्र प्रदेश में बिजली के भारी सामान का सन्यन्त्र .	११२३
९१६	तेल और गैस उत्पाद . . .	११२३–२४
९१७	सम्बद्ध कालेजों को सहायता . .	११२४
९१८	विस्तार पुस्तकालय केन्द्र . . .	११२४–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर --जारी

अतरांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
६१६	आन्ध्र प्रदेश के माल डिब्बे के कोटे में कटौती .	११२५
६२०	दिल्ली यात्रा अभिकर्ता के कार्यालय पर हमला	११२५
६२१	उड़ीसा के लिये लोहा और इस्पात .	११२५–२६
६२२	पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक मूर्त्तियों की चोरी	११२६–२७
६२३	कोयला खानों का बन्द किया जाना .	११२७
६२४	इस्पात से आयात सम्बन्धी आवश्यकता	११२७–२८
६२५	जकार्ता में एशियाई खेल कूद समारोह	११२८
६२६	जम्मू और काश्मीर में भूतत्वीय सर्वेक्षण	११२८
६२७	गौहाटी तेल शोधक कारखाने मैं दुर्घटना	११२८–२९
६२८	मानवी भाषा . .	११२९
६२९	राजस्थान में इंजीनियरिंग कालेज	११२९
६३०	पंजाब अस्थायी करारोपण विधेयक	११२९–३०
६३१	तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी .	११३०
६३२	स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियां	११३०–३१
६३३	सामान्य बीमा व्यवसाय में सुधार .	११३२
६३४	अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ निधि	११३२
६३५	त्रिपुरा में प्रव्राजी मुसलमानों की भूमि	११३२–३३
६३६	पंजाब में तेल छिद्रण कार्य	११३३
६३७	लाल किले में प्रवेश शुल्क	११३३
६३८	पंजाब उच्च न्यायालय कें न्यायाधीश .	११३३
६३९	उड़ीसा में बाल और रौलर बेयरिंग परियोजना	११३४
६४०	भारत में तेल शोधक कारखाने	११३४
६४१	केरल में आदिम जातीय स्कूल	११३४–३५
६४२	दोलताबाद का किला	११३५
६४३	विश्वविद्यालय के झूठे परीक्षा फल .	११३५
६४४	राष्ट्रीय पंचांग .	११३५–३६
६४५	भिलाई में अतिरिक्त धमन भट्टी . .	११३६
६४६	पंजाब के लिये नालीदार लोहा चादरों का अभ्यंश	११३६–३७
६४७	कोरबा में कोयला निक्षेप	११३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६४८	दिल्ली में स्त्रियों के लिये पोलिटैक्निक	११३७–३८
६४६	भारतीय वायु सेना के दुर्घटनाग्रस्त विमान	११३८–३६
६५०	हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क	११३६
६५१	निर्वाचन याचिकायें	११३६
६५२	कुरन्द पत्थर का कारखाना	११४०
६५४	सीमेंट का उत्पादन	११४०
६५५	कोयला उद्योग के लिये रूसी सहयोग	११४०–४१
६५६	अभियोजन निदेशालय	११४१
६५७	स्नातकोत्तर डिग्री में तृतीय श्रेणी	११४१
६५८	पंजाब में तेल की खोज	११४१–४२
६५६	तेल प्रविधिक संस्था	११४२
६६०	सामान्य शिक्षा में "वेस्टेज"	११४२
६६१	आसाम तेल परियोजनाओं में गैर-सरकारी व्यक्ति	११४२–४३
६६३	मद्रास के लिये कोक	११४३
६६४	खनिज पदार्थ	११४३–४४
६६६	रीवा ज़िले में खनिज पदार्थ	११४४
६६७	मध्य प्रदेश की कोयला खानें	११४४–४५
६६८	प्रादेशिक अध्यापन केन्द्र	११४५
६६६	बैंकों में जमा रकम	११४५
६७०	केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था	११४६
६७१	अध्ययन के लिये विदेश भेजे गये विद्यार्थी	११४६
६७२	बिक्री कर के फार्मों की छपाई	११४६–४७
६७३	कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के लिये महंगाई भत्ता	११४७
६७५	"सी हॉक" विमान की दुर्घटना	११४७
६७६	दिल्ली में पटाखे का विस्फोट	११४८
६७७	राजस्थान में आदिमवासियों के लिये गृह-निर्माण	११४८
६७८	उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल	११४८
६७६	नर्मदा नदी के तल में तेल	११४६
६८०	गन शैल फैक्टरी, कासीपुर	११४६
६८१	आय-कर के मामलों को निबटाना	११५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९८२	राजस्थान में खनिज पदार्थ .	११५०
९८३	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान .	११५०–५१
९८४	तीसरे आम चुनाव के सम्बन्ध में आंकड़े .	११५१
९८५	संग्रहालय .	११५२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		११५२–५३
सभा पटल पर रखे गये पत्र		११५३–५१

श्री स० मो० बनर्जी ने जकार्ता के लिये प्रस्थान करने से पूर्व श्री मिलखा सह तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा इंडियन एक्सप्रेस के खेल सम्वाददाता पर कथित आक्रमण की ओर शिक्षा मन्त्री का ध्यान दिलाया ।

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

(१) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २६ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७०४ ।

(ख) दिनांक २६ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७०६ ।

(ग) दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १००३ ।

(घ) दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १००७ ।

(ङ) दिनांक ४ अगस्त, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०४१ ।

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १६ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ६९४ ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

विषय **पृष्ठ**

(ख) दिनांक २६ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७०७।

(ग) दिनांक २१ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ९७२।

(घ) दिनांक २१ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ९७३।

(ङ) दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १००२।

(च) दिनांक ४ अगस्त, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०३३।

(छ) दिनांक ४ अगस्त, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०३४।

(ज) दिनांक ४ अगस्त, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०३५।

(झ) दिनांक ४ अगस्त, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०३६।

(ञ) दिनांक ४ अगस्त, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०३७।

(३) लोक ऋण अधिनियम, १९४४ की धारा २८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ९ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५६ में प्रकाशित लोक ऋण (संशोधन) नियम, १९६२

(ख) दिनांक ९ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५७ में प्रकाशित लोक ऋण (प्रतिकर बांड) संशोधन नियम, १९६२

(ग) दिनांक ९ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७५८ में प्रकाशित लोक ऋण (वार्षिकी प्रमाण-पत्र) संशोधन नियम, १९६२।

(४) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २३ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८३२ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण-पत्र (चौथा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति।

विषय

रेल दुर्घटनाओं संबंधी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव ११५४–११६०

१६ अगस्त, १९६२ को प्रस्तुत रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। रेलवे मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया तथा चर्चा समाप्त हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत ११६१–६२

पांचवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित ११६२–६३

(१) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १०० और १८६ का संशोधन) [श्री म० ला० द्विवेदी का]

(२) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १२४ और २१७ का का संशोधन) [श्री कृ० चं० शर्मा का]

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक वापस लिया गया ११६३–१२०१

२२ जून, १९६२ को प्रस्तुत अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) पर राय जानने के लिये उसे ३१ सितम्बर १९६२ तक परिचालन करने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। श्री सिदय्या ने वाद-विवाद का का उत्तर दिया तथा विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचार स्थगित किया गया १२०१–०३

श्री हेम राज ने प्रस्ताव किया कि हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा ३० का संशोधन) पर विचार किया जाये। विधेयक पर विचार स्थगित किया गया।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन १२०३–०५

श्री म० ला० द्विवेदी ने प्रस्ताव किया कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ८७-ख का लोप) पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शनिवार १८ अगस्त, १९६२/२७ श्रावण १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६२–६३ पर चर्चा तथा मतदान।
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६२–६३ पर चर्चा तथा मतदान।
राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रतिवेदन के प्रस्ताव पर चर्चा।

GMGIPND—LS III—1630 (Ai) LSD—17-12-62—140